राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ का ४९वां दिवस [संख्या २९

सोमवार, दिनांक ३० अप्रेल, १९६२

विधान सभा की बैठक म. पू. ८ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, श्रम, सिंचाई, शिक्षा, उद्योग एवं विकास-विभाग]

रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी

३०९. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी कहां कहां पर कार्य कर रही हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि बीकानेर की अपीलेट ऑथेरिटी को अभी तक स्थायी नहीं किया गया है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (क) रेवेन्यू अपीलेट ऑथेरिटी इस समय जयपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर में कार्य कर रही हैं।

(ख) जी हां।

श्री भीमसेन : इसको स्थायी कब तक करने का विचार है सरकार का ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दिसम्बर, १९६२ पर इस पर विचार किया जायगा।

प्रश्न संख्या ३१०

श्री अध्यक्ष : श्री छत्रसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३११

श्री हीराभाई।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३१२

श्री विजयसिंह झाला।

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन ।

पटवार सर्कल्स

३१३. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील बीकानेर में ऐसे कितने पटवार सर्कल्स हैं जिनके हैड क्वार्टर से क्षेत्र के अन्य गांव पांच मील से अधिक दूरी पर पड़ते हैं ?

(२) क्या ऐसे पटवारियों को पांच मील से अधिक दूरी का यात्रा-भत्ता दिया जाता है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) २३ पटवार सर्कल्स हैं।

(२) अपने सर्कल में यात्रा-भत्ता देने का प्रावधान नहीं है ।

श्री भीमसेन : नहीं, अगर नहीं है, तो क्यों ? इसका जवाब नहीं दिया आपने ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : क्या साहब ?

श्री भीमसेन : इसमें जो पार्ट (२) था इसमें पूछा है कि यदि यात्रा भत्ता देने का प्रोविज़न नहीं है तो क्यों नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रावधान नहीं है, तो नहीं दिया जाता है ।

श्री भीमसेन : आपके टी० ए० रूल्स में है ना ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पटवार के लिए प्रश्न है, उनके लिए नहीं है ।

श्री भीमसेन : क्या सरकार यह उचित समझती है कि पटवारी लम्बी यात्रा में जाता है तो उसको यात्रा भत्ता नहीं मिले ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पटवार सर्कल कायम किये जाते हैं, वे होल्डिंग के आधार पर, एरिया के आधार पर, इन्कम के आधार पर, काम के आधार पर कायम किये जाते हैं। पटवार सर्कल में ड्यूटी पर जाते हैं तो उसको नहीं दिया जाता है। अगर ड्यूटी से तहसील हैड क्वार्टर जाते हैं तो दिया जाता है ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : तहसीलदार ड्यूटी से सर्कल में घूमे तो उसको क्यों देते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रूल्स अलग हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : पटवारियों के लिए रूल्स नहीं बना सकते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो रूल्स हैं उनके अनुसार काम किया जा रहा है ।

श्री भीमसेन : क्या सरकार इन नियमों में परिवर्तन करने को तैयार है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा प्रस्ताव नहीं है ।

Page No 3

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : क्या सरकार के ध्यान में है कि पटवारी को दस-दस मील जाना पड़ता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हो सकता है अगर पटवार सर्कल लम्बा-चौड़ा है, तो इतना जाना पड़ेगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : पटवारियों के दुर्लभ्य जीवन के ऊपर सरकार विचार करेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पटवार का दूसरा स्टाफ है, उसको एक जैसा दिया जाता है ।

श्री श्योपतसिंह: पटवार में दूसरा कौनसा स्टाफ है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कानूनगो है, सेटलमेंट अमीन है, सेटलमेंट फील्ड सर्कल स्टाफ है ।

श्री श्योपतसिंह : कानूनगो को ड्यूटी नहीं है कि गांव में दौरा करे और देखे ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनकी ड्यूटी है अपने क्षेत्र में जाने की ।

एक माननीय सदस्य : उनकी तहसील में बैठने की ड्यूटी है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किनकी ?

एक माननीय सदस्य : कानूनगो की ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रेवेन्यू इन्सपेक्टर्स को भत्ता दिया जाता है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरे ख्याल से कानूनगो को दिया जाता है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : कानूनगो और रेवेन्यू इन्सपेक्टर्स को भत्ता दिया जाता है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी जानकारी मुझे नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चार-चार, पांच-पांच पटवारियों पर एक गिरदावर होता है। क्या उसको भत्ता दिया जाता है या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके लिए तो फिक्स्ड रूल्स हैं। इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : ऐसे कौनसे व्यक्ति हैं जिनको भत्ता नहीं दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : यह बता चुके हैं ।

प्रश्न संख्या ३१४

श्री विजयसिंह झाला ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३१५

श्री दिग्विजयसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री हरिप्रसाद शर्मा ।

सीमेंट वर्क्स, लाखेरी

३१६. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि इस वर्ष सीमेन्ट वर्क्स, लाखेरी के कोल गेंग विभाग के कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया गया है ?

(ख) क्या यह सही है कि पिछले वर्षों में यह सुविधा इन कर्मचारियों को मिली थी ?

(ग) क्या यह सही है कि इन कर्मचारियों को बाकी की सुविधायें जैसे प्रोवीडेन्ट फण्ड आदि भी मिलती हैं ?

(घ) क्या यह सही है कि कर्मचारियों ने इस सम्बन्ध में शिकायत की है ?

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां। १९६१ से उन्हें बोनस मिल रहा है।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : कितना बोनस मजदूरों को दिया गया। पहले वर्ष में कितना बोनस कितने महीनों का दिया गया ?

श्री भीखाभाई : बेसिक वेजेज़ पर १५ पर्सेन्ट से सन् ६१ में ६,८५९.४३ रुपया बोनस में बांटा गया और ६२ में १२,६८०.८८ रुपया बोनस का बांटा गया।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपके कहने के मुताबिक मजदूरों को बोनस मिल गया है। क्या यह सही है कि जितने भी मजदूर हैं उनको सबको बोनस मिल चुका है ?

श्री भीखाभाई : मुझे मालूम नहीं पड़ता कि आपका प्रश्न क्या है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : प्रश्न यह है कि इस वर्ष सीमेन्ट वर्क्स, लाखेरी के कोल गेंग विभाग के कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया गया है। उनको दो वर्ष से बोनस नहीं दिया गया था। आपने यह स्वीकार किया है कि बोनस दिया गया है। अगर दिया गया तो कितने समय का दिया गया है ? आप जो सूचना दे रहे हैं वह क्या सही है ?

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न था उसका उत्तर मैंने दे दिया। मैंने यह बता दिया कि १९६१ में कितना रूपया बोनस का दिया गया। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि २२२ मजदूरों को १९६१ में और २९९ मजदूरों को १९६२ में उनकी बेसिक सेलेरी के १५ परसेन्ट के हिसाब से दिया गया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह समझा जाये कि यह बोनस कोल गेंग विभाग के मजदूरों को पूरे समय का ड्यू बोनस दिया गया है ?

श्री भीखाभाई : इसकी जानकारी पूरी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न तो यही है कि उनको ड्यू बोनस दिया गया या नहीं ?

श्री भीखाभाई : प्रश्न जिस प्रकार से बनाया था उसका जवाब दे दिया है। प्रश्न यह है कि "क्या यह सही है कि इस वर्ष सीमेन्ट वर्क्स, लाखेरी के कोल गैंग विभाग के कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया गया है ?" मैंने कहा, 'जी नहीं'। मेरा मतलब यह है कि दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह कि बोनस कर्मचारियों को नहीं दिया गया ? आपने कहा कि दिया गया ? क्या सारे कर्मचारियों को जिनका बोनस ड्यू था उसका पेमेन्ट कर दिया गया ?

श्री भीखाभाई : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, अलग जानकारी करके आज या कल में दे सकता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : आपने 'हां' कहा। उसका क्या इन्टेन्शन लिया जावे ? क्या आपने सारे के सारे कर्मचारियों को बोनस दे दिया है ?

श्री अध्यक्ष : 'ड्यू बोनस' से आपका क्या मतलब ? बोनस तो सालो साल बदल सकता है। ड्यू बोनस क्या है, उसकी परीभाषा होनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : फैक्ट्री एक्ट के अनुसार जो लीगल टर्म में ड्यू है वह दिया गया या नहीं ?

श्री भीखाभाई : ड्यू बोनस दे दिया गया है, इसके लिये कोई शिकायत नहीं आई है, सिवाय माननीय सदस्य के किसी ने शिकायत नहीं की है।

एक माननीय सदस्य : कितने महीनों का दिया गया है ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि ड्यू बोनस दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : डिक्लेयर किया वह दिया गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : प्रश्न की मंशा यह है कि कितना रुपया दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री बता चुके हैं कि उनके पास जानकारी नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब उनके पास जानकारी नहीं है तो प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

जागीर मुआवजे की राशि प्राप्त करने में महिलाओं को होने वाली असुविधा

३१७. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) :** क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को विदित है कि जागीर पुनर्ग्रहण के बाद मुआवजे की रकम पाने वालों में काफी बड़ी संख्या महिलाओं की है, जिन्हें बार बार दफ्तरों में जाने–आने में बहुत असुविधा होती है तथा इस प्रकार चक्कर काटने में उन्हें जो खर्चा करना पड़ता है उससे मिलने वाली धन राशि प्रायः इसी प्रकार समाप्त हो जाती है ?

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

(२) क्या सरकार यह आदेश जारी करने का इरादा रखती है कि इस प्रकार के मुआवजे की धन-राशि सम्बन्धित महिलाओं को उनके घर तक पहुंचा दी जाय ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जांच से मुआवजा पाने वाली महिलाओं की संख्या अधिक नहीं पाई गई।

(२) जी नहीं, यह सम्भव नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ऐसी महिलाओं की संख्या कितने परसेन्ट है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ज्यादा परसेन्ट नहीं है । परसेन्टेज का प्रश्न नहीं है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : दो परसेन्ट भी हजारों की तादाद में जाती हैं और मुआवजा लेने के लिए जाती हैं तो बिल्कुल घाटे में रहती हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वे अपना मुआवजा आम मुख्त्यार के मार्फत ले सकती हैं और इससे उनको कोई दिक्कत नहीं होती है । मैंने कई महिलाओं को मुआवजा दिलाया है ।

एक माननीय सदस्य : आपको उनसे मिलने का मौका नहीं मिला होगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा कि मैंने कइयों को मुआवजा दिलाया है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपने डिप्टी मिनिस्टर को हैसियत से दिलाया या वकील की हैसियत से ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वकील की हैसियत से दिलाया है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : अध्यक्ष महोदय, इनमें बहुत सी पर्दानशीन औरतें हैं, इसलिये पंचायतों के माध्यम से उनके घर पर ही मुआवजा पहुंचा दिया जावे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आम तौर से आम मुख्त्यार या वकीलों के द्वारा रुपया प्राप्त किया जा सकता है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : किसी की माली हालत ऐसी नहीं होती कि वह वकील करे या आम मुख्त्यार किसी को बनाए ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी कोई दिक्कत अभी तक सामने नहीं आई ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सब के आम मुख्त्यार हो या कोई वकील हो....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

जलालिया बांध, चित्तोड़

३१८. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जिला चित्तोड़गढ़ में कोई जलालिया बांध है ? यदि हां, तो उसके निर्माण पर कितना खर्चा हुआ है तथा उसका निर्माण हुए कितना समय हुआ है ?

Page No 7

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : जी हां, उसके निर्माण पर २३,५०६) रुपया खर्च हुआ है और उसका निर्माण हुए करीब १० माह हो गये हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : इस बांध में कितना पानी भरा हुआ है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पानी अभी तो नहीं है खाली हो गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : तो फिर इसके निर्माण का क्या तात्पर्य हुआ ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : नहरें निकाली नहीं गई हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या आप ठेकेदार का नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसका नाम मेरे पास नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या ठेकेदार को पेमेन्ट कर दिया गया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी हां।

श्री अब्दुलजब्बार : कितना रुपया बाकी है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : एक पैसा भी बाकी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

हायर सैकण्डरी स्कूल, सांचोर

३१६. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सांचोर में हायर सैकण्डरी स्कूल के भवन निर्माण पर कुल कितनी लागत होने का अनुमान है ?

(२) अब तक भवन निर्माण का कितना कार्य हो चुका है तथा इस कार्य के लिये सरकार कुल कितनी रकम स्वीकृत करने का विचार रखती है और अब तक कितना रुपया सरकार दे चुकी है ?

(३) उक्त हायर सैकण्डरी स्कूल के भवन का निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) :
(१) २,२५,०००) रुपये।

(२) ६७,०००) रुपये का कार्य हो चुका है। ७७,०००) रुपये सरकार दे चुकी है।

(३) इस भवन का निर्माण कार्य स्वीकृति के अनुसार आगामी मास जून तक पूर्ण हो जावेगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह ७० हजार की राशि मुकर्रर की है और २२५ हजार की लागत होगी तो सरकार कितना रुपया मंजूर करेगी इसका कुछ आश्वासन दें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इस समय तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ७० हजार रुपया मंजूर किया है। काम चलाऊ बिल्डिंग जून तक बन जायगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): क्या इस हायर सैकण्डरी स्कूल के उद्घाटन की तारीख मुकर्रर की गई है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अभी कोई नहीं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पिछले साल १ लाख मंजूर किया था, उसमें कटौती करके ७० हजार कर दिया तो यह रकम भी देने का मन्त्री महोदय आश्वासन देंगे क्या ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरे पास यह तो जानकारी इस समय नहीं है। मेरे पास यही जानकारी है कि जून तक सारा काम कम्प्लीट हो जायगा, भवन का कार्य पूरा हो जायगा।

श्री गिरधारीलाल (आसीन्द) : क्या सरकार इसी तरह से सभी हायर सैकण्डरी स्कूलों को मदद करेगी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जहां आवश्यकता है वहां करती है।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलज़ब्बार !

चारागाह की भूमि का अलॉटमेंट

३२०. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सतखण्डा (तहसील निम्बाहेड़ा) में चारागाह की जमीन किसी को अलॉट हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि कमान्डेड एरिया में सतखण्डा में चूहड़मल सिन्धी को जो जमीन दी है वह चारागाह में नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी नहीं।

श्री अब्दुलजब्बार : जहां जानवर चरते हैं, क्या उसी को चारागाह मानते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : केवल जानवर चरना ही जरुरी नहीं है, सेटलमेंट रेकॉर्ड में चारागाह दर्ज होना चाहिये।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या इस जमीन को बेचने का गांव वालों ने विरोध किया था और कहा था कि यह चारागाह है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सेटलमेंट के रेकार्ड में चारागाह में यह जमीन दर्ज नहीं है, उस जमीन में से कुछ जमीन उसे दी गई है।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या मन्त्री महोदय इससे वाकिफ हैं कि गांव वाले उस जमीन के पैसे देने को तैयार हैं, वे चारागाह के लिये इस जमीन को खरीदना चाहते हैं और गांव वालों ने इस जमीन को चूहड़मल को बेचने का विरोध किया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसको भी पैसों से दी गई है।

श्री अब्दुलजब्बार : यह बात और है कि बात को दबा दिया जाय, पी लिया जाय........

श्री अध्यक्ष : मैं निश्चित तौर से निवेदन करूंगा कि गंभीरता से प्रश्न पूछें, दूसरी इधर-उधर की बातें नहीं लायें।

Page No 9

श्री अब्दुलजब्बार : अध्यक्ष महोदय, निवेदन करने की बात यह है........

श्री अध्यक्ष : निवेदन मत कीजिये, प्रश्न पूछिये।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या यह सही है कि गांव वाले इस तरह से जमीन को बेचने का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने कलेक्टर को मूव किया है कि यह जमीन कीमत पर गांव वालों को दे दी जाय ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह जमीन केवल १८ बीघा है और चरणोट में शामिल नहीं है इसलिये यह उसको कीमत से दी गई है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : श्री चूहड़मल को जो यह जमीन दी है तो क्या यह पब्लिक के नोटिस में लाया गया था कि इस जमीन को बेचा जा रहा है ?

रामप्रसाद लड्ढा : नियम के अनुसार प्रोजेक्ट एरिया में जिस तरह से जमीन दी जाती है उसी तरह से इस जमीन को दिया गया है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह जमीन ऑक्शन से दी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वहां ऑक्शन से देने का नियम नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार : जिस समय पब्लिक की एप्लीकेशन्स आईं और इसकी भी आई तो पब्लिक की एप्लीकेशन्स पर विचार नहीं किया गया कि कौन क्या दे रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फिक्स्ड रेट से दी जाती है।

श्री अब्दुलजब्बार : फिक्स्ड रेट पर जब पब्लिक ही लेना चाहती थी तो चूहड़मल को क्यों दी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पब्लिक ने कोई दर्ख्वास्त पैसों से जमीन लेने की नहीं दी।

श्री अब्दुलजब्बार : उसको प्रिविलेज किस कारण से दिया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रिविलेज नहीं दिया, मैं निवेदन कर चुका कि उसको यह जमीन पैसों से दी गई।

श्री अब्दुलजब्बार : इस प्रकार की और दर्ख्वास्तें थीं उन पर गौर क्यों नहीं किया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : और दर्ख्वास्तें थीं या नहीं, मुझे पता नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार : आपने कहा कि और दर्ख्वास्तें नहीं आईं और उधर गांव वालों ने इस जमीन की खरीद के लिए दर्ख्वास्तें दी हैं फिर उनको क्यों नहीं दी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं निवेदन कर चुका कि कोई दर्ख्वास्त नहीं आई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : किस लॉ के तहत यह धरती अलॉट की है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : सवाल कहां का कहीं चला गया है। मैंने निवेदन किया कि नियमानुसार यह जमीन दी गई है कीमत से।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : किन नियमों के अनुसार दी गई है ? टेम्परेरी अलॉटमेंट के तौर पर अलॉट की गई है या परमानेन्ट अलॉटमेंट किया गया है या स्पेशल अलॉटमेंट ?

श्री रामप्रसाद लडढ़ा : प्रोजेक्ट एरिया में नियम है कि एक रेट फिक्स कर दी जाती है, उसी के अनुसार अलॉट करते हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : गांव वाले इस जमीन के ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं; क्या यह गांव वालों को दुबारा दी जा सकती है ?

प्रश्न संख्या ३२१

श्री अध्यक्ष : स्तीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्रीमती नगेन्द्रबाला।

तालाबों का निर्माण

३२२. **श्रीमती नगेन्द्रबाला** (छबड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या शाहबाद तहसील के खटका, कलीना व सहरोल तालाबों को सर्वे पूरी हो चुकी है ? यदि हां, तो अब तक कार्य शुरू क्यों नहीं किया गया तथा अब कब तक कार्य शुरू होने की संभावना है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां। खटका व सहरोल के तालाबों के तखमीने बना दिये गये हैं और उनकी जांच करके फाइनेलाइज़ किया जा रहा है। इन दो तालाबों का कार्य तखमीनों की स्वीकृति के बाद आरम्भ कर दिया जावेगा।

कलीना के तालाब की योजना उपयुक्त नहीं पाई गई है और इसके कार्य को नहीं किया जावेगा।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : किन कारणों से इसकी योजना उपयुक्त नहीं पाई गई ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसके ऊपर तालाब है जिसको समाज कल्याण विभाग ऊंचा उठा रहा है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : क्या समाज कल्याण विभाग उस तालाब को ऊंचा उठा रहा है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : तजवीज है, उनका फैसला हो जायगा तो विचार किया जायगा।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : उस तजबीज का हमें पता तो नहीं चल रहा है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने जानकारी आपको दे दी है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मणप्रसाद।

भूतपूर्व जिला बोर्डों द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलें

३२३. **श्री लक्ष्मणप्रसाद** (सिकराय-सु.) :

(श्री लक्ष्मणप्रसाद)

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जिला बोर्ड द्वारा संचालित जो प्राइमरी स्कूल्स पंचायत समितियों को हस्तान्तरित किये गए हैं उनके खर्चे के लिये कोई फण्ड समितियों को नहीं दिया गया है ?

(२) यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा अब तक इन स्कूलों से सम्बन्धित अध्यापकों को वेतन आदि किस फण्ड से दिया जाता रहा है ?

(३) क्या यह फण्ड नहीं प्राप्त होने से पंचायत समितियों के समक्ष कोई दुविधा नहीं आई है ?

(४) अब सरकार इस विषय में कब तक तथा क्या प्रबन्ध कर रही है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (१) यह सत्य नहीं है। भूतपूर्व जिला बोर्ड द्वारा संचालित जो प्राथमिक शालायें पंचायत समितियों को हस्तान्तरित की गई हैं उनके खर्चे के लिये ७,१८,२१०) रु० प्रावधान वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में दिया जा चुका है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) यह प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि रकम का प्रावधान पहले ही हो चुका है।

(४) वर्तमान वित्तीय वर्ष का प्रावधान किया जा रहा है।

श्री लक्ष्मणप्रसाद : क्या अध्यापकों का वेतन उस जमाने का अभी तक बाकी है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सरकार को जितना रुपया ट्रान्सफर करना था वह दे चुकी है। अगर किसी का बकाया रह गया है तो वह अलग बात है।

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह। प्रश्न संख्या ३२४.

हनुमानगढ़ जंक्शन की नयी मंडी का निर्माण

३२४. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बतानेकी कृपा करेंगे:-

(१) हनुमानगढ़ जंकशन की नई मंडी का काम कब से शुरू हुआ और आज तक कितनी दूकानें और मकानात बनाये जा चुके हैं ?

(२) सरकार का इस नई मंडी को कितने सालों में आबाद करने का इरादा है ?

(३) क्या यह सही है कि नई मंडी में सरकार ने अब तक पानी और बिजली की कोई व्यवस्था नहीं की है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) हनुमानगढ़ जंक्शन की नई मंडी में प्लॉटों की बिक्री का कार्य १६-१२-५७ से आरम्भ हुआ और इस समय तक ३४ सरकारी इमारतों के अलावा ५ मकानात व एक धान मंडी की दूकान व एक पेट्रोल पम्प का निर्माण हो चुका है और चार धान मंडी की दूकानों का काम चालू है। इसके अतिरिक्त सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा तीन बहुत बड़े अनाज के गोदाम बनाये जा रहे हैं।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(२) बहुत शीघ्र मण्डी को आबाद करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

(३) पानी और बिजली की व्यवस्था का कार्य जारी है और कुछ भाग में बिजली दी जा चुकी है ।

श्री श्योपतसिंह : मंडी को जल्दी बसाने के लिये सरकार क्या कोशिश कर रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मंडी जल्दी बसाने के लिये बिजली का इन्तजाम किया जा रहा है, करीब तीन लाख रूपया गवर्नमेंट ने जमा करा दिया है, दो सेक्टर्स को दिया है। साढ़े चौदह लाख का वाटर वर्क्स का कार्य शुरू किया गया है । और भी जो जो सुविधाएं चाही जा रही हैं उनको दिये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री श्योपतसिंह : सरकारी इमारतें बनी हैं । बाकी इमारतें आपने बताई हैं कि एक दूकान बनी है, दो तीन मकान बने हैं । ऐसी हालत में क्या सरकार समझती है कि मंडी को बसाने की प्रोग्रेस ठीक चल रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहले नाली में बाढ़ आने का भय था इसलिये लोग वहां बसने में भय महसूस करते थे । उस भय को दूर कर दिया गया है । अब आशा है जल्दी ही यह मंडी आबाद हो जायगी ।

श्री श्योपतसिंह : क्या सरकार महसूस करती है कि मंडी नीची जगह में बसाई गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऊंची-नीची जगह का सवाल नहीं । नाली में बाढ़ आने के डर से लोग वहां नहीं बसते थे । अब उस भय को दूर कर दिया गया है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उस भय को किस कदर दूर किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रिंग बांध बांधा गया है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कब बांधा गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गये साल । इसीलिये गये साल बाढ़ नहीं आई ।

श्री श्योपतसिंह : क्या पिछले साल इस स्थान पर पानी नहीं पहुंचा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी नहीं ।

श्री श्योपतसिंह:मन्त्री महोदय ने बताया कि इसलिये लोग वहां नहीं बसते कि वहां पानी आने का डर रहता है, तो क्या वह नीची जगह बसी हुई है जिससे कि वहां पानी आने का डर रहता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री श्योपतसिंह : जब मंजूर कर रहे हैं कि पानी आने का डर था इसलिये लोग बसे नहीं, बांध बांधा गया है तो सरकार की जानकारी में क्या क्या है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया है कि बाढ़ का भय था उसे दूर कर दिया गया है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह बांध कच्चा बांधा गया है या पक्का बांधा गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कच्चा है पर मजबूत है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कच्चे बांध के आधार पर लाखों रुपयों की योजना बनाई जा रही है; मण्डी को बसाया जा रहा है, यह कहां तक उचित है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कच्चे बांध पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया है और उससे करोड़ों रुपयों की सिंचाई होती है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सिंचाई का प्रश्न नहीं है....

श्री अध्यक्ष : Order ! Order !! Shri Bhim Sen.

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : इस मंडी में कितने प्लॉट्स हैं और उनमें से कितने अब तक बेचे जा चुके हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ५५७ दूकानों के प्लॉट्स वेचे गये हैं और ५५८ मकानों के प्लॉट्स बेचे हैं । इसके अलावा पेट्रोल पम्प और सिनेमा के प्लॉट्स बेचे हैं ।

श्री भीमसेन : कुल कितने प्लॉट्स हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कुल कितने प्लॉट्स हैं, यह सूचना तो इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री भीमसेन : बांध कितना ऊंचा है ?

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह !

श्री श्योपतसिंह : क्या सरकार महसूस नहीं करती कि मंडी में बसने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए वे चाहते हैं कि उनको इन्स्टॉलमेंट्स पर लोन दिये जायं । क्या यह भी एक कारण है मंडी के देर से बसने में ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस प्रकार की कोई बात नहीं है ।

श्री मनफूलसिंह (सूरतगढ़) : जब तक वाटर वर्क्स का इन्तजाम नहीं होगा डिग्गियों में पानी कैसे पहुंचेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी व्यवस्था कर दी गई है ऑलरेडी ।

श्री श्योपतसिंह : क्या यह सही है कि उन डिग्गियों में पानी नहीं पहुंचता है, न ही बिजली पहुंचती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी सूचना के अनुसार पानी की व्यवस्था कर दी गयी है और पानी पहुंचता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल ।

जमीन की गिरदावरी

३२५. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन-सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है कि गिरदावरी जमीन मालिक को साथ में लेकर की जावे ? यदि हां, तो कार्य कब से आरम्भ होगा ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : जी नहीं। ऐसी कोई योजना सरकार ने नहीं बनाई है। परन्तु ऐसी हिदायत जरूर है कि गिरदावरी के समय पंच, सरपंच साथ रहें, सम्बन्धित पटवारी, जमींदार, लम्बरदार और काश्तकार भी उपस्थित रहें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या सरकार यह जरुरी नहीं समझती है कि काश्तकार को नोटिस देकर उसको इसके लिये साथ में रखा जाय ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसे इन्स्ट्रक्शन्स हैं रुल्स में कि जब गिरदावरी के वक्त पटवारी जाता है तो कार्यक्रम भेजा जाता है और सूचना भेजी जाती है और उसमें एक जमीन मालिक भी है और उसको उपस्थित रहना चाहिये, ऐसी सूचना दी जाती है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : क्या कानून का पालन सब जगह हो रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा नियम है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इस नियम को तोड़ने की सूचना क्या पहुंची है कोई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सूचना देने के लिये क्या कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म दे रखा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आम तौर पर सूचना देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : लिखित रूप में सूचना दी जाती है या जबानी लम्बरदार के जरिये से ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लिखित रूप में और जबानी भी।

श्री भैरोंसिंह : हिदायत में किस तरह की सूचना देनी चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सूचना में इस तरह से बयान नहीं किया जाता कि इस तरह से सूचना देगा। सूचना देगा; 'Suchna' can be by any means.

एक माननीय सदस्य : सूचना मानते हैं या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मानते हैं और आते भी हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पंचायतों को हिदायत नहीं दी जा सकती है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पंचायतों को खुद को हिदायत दे रखी है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : तहसील सांचोर में तो ऐसी सूचना नहीं दी जाती है और गिरदावरी कर दी जाती है और काश्तकार को बुलाया तक नहीं जाता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I will find out if there is any complaint like that.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आम तौर पर है।

एक माननीय सदस्य : काश्तकारों के नाम सूचना आ रही है, मालिक का नाम ही नहीं है।

श्री श्रवणलाल : गलत गिरदावरी करके किसानों से लाखों रुपया ठग लेते हैं। मालिक को साथ में रखना जरूरी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नियम है। इस सम्बन्ध में और उचित व्यवस्था की जावेगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या गिरदावरी करते वक्त पटवारी की ओर से सूचना दी जाती है कि खेत पर उपस्थित रहें ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : खेत का मालिक होता है; पंच-सरपंच और लम्बरदार को इत्तला दी जाती है।

श्री श्रवणलाल : इत्तला उनको नहीं दी जाती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नियम इत्तिला देने का है और उनको इत्तला दी जाती है। साथ साथ यह भी निवेदन कर चुका हूँ कि इस तरह की शिकायत हो तो ध्यान में लावें, मैं उचित प्रयत्न करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : व्यक्तिगत शिकायत पेश करने का सवाल नहीं है। यह तो एक आम शिकायत है। इसको रफा करने के लिए रूल्स में संशोधन करें तो अच्छा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हिदायत जारी करूंगा कि इस नियम का पूरा पालन करें।

श्री भैरोंसिंह : मालिक को कहां इत्तला दी जाती है, काश्तकार को दी जाती है।

प्रश्न संख्या ३२६

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल-

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३२७

श्री हरिशंकर

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३२८

श्री जीवराज।

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द।

निलम्बन-काल की मजदूरी, बीकानेर पॉवर हाउस

३२९. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर)[श्री कुमारानन्द(ब्यावर)द्वारा पूछा गया]:- Will the Minister for Labour be pleased to reply.

1. Whether the dispute of wages for the suspension period of four employees of Bikaner Power House sponsored by the Bikaner Circle Electricity Employees Union is under consideration of the Government for reference to the Industrial Tribunal ?

2. If so, since how long and when was the failure report recived ?

3. When the Government expects to finally dispose of the same ?

श्रम-मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी नहीं, इस मामले में अभी समझाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(१) लेबर इन्सपेक्टर, बीकानेर द्वारा भेजी गई फेल्योर रिपोर्ट श्रम आयुक्त को १३. १.१९६२ को प्राप्त हो गई थी, उस पर श्रम आयुक्त द्वारा चेयरमैन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इस मामले को पुनर्विचार के लिये लिखा गया है।

(३) अभी प्रश्न नहीं उठता।

श्री कुमारानन्द : क्या यह सच है कि ८ तारीख को लेबर एडवाइज़री कमेटी की स्टेन्डिग कमेटी की जयपुर में कोई मीटिंग हुई थी उसमें लेबर मिनिस्टर ने एश्योरेन्स दिलाया था कि जल्दी से जल्दी इसको लेबर ट्रिब्यूनल में भिजवा दिया जावेगा ?

(विराम)

८ तारीख को लेबर एडवाइज़री कमेटी की स्टेन्डिग कमेटी की जयपुर में मीटिंग हुई थी, उसमें लेबर मिनिस्टर ने एश्योरेन्स दिलाया था कि जल्दी से जल्दी इसको लेबर ट्रिब्यूनल में भिजवा दिया जावेगा, क्या यह सच है ?

श्री भीखाभाई : इस प्रकार की मुझे जानकारी नहीं है। मैंने इसके उत्तर में निवेदन किया कि श्रम अधिकारी के द्वारा कॉन्सिलियेशन के एफर्ट्स किये गये हैं और चेयरमैन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिप्लाई नहीं आया है और यदि वे एफर्ट्स सफल नहीं हुए तो भेजा जावेगा।

श्री कुमारानन्द : यह ताज्जुब की बात है, आपने ठीक जवाब नहीं दिया ! There was a meeting of the Standing Committee of Labour Advisory Body and you were present there, and you gave assurance that you are going to send this case to the Tribunal as early as possible. Is it a fact ?

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि मुझे जानकारी नहीं है। परसों-तरसों हुई थी, उसमें ऐसा प्रश्न नहीं उठा था। स्टेन्डिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी। माननीय सदस्य की पार्टी के सदस्य थे। उसमें ऐसी बात नहीं हुई। जिस कमेटी की बात कह रहे हैं उसकी मुझे जानकारी नहीं है। जानकारी प्राप्त करके बता सकूंगा।

श्री कुमारानन्द : Would the Labour Minister be pleased to say how long it will take to send it ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि कॉन्सिलियेशन के एफर्ट्स फेल हो गये तो उसको रेफर करने का सवाल आयगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : एक बार आप कह चुके हैं कि फेल्योर रिपोर्ट आ चुकी है। दुबारा कॉन्सिलियेशन करने का कानून में प्रावधान नहीं है। दुबारा ट्रिब्यूनल को रेफर करते हैं और दुबारा कॉन्सिलियेशन शुरू किया है तो इसका कानूनी आधार क्या है ?

श्री भीखाभाई : कानूनी आधार शांति कायम करने का होता है। इसमें काफी समय लग जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि इसको

(श्री भीखाभाई)

जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो इसको रेफर कर देंगे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यदि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन आपकी कार्यवाही को नहीं मानते हैं तो कितने समय में रेफर कर सकेंगे ?

श्री भीखाभाई : निश्चित अवधि तो माननीय सदस्य को नहीं बतायी जा सकती । मैंने निवेदन कर दिया कि शीघ्रातिशीघ्र इसको कर देंगे ।

एक माननीय सदस्य : कितना समय लेकर चल रहे हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या....

श्री अध्यक्ष : Order Please !

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह मामला चल रहा है । कुछ एम्प्लॉईज़ थे उनके सस्पेन्शन पीरियड का झगड़ा है । कहा गया कि शीघ्रातिशीघ्र फैसला होगा, लेकिन कब तक ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या कॉन्सिलियेशन के नाम पर केस डिले नहीं किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम ।

हायर सेकिन्डरी स्कूल की मांग—तिजारा

३३०. **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा) : शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि जनता तिजारा में हायर सेकन्डरी स्कूल की मांग करती आ रही है ? यदि हां, तो कब तक यह कार्य पूरा होगा ?

शिक्षा मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : जी नहीं । जनता के पास से सरकार को कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं ।

श्री हरिराम चौहान : अब ख्याल है कि खोल दिया जावेगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : समय आने पर मेरिट्स पर विचार किया जावेगा ।

श्री हरिराम चौहान : समय कब तक आ जावेगा, तारीख है कोई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मांग आवेगी तो विचार किया जावेगा ।

एक माननीय सदस्य : तिजारा में हाई स्कूल है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हाई स्कूल है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मनफूलसिंह ।

तहबाजारी

३३१. **श्री मनफूलसिंह** (सूरतगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या पीलीबंगा मंडी में तहबाजारी की दूकानों को पुलिस द्वारा फुड़वाया गया है ? क्या गंगानगर जिले की दूसरी मंडियों में तहबाजारी बदस्तूर है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि पीलीबंगा मंडी में बनी तहबाजारी की दूकानों को तोड़ा गया है ?

(श्री मनफूलसिंह)

(२) क्या राजस्थान सरकार इस अनियमित कार्यवाही की जांच करवा कर तहबाजारी दूकानों के निर्माण की पुनः आज्ञा प्रदान करेगी ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : पीलीबंगा में तहबाजारी की दूकानों को नहीं बल्कि जो धान मंडी के बीच में नाजायज़ तरीके से कब्जा करके लकड़ी के खोखे खड़े कर दिये गये थे अथवा थोड़ी सी कच्ची-पक्की दूकानें बना ली गई थीं और जो धान मंडी में धान के यातायात में अड़चन पैदा कर रही थीं उनको धानमंडी के दूकानदारों के विरोध पर हटाया गया था। उनको कई मौके दूकानात हटाने के लिए नोटिस दिये गये, परन्तु न हटने पर पुलिस की मदद से खोखे व दूकानात हटाई गई और उनको दूसरा स्थान रजामन्दी से दूकान लगाने के लिये किराये पर दिया गया, जहां अब भी बहुत से उन्हीं में से दूकानदार व्यापार कर रहे हैं। जैसे कि गंगानगर की दूसरी मंडियों में तहबाजारी सिस्टम बदस्तूर है वैसे वहां पर भी तहबाजारी बदस्तूर है।

श्री मनफूलसिंह : आसपास की तहबाजारी को नहीं हटाया गया है, फिर यहां पर क्यों ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तहबाजारी का सिस्टम बदस्तूर जारी है। किसी कन्स्ट्रक्शन को, खोखे वगैरा को हटाना पड़े तो यातायात की सुविधा की दृष्टि से हटाया गया है।

श्री मनफूलसिंह : क्या यह सही नहीं है कि गंगानगर की और जितनी मंडियां हैं उनमें जितना डिस्टेन्स है उतना इसमें भी था, फिर बीच में से दूकानों को क्यों उठाया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस डिस्टेन्स के बारे में तो नहीं कह सकता। पर इस पार्टीकुलर केस में कह सकता हूँ कि यातायात के लिये असुविधा हो रही थी, धानमण्डी में आपत्ति थी, ढेर लगाने और तोलने में दिक्कतें थी, तो इन कारणों से उनको हटाया गया।

श्री मनफूलसिंह : गंगानगर की दूसरी मंडियों में भी व्यापार होता है, अब वहां दूकानदारों से उनको नुकसान हो सकता है इसलिए वे आपत्ति कर सकते हैं। क्या दूसरी गंगानगर की मण्डियों में भी इस तरह व्यापारियों द्वारा दूकानदारों के लिये आपत्ति की जावे तो उनको भी उठा देंगे आप ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : मैं इसके बारे में तो जवाब नहीं दे सकता। हां, हमने बाजार सिस्टम को खतम नहीं किया है। दूसरा स्थान उनको दे दिया गया है, जहां अधिकांश बस गये हैं, कुछ अब बसेंगे और यह भी उनकी रजामन्दी से किया है।

श्री मनफूलसिंह : मैं बताऊं जो वहां से व्यापारी हटाये गये हैं उनको दूसरी जगह नहीं दी गई है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी इन्फॉर्मेशन के आधार पर दूसरा स्थान रजामन्दी से दिया जाना जाहिर है। जैसा आप कहते हैं अगर वैसा है तो मैं इसकी जानकरी करूंगा और इन्क्वायरी करूंगा।

मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ये दूकानें

(श्री मुरलीधर व्यास)

कितने वर्षों से वहां पर थीं और कितने वर्षों के बाद उनका 'नाजायज़ कब्जा' कह कर वहां से हटाया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जब से थीं, तब से नाजायज थीं। अवधि का अभी मैं नहीं कह सकता कि वे कब से थी।

श्री मुरलीधर व्यास : बीस वर्षों से ये दूकानें वहां थीं और बीस वर्षों से वहां से नहीं हटाई गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मण्डी अब बसाई जा रही हैं, इसलिये मण्डी के नियम के अनुसार चौड़ी सड़कें और साधन चाहिये। इसके अनुसार प्लानिंग-विकास के लिये ऐसी कार्यवाही की गई।

श्री मुरलीधर व्यास : मण्डी जब बसाई गई तो उन्हीं लोगों को वहां पर दूकानें क्यों नहीं दी गईं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किस जगह ?

श्री मुरलीधर व्यास : जिस जगह मण्डी बसाई गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो नीलामी से पहले ही लोगों ने ले ली थी।

श्री मनफूलसिंह : प्लानिंग के लिए जब उन्हें हटाया तो दूसरी मंडियों में जहां इतना डिस्टेन्स नहीं है तो वहां क्यों नहीं हटाया जा रहा है ! यही क्यों ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं इस मामले को एग्ज़ामिन कराऊंगा। पर अभी कुछ नहीं कह सकता कि दूसरी मंडियों की चौड़ाई कितनी है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : पीलीबंगा मंडी में इससे अधिक डिस्टेन्स नहीं होते हुए भी दूकानें वहां हैं तो क्या वहां भी हटाई जावेंगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई।

हरिजनों को जमीन-पाटनवाटी

३३२. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या पाटनवाटी (नीम का थाना तहसील) के हरिजनों को जमीन दिलाये जाने के प्रश्न को लेकर कोई दर्ख्वास्तें सरकार के पास आई हैं ?

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी दर्ख्वास्तें व कितने लोगों की ?

(ग) हरिजनों को कितनी जमीन दी गई ?

(घ) नीम का थाना तहसील में सिवाय चक जमीन काबिल काश्त कितनी पड़ी हुई है और सन् १९५५ से आज तक कितनी जमीन पिछड़े व हरिजन वर्ग को दी गई है ?

(ङ) कुल कितनी जमीन आज तक नीम का थाना तहसील में बंटी ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री रामप्रसाद लडढा) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर अभी आया नहीं है।

श्री रामकिशन (वैर) : यह वही प्रश्न है जो एक-एक, दो-दो महीने से पूछा जा रहा है और जवाब नहीं दिया जा रहा है, जवाब टाला जा रहा है, अध्यक्ष महोदय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी बात तो नहीं है।

श्री रामकिशन : आप देख लीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह प्रश्न तो आ जावेगा।

श्री रामकिशन : एक-डेढ़ महीना दिये को हो गया, जवाब आता ही नहीं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा एक क्वेश्चन ही है। बाकी तो सभी का जवाब आता है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

मैटल कॉर्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता

३३३. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या उद्योग व खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

१. मैटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के राजस्थान सरकार अब तक कितनी रकम के शेयर खरीद चुकी है ?

२. उक्त कम्पनी की कुल इश्यूड केपिटल क्या है ?

३. उक्त कम्पनी के मैनेजिंग एजेन्ट कौन हैं ?

४. उक्त कम्पनी के पास कितने वर्ग मील का क्षेत्र राजस्थान में माइनिंग लीज़ पर मिला हुआ है और वह कहां कहां पर स्थित है और उन क्षेत्रों में कौन सा धातु निकलता है ?

५. उक्त कम्पनी को सर्व प्रथम माइनिंग लीज़ राजस्थान सरकार ने कब दी और कब कब उसको रिन्यू किया ?

६. उक्त लीज़ अब कब समाप्त होने वाली है ?

७. उक्त कम्पनी के माइनिंग क्षेत्र में पिछले दस वर्ष के उत्पादन के आंकड़े क्या हैं और उनका मूल्य क्या है ?

उप-मन्त्री : खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) मैटल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता के राजस्थान सरकार अब तक २५ लाख रुपये के फेस वेल्यू के साधारण शेयर्स खरीद चुकी है।

(२) कम्पनी की ३१।३।६१ की बैलेन्स शीट के अनुसार कम्पनी की इश्यू केपिटल २,५७,००,०००) रु० की है।

(३) वर्तमान स्थिति में कम्पनी के कोई मैनेजिंग एजेन्ट्स नहीं हैं।

(४) उक्त कम्पनी को बीस वर्ग मील का क्षेत्रफल माइनिंग लीज़ पर दिया हुआ है और यह तहसील—खेरवाड़ा-फलासिया, जिला उदयपुर के जावर क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में शीशा, जस्ता और चांदी निकलती है।

(५) दिनांक १ अप्रेल सन् १६५० से बीस वर्ष तक के लिये माइनिंग लीज़ दी गई है। रिन्यूअल का प्रश्न लीज़ की अवधि समाप्त होने पर उपस्थित होगा।

(६) दिनांक ३१ मार्च, १६७० को समाप्त होगी।

(७) स्टेटमेन्ट सदन की मेज पर रख दिया है जिसमें उत्पादन और मूल्य के दिये

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

हुए आंकड़े कम्पनी द्वारा घोषित की हुई सूचना पर आधारित हैं । इनमें से मूल्य के आंकड़ों को सही स्वीकृत करने के प्रश्न पर जांच जारी है और यह राज्य सरकार व भारत सरकार के विचाराधीन है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने फरमाया कि जांच राज्य सरकार और भारत सरकार के विचाराधीन है और पिछले दस वर्षों के आंकड़ों का स्टेटमेन्ट सदन की मेज पर रखा है उनको जोड़ने से ६ करोड़ का उत्पादन इस कम्पनी के मैनेजिंग लीज़ एरिया में हुआ है । तो क्या आप बता सकते हैं कि ५१ से ५५ तक के आंकड़े उत्पादन के कम्पलीट क्यों नहीं हुए ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जांच जारी है । वह कब तक समाप्त होगी, कह नहीं सकता पर जो घोषणा उन्होंने की है स्टेटमेन्ट में उसके आधार पर उस मूल्य को मानते हुए भी हैड रेन्ट और रॉयल्टी तो ली है । अब राज्य सरकार और भारत सरकार के अधीन जो मसला विचार के लिये है उसके फाइनल हो जाने पर जो डिफरेंन्स अगर निकला तो वह ले लिया जावेगा और अगर नहीं निकला तो कोई सवाल ही नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : राज्य सरकार के पास जांच करने की कौनसी मशीनरी है इसकी, जिसके कारण आप जांच कर सकते हैं कि प्रति दिन इसका कितना उत्पादन था ? जब कि आपने इतनी बहुमूल्य माइनिंग की लीज़ उनको दे रखी है जिसमें चांदी और शीशा निकलता हो और जिसका दस वर्ष का उत्पादन ६ करोड़ का हुआ हो तो उस उत्पादन को चैक-अप करने के लिये आपकी मशीनरी क्या है जो ओन दी स्पोट जांच कर सके कि इतने टन शीशा निकला, इतने टन जस्ता निकला और इतने औंस चांदी का उत्पादन हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लीज़ होल्डर के नियमानुसार रिटर्न और स्टेटमेन्ट वगैरह आते हैं, इसकी जांच होती है । फाइनेन्स डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेन्ट मिलकर इसकी जांच कर रहे हैं

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपका कोई इन्सपेक्टर या अधिकृत आदमी ओन दी स्पोट पर रहता है तोलने के लिये या वेरिफाई करने के लिये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं इस समय यह नहीं कह सकता ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस कम्पनी का मालिक कौन है ? मैनेजिंग एजेन्ट या डाइरेक्टर कौन है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मिस्टर दत्ता ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : और आपकी तरफ से डाइरेक्टर कौन है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मिस्टर मुकर्जी ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : Both are Secretaries of the Government ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : They are representatives of the Government. One is Industries Secretary and the other Finance Secretary.

श्री मानिकचन्द सुराणा : इन २५ लाख पर पिछले दस वर्षों में सरकार को क्या आमदनी या लाभ हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो इन्वेस्टमेन्ट किया तब से आमदनी हो रही है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वही तो मैं पूछ रहा हूं कि कितनी आमदनी हुई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ६१ में तो इन्वेस्ट हुआ है। अभी आमदनी का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री अभयसिंह।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक प्रश्न और करना है। आपने जो बीस वर्ग मील का क्षेत्र लीज में दे रखा है तो क्या सरकार को यह मालूम है कि माइनिंग एक्ट में संशोधन के बाद और मेजर मिनरल कन्सेशन रूल्स के बनने के बाद कोई भी कम्पनी या अन्य व्यक्ति चार मील से अधिक लीज का एरिया नहीं ले सकता। और अगर पहले का दिया हुआ हो तो वह भी चार मील तक करने का नियम है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस बात को मैं मालूम करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री अभयसिंह।

गबन

३३४. **श्री अभयसिंह** (बस्सी) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सूरजनारायण, सरपंच, बांसखो, पंचायत समिति, बस्सी के खिलाफ गबन संबंधी मामले में क्या प्रगति हो रही है ?

(२) क्या यह सही है कि एन्टीकरप्शन विभाग द्वारा इसकी जांच की जा रही है।

(३) क्या उपरोक्त सरपंच द्वारा कराये गये कार्यों की इन्जीनियर, भरतपुर द्वारा जांच हो गई है ?

उप-मंत्री, सामुदायिक विकास (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) इसकी जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा की जा रही है।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

नेरवाड़ी बांध की योजना

३५५. **श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या नेरवाड़ी बांध आसीन्द तहसील में बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(२) क्या इसकी सर्वे एवं एस्टीमेट भी हो चुके हैं ?

(३) यह योजना कब तक प्रारम्भ होने को है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी नहीं।

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

(२) जी हां।

(३) नारायणसागर बांध के केचमेन्ट क्षेत्र में आने के कारण इस योजना को स्थगित कर दिया गया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास: यह नारायणसागर बांध कितनी दूरी पर है और इसका केचमेन्ट एरिया कितना है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह नैरवाड़ी से दूर है, इसका पानी नारायणसागर बांध से जाता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या यह सही है कि नैरवाड़ी बांध की योजना पुरानी योजना थी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : नारायण सागर का काम ५४ में शुरू हो गया था, ५६ में इसकी सर्वे हुई है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इस बांध को बनाने के सम्बन्ध में तहसील के लोगों की ५१ से ही मांग चल रही है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मांग चल रही होगी, लेकिन इसकी सर्वे ५६ में हुई है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या इस तहसील बदनोर में नैरवाड़ी बंधा के अलावा कोई दूसरी योजना ही नहीं है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : नारायण सागर बांध बन जाने के बाद यदि पानी की आवत ज्यादा होगी तो विचार किया जायगा।

थानागाजी बांध में पानी का ठहराव

३३६. **श्री जयकिशन** (थानागाजी) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : (क) क्या थानागाजी तहसील में (रामपुरा कोला का बास) बांध के निर्माण के बाद उसमें पानी नहीं ठहरता और नारायणपुर ग्राम तक नहरों का निर्माण हो चुका है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने जा रही है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री भवानीशंकर-नन्दवाना) : (क) जी हां। पानी न ठहरने के कारणों की जांच की जा रही है। जांच के बाद आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री जयकिशन : यह जांच कब तक हो जायगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने निवेदन किया, यह देखा जाता रहा है कि पानी सतह में नीचे चला जाता है, बरसात में। उसमें मिट्टी आ जाती है, पानी उसमें ठहर नहीं पाता। इसलिये उस मिट्टी को जांच के लिये भेजा गया है। उसकी जो रिपोर्ट आयगी उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री जयकिशन : यह नहरों का निर्माण कब किया गया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : साथ ही कर दिया गया था।

श्री जयकिशन : क्या यह बांध पहले भी टूट चुका है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

कोटड़ी तहसील के गांवों का नया सेटलमेन्ट

३३७. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:- (१) क्या यह सही है कि कोटडी (भीलवाड़ा जिला) तहसील के कुछ गांव, जैसे पारोली, झावल आदि में नया सेन्टलमेन्ट हो रहा है तथा ६० गट्ठे की जरीब से सेटलमेन्ट किया जा रहा है ?

(२) क्या सरकार को विदित है कि इन गांवों में पहले जो सेटलमेंट हुआ था वह ८४ गट्ठे की जरीब से हुआ था ?

(३) क्या इस नये सेटलमेन्ट के बाद अभी जो किसान के पास जमीन है वह रकबे में ज्यादा होगी व जमीन ज्यादा होने से लगान भी ज्यादा बढ़ेगा ?

(४) अगर यह सही नहीं है तो ८४ गट्ठे की जरीब के बजाय ६० गट्ठे की जरीब से सेटलमेन्ट क्यों कराया जा रहा है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां, इन गांवों में रिवीज़न सेटलमेन्ट की कार्यवाही चालू है। परन्तु पैमायश ६० गट्ठे की जरीब से नहीं हो रही है।

(२) पहले जो सेटलमेन्ट हुआ था उसमें १५२।। फीट की जरीब से पैमायश हुई थी।

(३) जी नहीं।

(४)समानता लाने के लिये १५२।। फीट की जरीब के बजाय १३२ फीट की जरीब से पैमायश की जा रही है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या यह सही नहीं है कि इसका सेटलमेन्ट हो जाने के बाद जो अभी लोगों के पास जमीन है उस हिसाब से उसका रकबा बढ़ जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सही है कि १५२।। फीट की जरीब के बजाय १३२ फीट की जरीब से पैमायश जो होगी उससे रकबा बढ जायगा, लेकिन लगान नहीं बढ़ेगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जब आप रकबे के आधार पर लगान लेते हैं तो जब रकबा बढ़ जायगा तो लगान कैसे नहीं बढ़ेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मान लीजिये इस समय १०) रुपया दो बीघे पर है और जो नये तरीके से पैमायश हो रही है उस हिसाब से वह रकबा २।। बीघा हो जाता है, तो दस रुपये को ढाई बीघा में फैला दिया जायगा। इस तरह से लगान की रकम में कोई अन्तर नहीं आयगा।

श्री उमरावसिंह : एरिया बढ़ जाने से भी लगान में बढ़ोत्तरी नहीं होगी, क्या इस प्रकार का आश्वासन उस एरिया में रहने वाले किसानों को आप देने के लिये तैयार हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : It has been said more than many times.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : pardon, Sir, सुनाई नहीं दिया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा कि इस बात को इस सदन में और बाहर भी कई दफा कहा जा चुका है।

Page No 25

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सदन में जरूर कहा होगा लेकिन जिस इलाके के लोगों के सामने यह प्रश्न है क्या वहां के लोगों को आपने किसी भी प्रकार से सूचना दी है क्या कि रकबा बढ़ जाने पर भी लगान में बढ़ोत्तरी नहीं होगी ? ताकि उन लोगों को तसल्ली हो सके ? क्या इस प्रकार का आश्वासन विज्ञप्ति के आधार पर या तहसीलदारों के जरिये या सेटलमेन्ट करनेवालों के जरिये दिया गया है कि रकबा बढ़ जाने पर भी लगान में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह भ्रम तो फैलाया गया है। सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारी हमेशा से इस बात को स्पष्ट करते आये हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं खुद गया हूं, मैंने खुद ने वहां जाकरदेखा है, जमीन पर जरीब खींची जा रही है और पटवारी लोगों को यह कहते हमने देखा है कि लगान बढ़ेगा। वहां के लोग कहते हैं, यह तो हमारे साथ अन्याय है। मेरे सामने पटवारी ने कहा है कि जिस अनुपात से जमीन का रकबा बढ़ेगा उसी अनुपात से लगान में भी बढ़ोत्तरी होगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आज जो कुछ कहा जा रहा है उसे फाइनल माना जाय।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या आपने रेन्ट रेट सेंक्शन कर दी है उसके आधार पर आप कह रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें रेन्ट रेट की सेंक्शन का सवाल नहीं है।

श्री तेजाराम गहलोत : बाद में यदि रेन्ट रेट सेंक्शन होती है तो आप पहले किस प्रकार से आश्वासन दे सकते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि रकबे के बढ़ने से लगान नहीं बढ़ेगा। नोर्मल कोर्स में यदि दुबारा सेटलमेन्ट होता है, उससे लगान बढ़ता है, उसके लिये मैं निवेदन नहीं कर रहा हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : फी बीघे के ऊपर लगान लिया जाता है तो नया सेटलमेन्ट होता है तो उसके अन्दर रकबे के हिसाब से या बीघा के हिसाब से-लगान लेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो लगान होगा उसको ढाई बीघे में फला दिया जायगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जिसका हिसाब से पोने तीन बीघा होगा तो ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पौने तीन बीघा में फला दिया जायगा।

गालाखेड़ा बांध से निकलने वाली नहर

३३८. **श्री गोकुलचन्द** (कठूमर-सु०) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) अलवर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील में स्थित गालाखेड़ा बांध से चलने वाली नहर कितनी लम्बी है तथा कौन कौन से गांवों में होती हुई कौन से गांव तक पहुंचती है ?

(ख) यह नहर कब बनी थी ?

(ग) क्या यह सही है कि अब यह नहर बिल्कुल जमीन के बराबर आ गई है ?

Page No 26

(श्री गोकुलचन्द)

(घ) क्या कभी इसका निरीक्षण इन्जीनियर्स ने किया है ?

(ङ) क्या यह बात भी सही है कि वर्षा में पास वाले गांव 'नगला' माधोपुर में इतना पानी जमा हो जाता है कि तीन-चार माह तक गांव वालों को पानी में से ही आना-जाना पड़ता है ?

(च) अब कब तक सरकार इस नहर को खुदवा सकेगी और इसमें कितना खर्च होगा ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (क) इस बांध से दो नहरें निकलती हैं जिनमें प्रत्येक की लम्बाई १ मील है :—

(१) बांई नहर बंध के नगलों गांव तक जाती है।

(२) दांई नहर गालाखेड़ा से सौलसे ग्राम तक जाती है।

(ख) ये नहरें बहुत पुरानी बनी हुई हैं। बंध का निर्माण १८३८ में हुआ था। संभवतः ये नहरें बंध के साथ ही बनी हों।

(ग) लगातार वर्षा होने व नहरें बहुत पुरानी बनी हुई होने के कारण नहरों में विशेष मरम्मत की आवश्यकता है।

(घ) जी हां।

(ङ) जी हां। जब कभी वर्षा होती है।

(च) इन नहरों की मरम्मत आगामी रबी फसल के पूर्व कर दी जावेगी और इन पर लगभग १०,०००) रुपये खर्चा होने का अनुमान है।

श्री गोकुलचन्द : यह तो मरम्मत का सवाल नहीं है। पता ही नहीं लग रहा है कि नहर बनी भी हुई है या नहीं। अगर उस पर काम जल्दी नहीं होगा तो आने वाली बरसात में और मुसीबत हो जायगी।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आगामी रबी की फसल तक ठीक करा दी जायगी।

दिनांक १०-४-६२ स्थगित प्रश्न

भाखरा क्षेत्र के किसान

१४१. **श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या सरकार को विदित है कि भाखरा क्षेत्र के भूमिहीन किसानों और पुख्ता काश्तकारों की जमीनें किश्त अदा न करने की हालत में खारिज की जा रही हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इन भूमिहीन किसानों और पुख्ता काश्तकारों को जो जमीन कमाण्डेड मान कर दी गई है उसे आज तक नहरों का पानी नहीं लग रहा है या वह घग्घर नदी की बाढ़ के कारण लगातार चार साल से बिना पानी काश्त पड़ी है ?

(३) क्या सरकार उन्हीं किसानों से जिनकी जमीन में पानी लगा है अथवा जो बाढग्रस्त नहीं हुई है किश्तें वसूल करने का तथा बाकी काश्तकारों से किश्त वसूली की मयाद बढ़ाने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा):

(१) जी हां ।

(२) जी नहीं ।

(३) नियमानुसार कार्यवाही की जावगी ।

बरसाती पानी में डूबी हुई भूमि और पीड़ित किसानों को दी जाने वाली सहायता

दिनांक १६-४-६२ का स्थगित प्रश्न

२३२. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले की तहसील कामां, बयाना, वैर तथा रूपवास में हजारों बीघा उपजाऊ भूमि बरसाती पानी में डूबी हुई है ?

(२) यदि हां, तो किस किस तहसील में कितनी कितनी ?

(३) क्या पानी में घिरे किसानों को कोई मदद पहुंचाई गई है ? यदि हां, तो क्या ?

(४) क्या यह सच है कि डूब में आये खेतों पर भी सिंचाई कर और लगान वसूल किया जा रहा है ?

(५) डूब की इस समस्या के हल के लिये सरकार क्या कदम उठाने का इरादा रखती है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां ।

(२) तहसील- कामां—५,४३६ एकड़
तहसील बयाना १,००० एकड़
,, वैर ६० ,,
,, रूपवास ८१० ,, ।

(३) जिन किसानों पर भूमि डूब में आने का प्रभाव पड़ा है उन्हें दूसरी जगह पर बसाये जाने के बारे में कार्यवाही की जा रही है । तहसील कामां में ६,७७६) रुपये भू-राजस्व की रकम स्थगित कर दी गई है । शेष तहसीलों में भू-राजस्व स्थगित किये जाने अथवा छूट दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है । इसके अतिरिक्त बाढ़ पीड़ितों को पंचायत समिति, बयाना द्वारा ३,०५५) रुपये की धनराशि चारे के लिये बांटी गई है एवं तहसील कामां के लिये २५,०००) रुपये की धनराशि कर्जे के रूप में स्वीकृत की गई है ।

(४) डूब में आये हुए खेतों पर कोई सिंचाई कर या लगान वसूल नहीं किया जा रहा है ।

(५) तहसील कामां में पानी के निकास के लिये एक अन्तरप्रान्तीय (पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान) 'कामां पहाड़ी ड्रेन' नामक योजना स्वीकार हुई है और उसे चालू वित्तीय वर्ष में कार्यान्वित किया जावेगा । तहसील बयाना एवं रूपवास में पानी का प्रवाह नियमित करने के लिये सिंघावली ग्राम के निकट मार्जिनल बंध तथा रेगूलेटर लगाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री रामकिशन : क्या यह जो रिलीफ के लिये सहायता दी गई है वह क्या सरकार की तरफ से दी गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मदद सरकार की है और पंचायत समिति द्वारा दिलाई जाती है ।

Page No 28

श्री रामकिशन : यह रकम आग लगने के निमित्त सहायता के लिये जो फण्ड होता है उसमें से दी गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह फण्ड भी गवर्नमेन्ट प्रोवाइड करती है ।

श्री रामकिशन : आपने जो यह बताया कि रूपवास तहसील में सहायता दी गई वह कहां दी गई ?,

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां जहां दी गई वह मैंने उत्तर में निवेदन कर दिया है ।

श्री रामकिशन : वैर और रुपवास तहसील में भी पानी भरा है उसके लिये सहायता क्यों नहीं दी गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनको दी गई या नहीं, इस समय मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री रामकिशन : जितना रकबा क्षेत्र-फल डूब में है उसके हिसाब से जो सहायता दी गई वह काफी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें काफी नाकाफी का सवाल नहीं है । यह तो एक प्रकार से ग्रेचुटस रिलीफ होता है ।

श्री रामकिशन : जब कि यह मामला लगातार तीन वर्षों से विचाराधीन है तो हम यह कैसे विश्वास करें कि चालू वित्तीय वर्ष में यह काम पूरा हो जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरा उत्तर आपने सुना नहीं । मैंने निवेदन किया, यह योजना वित्तीय वर्ष में कार्यान्वित की जायगी ।

श्री रामकिशन : जब आप देखते हैं कि आज भी १८ हजार वर्ग मील क्षेत्र में पानी भरा है तो आने वाली बरसात में इससे भी दुगुना हो सकता है । यह तो निरन्तर बढ़ता जायगा तो इसको रोकने के लिये आपने क्या सोचा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने बताया था कि वित्तीय वर्ष १९६३ से पूर्व ही चालू करने की कोशिश की जायगी ।

श्री रामकिशन : स्थिति की गम्भीरता को समझने की कोशिश कोजिये । पानी में अभी जमीन १८,००० डूबी हुई है और जब यह बरसात आयेगी तो ३६,००० चली जायगी । पूरी की पूरी तहसील पानी में जाने वाली है और आप कह रहे हैं कि वित्तीय वर्ष में हो जायगा । यह मामला तो पिछले साल से चल रहा है, अब तक क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है । इसी आधार पर जल्दी से जल्दी पूरा किया जायगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : जिन क्षेत्रों के पानी में डूबने की रिपोर्ट आई है उन क्षेत्रों में कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई, क्योंकि नीचे से रिपोर्ट नहीं आई; अधिकारियों ने रिपोर्ट नहीं भेजी; तो क्या उन अधिकारियों से पूछने के प्रयत्न करेंगे कि खेतों के पानी में डूबने के बावजूद उन्होंने उन लोगों को वित्तीय सहायता देने की रिपोर्ट क्यों नहीं की ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह जरूरी नहीं है कि सब को सहायता दी जाय। सहायता डिज़र्व करने का भी सवाल है। एक आदमी को नुकसान पहुंचा, पर उसकी फाइनेन्शियल पोज़ीशन यह है कि सहायता की जरूरत नहीं हो तो सरकार ज़बरदस्ती सहायता नहीं देना चाहती। ऐसी आवश्यकता अनुभव हो कि बिना वित्तीय सहायता के काम नहीं चल सकता है, फाइनेन्शियल पोज़ीशन बिल्कुल खराब है तब सहायता देते हैं।

श्री रामकिशन : आपने कहा कि अन्तर्राज्य बोर्ड है; उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान का, तो उसकी क्या स्थित है ? उसका काम क्या शुरू हो चुका है और क्या है रिपोर्ट अब तक की ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसकी मीटिंग ३ बार हो चुकी है और उसके जो एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं वे अपना निर्णय जल्दी ही देंगे।

श्री रामकिशन : मीटिंग हो चुकी है, तीन बार या ६ बार, इसका प्रश्न नहीं है; लेकिन मीटिंग में क्या निर्णय हुआ है पानी निकलवाने के सम्बन्ध में ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : फाइनेलाइज़ नहीं हुई है रिपोर्ट, इसलिए इस स्टेज पर प्रोसीडिंग के बारे में जानकारी नहीं दे सकता। लेकिन इतना बता देना चाहता हूं कि सीरियसली इसको कन्सीडर कर रहे हैं और तीन बार मिल चुके हैं।

श्री रामकिशन : तीन बार अभी तक मीटिंग हुई है और तीन बार और होगी तब तक दूसरी बरसात आ जायगी और समस्या और भी गम्भीर हो जायगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी लास्ट मीटिंग उनकी २७ अप्रेल को हुई थी। उसमें कुछ न कुछ निर्णय हुआ होगा। लेकिन इस समय मेरे पास में इसको सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री हीराभाई (कुशलगढ) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ३११ रह गया है। उसका जवाब दिलवा दें।

(६.० म. पू.)

भारत में बनी विदेशी स्प्रिट तथा शराब पर आबकारी ड्यूटी सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रश्न

श्री अध्यक्ष : सदन द्वारा गैर-सरकारी संकल्पों पर वाद-विवाद प्रारम्भ होने से पूर्व दिनांक १४-४-६२ को श्री भैरोंसिंह तथा श्री मुरलीधर व्यास द्वारा विशेषाधिकार प्रश्न उठाने के संबंध में दी गई सूचनाओं पर मैं अपना निर्णय देना चाहूंगा। इन माननीय सदस्यों ने अपनी सूचनाओं में जो तर्क दिये हैं उनका सार यह है कि भारत में बनी विदेशी स्प्रिट तथा शराब पर राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली बढ़ी हुई आबकारी ड्यूटी के लगाने तथा वसूल करने के सम्बन्ध में जो तरीका राज्य सरकार द्वारा अपनाया गया है उसमें वित्त मंत्री ने दिनांक ३-४-१९६२ को इस विषय में मेरे द्वारा दिये गये निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए अपनी गलती स्वीकार करने से इन्कार किया है, इसलिए उन्होंने सदन का अपमान तथा सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन किया है।

(श्री अध्यक्ष)

इस सदन तथा उसके सदस्यों को विशेषाधिकारों का विनिश्चय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद १६४ (३) में प्रावधान किये गये हैं। इनके अनुसार राज्य के विधान मंडल के सदन के विशेषाधिकार, शक्तियां तथा उसकी अनुभुक्तियां वही हैं जो हमारे संविधान के प्रारम्भ के समय ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स की थी। दूसरे शब्दों में हमारे विशेषाधिकार वे ही हैं जो हमारे संविधान के प्रारम्भ के समय हाउस ऑफ कॉमन्स के थे तथा किसी भी नये विशेषाधिकार का निर्माण नहीं किया जा सकता। अतः मेरे निरूपण की दृष्टि में वित्त मंत्री द्वारा अपनी गलती को स्वीकार करने में जो तथाकथित असमर्थता प्रकट की गई है उससे विशेषाधिकार का हनन होता है या नहीं, इस प्रश्न का निर्णय करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि आया हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या कभी ऐसा प्रश्न उपस्थित हुआ है। मैंने मेज़ पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस को देखा है, किन्तु उसमें ऐसा कोई दृष्टान्त दृष्टिगोचर नहीं हुआ जिससे उपरोक्त दो माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सूचनाओं में जो मांग की गई है उसको समर्थन मिल सके। अतः मैं इस प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, पहले एक बात तो यह है कि जैसा कि अध्यक्ष महोदय जो व्यवस्था दे चुके थे उसके विपरीत जो वक्तव्य दिया गया है उसके सम्बन्ध में तो इसमें यह कहा गया कि पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस के अन्तर्गत वैसे आता नहीं है। उसके साथ ही साथ यह भी कहा गया था कि राज्य को घाटा जो इस प्रकार से आगे से टैक्स लगाने से नुक़सान हुआ है वह भी इस तरह से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की तरह है। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष : जो बातें माननीय सदस्य ने अपने नोटिस में उठाई थी उन सबको ध्यान में रखते हुए व्यवस्था दी गई है।

श्री मुरलीधर व्यास : उसका उल्लेख नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न उठाये गये थे। एक तो यह है कि........

श्री अध्यक्ष : Order please.

संकल्पों को सदन में लेने सम्बन्धी व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : जैसा कि माननीय सदस्यों के ध्यान में है कि आज का दिन और कल गैर सरकारी कार्यों के लिये निश्चित किये गये हैं और दो संकल्प इस समय तक आज लिये जा सकेंगे। अगर दोनों में दो-दो घंटे ही माननीय सदस्य लगायें तो दो संकल्प आज लिये जा सकते हैं। इसलिये जो संकल्प पहला है वह श्री ए० जब्बार का है। उस पर बहस ११ बजे तक समाप्त हो जायगी और साढ़े दस बजे सरकारी पक्ष की ओर से उत्तर शुरू हो जायगा और उसी तरह का प्रावधान दूसरा जो संकल्प लिया जायगा उस पर है; ताकि बहस एक बजे तक समाप्त हो जाय। इन बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य इस बहस में भाग लें तो ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य इसमें हिस्सा ले सकेंगे और वे संक्षेप में बोलें ताकि संकल्प पर जितने भी ज्यादा मत हों वे सदन के समक्ष

(श्री अध्यक्ष)

प्रस्तुत हो जायें।

(विराम)

श्री अब्दुल जब्बार।

तारांकित प्रश्न सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, ३११ का प्रश्न रह गया माननीय अध्यक्ष, मैंने फिर से पुकारने की आशा की थी; लेकिन नहीं पुकारा गया तो इसको कब लिया जायगा, इसके आदेश हो जायें।

श्री अध्यक्ष : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री हीराभाई : परम्परा ऐसी चली आ रही है।........

श्री अध्यक्ष : सदन में आप नहीं आये थे इसलिये नहीं लिया गया। इसका यह मतलब नहीं है कि ११ बजे आपके सारे प्रश्न रखे जायें।

श्री हीराभाई : यह बहुत इम्पोर्टेन्ट....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर!! आप सुन तो लें। आप अपनी ही बात रखे जाते हैं। प्रश्न के लिए हमेशा एक घन्टा रखा जाता है उसमें सारे प्रश्न समाप्त हो जायें तो जो माननीय सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं और समय बाकी रहता है तो उनके प्रश्न दुबारा लिये जाते हैं; लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा चाहे समय समाप्त हो जाय तो भी हर माननीय सदस्य के प्रश्न को लिया जाय।

श्री हीराभाई : जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : सारे प्रश्न जरूरी माने जाते हैं।

(६. १० म. पू.)

राजस्थान में बैटरमेन्ट लेवी की वसूली बन्द करने सम्बन्धी गैर सरकारी संकल्प

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : [संकल्प इस प्रकार है : "इस सदन की सम्मति है कि राजस्थान में बेटरमेन्ट लेवी की वसूली बन्द की जाये"] अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करना चाहता हूँ कि लैण्ड स्पेशल इर्रिगेशन चार्जेज़, १९५३ के तहत जो बेटरमेंट लेवी राजस्थान में वसूल की जा रही है और कई जगह की जाने की संभावना है उसको राजस्थान में नहीं वसूल किया जाय, राजस्थान में उसकी वसूली खत्म की जाय, क्योंकि एक वैलफेयर स्टेट या जनता की शुभचिन्तक कहलानेवाली सरकार का यह प्रथम कर्तव्य होता है कि वह जनता को खुशहाल बनाने की कोशिश करे। अगर खुशहाल बनाने के काम में खुशहालीकर लगाना सिद्ध करता है कि उस राज्य के निवासियों को खुशहाल होने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार यह टैक्स केवल आज ही नहीं, यह टक्स बीकानेर स्टेट में भी लगाया था; लेकिन उसमें और इसमें काफी अन्तर है। स्टडी से यह पता चला कि बीकानेर के टाइम में साढ़े सात आने पहली पीवल पर और ५ आने दूसरी पीवल पर जनता से वसूल किये जाते थे, लेकिन

(श्री अब्दुलजब्बार)

केवल यह पानी के टैक्स के रूप में वसूल किये जाते थे। आज हम देखते हैं कि हमारी सरकार पानी का भी पैसा लेती है और एक दलील यह रखती है कि हमारे पानी से आपकी फसल अच्छी पैदा हुई है, इस कारण हम आपसे बैटरमेंट टैक्स चार्ज करते हैं, बैटरमेंट लेवी चार्ज करते हैं।

वास्तव में यदि गौर से देखा जाय तो यह कानून, यह बैटरमेन्ट लेवी एक्ट ऐसा मोटा हथियार है जो काश्तकार को मरने भी नहीं देता और जिन्दा भी नहीं रहने देता है। आज यदि गौर से देखें तो दलील में कहा जाता है कि बैटरमेंट लेवी इसलिये लगाई गई है कि जमीन की कीमत बढ़ गई है। सन् १९५७ के एक्ट से यह कहा है कि हमारे केनाल प्रोजेक्ट्स के जरिये पानी दिया जाता है और उसके कारण जमीन की वेल्युएशन ज्यादा हो गई। लेकिन अध्यक्ष महोदय, कूओं से भी सिंचाई की जाती है। आज फर्स्ट क्लास कूए बने हुए हैं उनसे सिंचाई होती है और नहरें निकाल दी गई हैं। अब समझ में नहीं आता कि नहर का पानी काश्तकार ले लेते हैं तो उनसे यह कहा जाय कि हमारे ही पानी से कीमत बढ़ी है तो क्या जो कूए पहले से बने हुए थे उनकी बकत नहीं थी? क्या उनकी वजह से इजाफा नहीं हुआ? आज भी वही कीमत है और उस वक्त भी वही थी। रहा सवाल सिर्फ यह कह देना कि हम नहर निकालते हैं, पानी देते हैं तो अच्छी फसल होती है; अध्यक्ष महोदय, यदि खेत में खाद नहीं देंगे, फर्टीलाइज़र नहीं देंगे, अच्छी फसल नहीं बोई जाय, अच्छा बीज नहीं डाला जाय तो खाली पानी से फसल नहीं बढ़ती है। तो कैसे कहा जा सकता है कि जमीन की कीमत केनाल से बढ़ जायगी? केवल इतना ही नहीं; बल्कि इस कानून को एन्फोर्स करने के लिए, रायज करने के लिये एक्ट में तीन जगह प्रोविज़न आ चुका है कि इसे कोर्ट में चेलेन्ज नहीं किया जा सकता। The assessment is final. यदि कोई पार्टी जाती है और उसने एसेसमेन्ट कर दिया कि यह टैक्स लगेगा तो वह फाइनल हो गया। सेक्शन ५ है उसमें लिखा है :

"Charges will be equal to the half of the value of the total cost of the land prior to the enforcement of the scheme." एक बांध बनने से पहले इस एरिया में जो जमीन आती है उसकी कीमत को और बांध बनने के बाद उसकी जो कीमत है उसके आधार पर उसकी कीमत की आधी फीस इस रूप में वसूल की जायगी और साथ साथ दूसरा अंग है :

"Half of the land chargeable in the flow irrigation will be charged in the lift one."

दो तरह के इर्रिगेशन हैं। एक बाई फ्लो और दूसरा बाई लिफ्ट। फ्लो और लिफ्ट का डिफरेन्स दिया है। जहां फ्लो से इर्रिगेशन है वहां चार्जेज़ हाफ ऑफ दी वेल्यू ऑफ लैंड है और जहां लिफ्ट है वहां "half of the total amount assessed on flow irrigated area."

इस प्रकार से दो किस्म का फर्क रखा गया है। साथ साथ किसी एक्ट में

(श्री अब्दुलजब्बार)

गवर्नमेंट अपने टैक्स को वसूल करने के लिये यह कह देती है कि हमें किसी भी सूरत में अदालत में नहीं जाने दिया जायगा। रेवेन्यु ड्यूज़ को किस तरह से वसूल करते हैं ? उसी तरह से पी. डी. आर. की तहत इसकी भी वसूली होगी और साथ साथ प्रायोरिटी भी दी जायगी। कानून को पढ़ने से यह ज्ञात होगा कि काश्तकार के घर में यदि औरत या उसका बच्चा बीमार है और उनके लिये दवाई लेने के लिये वह पैसे लेकर बाजार में जाता है और उस पर डिमान्ड नोटिस सर्व कर दिया है तो कानून यह कहता है कि उससे पैसा वहीं छीन लिया जाय। ऐसी प्राथमिकता इस कानून के जरिये दी जाती है। साथ साथ यह भी कहते हैं कि किसी सूरत में यदि फसल खराब हो जाय तो उसके लिये सरकार जिम्मेदार नहीं है, यदि बांध से पानी नहीं पहुंचे, इर्रिगेशन पूरा नहीं हो और उसके कारण या रिपेयर्स के कारण पानी नहीं पहुंचे और फसल खराब हो जाय तो सरकार पर सूट फोर डेमेजेज़ नहीं किया जा सकता। यह सोचने की बात है। दोनों हाथों में लड्डू रखने की पॉलिसी आज के जनतन्त्र के युग में सराहनीय नहीं है। यह कानून काश्तकारों पर सिर्फ इसलिये लगाया जा रहा है कि काश्तकार आज जो अधिकार पाने के अधिकारी हैं उसे नहीं पा सकें। साथ साथ बैटरमेन्ट लेवी काश्तकारों पर सिर्फ नहरी पानी के लिये ही नहीं है, बल्कि जो डेवलपमेंट के कार्य स्टेट में चलते हैं उनके आधार पर भी बैटरमेंट लेवी चार्ज की जा सकती है। इस सम्बन्ध में मैं एक छोटी सी मिसाल पेश करता हूं। है तो वह मजाकिया मिसाल ही, लेकिन क्योंकि बैटरमेन्ट लेवी के सम्बन्ध में गवर्नमेंट की स्कीम के आधार पर यह मिसाल फिट बैठती है; अध्यक्ष महोदय, नाई की दूकान पर दाढ़ी बनाने के लिये कोई सदस्य जाय तो दूकान पर रेट लिखी रहती है, तीन आने के पैसे दाढ़ी बनाने के। वहां पर आप बड़ी खुशी से जायेंगे, बैठेंगे। दाढ़ी बनाने के बाद हर तरह से तेल, क्रीम, पाउडर वगैरह लगा कर चमका कर वह सलाम ठोकेगा और बाद में पैसे देकर आप बाहर चले आयेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आज नाई से भी ज्यादा होशियार है। नाई तो तीन आने के पैसे लेता है गाल चमका कर, तेल, पाउडर, क्रीम लगा कर, इसलिये कि उसने बैटरमेंट किया है; इसका पूरा क्लेम बैटरमेंट चार्जेज़ का है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि हम कीमत सुधार रहे हैं, फसल सुधार रहे हैं; लेकिन यह किस तरह माना जाय कि प्रोजेक्ट्स के कारण ही फसल में सुधार हुआ है ? जहां गवर्नमेंट यह कहती है कि प्रोजेक्ट्स के द्वारा हम किसानों को खुशहाल बनाना चाहते हैं वहां यह भी कहते हैं कि हम टैक्स वसूल करना चाहते हैं........

श्री भीखाभाई (सिंचाईमन्त्री) : नाई सेलून में बैठाता है तब ३ आने लेता है या रास्ते पर भी ३ आने लेता है ?

श्री अब्दुल जब्बार : लग़ज़ूरियस तरीके की फीस का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आमतौर से दाढ़ी बनाने के ३ आने लेता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सरकार की हजामत सस्ती बनती होगी।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : लाये तो आप जोरदार आदमी हैं, भैरों-सिंहजी ।

श्री अब्दुलजब्बार: इसमें जो पेरेनियल इर्रिगेशन का एक्ट में प्रोविजन रखा है, रूल्स में भी है, थ्रू आउट दी इयर पानी देने का सवाल आता है । मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, गवर्नमेन्ट किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन फील नहीं करती है, न इस बात को मानने को तैयार है कि लोस होगा तो अदालत में चेलेन्ज किया जा सकता है, बल्कि साथ साथ रेस्ट्रिक्टेड इर्रिगेशन सिस्टम है, उसके साथ साथ यह भी नहीं कहा जा सकता कि जहां काश्तकार के खेत में पानी पहुंच रहा है तो टैक्स लिया जायगा और यदि नहीं पहुंच रहा है तो नहीं लिया जायगा, बल्कि नहीं पहुंचने पर भी लिया जायगा । इस सम्बन्ध में दो, तीन ऐसी मिसालें बताता हूँ जिनसे जाहिर हो जायगा कि काश्तकारों के खेत में पानी नहीं पहुंचा, पिलाई नहीं हुई और उसके बावजूद भी जमीन का पैसा लिया जाता है । टैक्सेशन के सम्बन्ध को बैटरमेन्ट लेवी के बीच में इसलिये लाना पड़ता है, इस महकमे की स्कीम से सम्बन्ध है । काश्तकार के खेत में २ बीघा १ बिस्वा चना हो तो ४ बीघा १ बिस्वा की फीस वसूल की जाती है । इस किस्म के खेत मेरी नॉलेज में हैं और मिनिस्टर साहब को बताऊंगा । वास्तव में सरकार यह दावा करती है कि बैटरमेन्ट करने के लिये उत्सुक है, काश्तकारों को राहत देना चाहती है, लेकिन वास्तव में कतई तरीके से सिद्ध हो जाता है कि गवर्नमेन्ट टैक्सेज़ के द्वारा गरीबों को दबाना चाहती है । इसके अलावा कोई बात नहीं है । बैटरमेन्ट हो जाय और बाद में बैटरमेंट टैक्स लगावें तो अलग बात है । लेकिन गांवों में सड़कें नहीं हैं, काश्तकारों के लिये अस्पताल नहीं हैं, गांवों में लाइट नहीं है, वहां पर स्केवेन्जिग सिस्टम नहीं हैं, फिर बैटरमेन्ट चार्जेज़ लगाना गैर वाजिब है । शहरों में इलेक्ट्रिसिटी है, बड़े बड़े कारखाने खोले जाते हैं, चीपेस्ट से चीपेस्ट रेट पर पॉवर दी जाती है लेकिन कभी यह बात सुनने में नहीं आती है कि बैटरमेन्ट चार्जेज़ उन पर लगाये जाते हों ।

एक क्षेत्र से अगर इलेक्ट्रिक की लाइन निकल जाती है तो वहां कहा जायगा कि बिजली दे दी जायगी और उस क्षेत्र की जमीन की वेल्युएशन, प्लॉट्स की वेल्युएशन बढ़ जाती है । वहां बिजली आती नहीं है लेकिन जो गरीब काश्तकार बेजुबान समझे जाते हैं और उन पर बैटरमेंट लेवी का बोझ लादने की कोशिश की जाती है । इस प्रकार मैं खुल कर कहता हूँ कि बैटरमेंट चार्जेज़ एक तरह से अप्रजातांत्रिक हैं और काश्तकारों के ऊपर कुठाराघात हैं !और इस बैटरमेंट चार्ज को राजस्थान सरकार को कतई वसूल नहीं करना चाहिए । वास्तव में अगर इस प्रकार के टैक्सेज़ काश्तकारों के ऊपर लगाये गये तो यह मेरा बिल्कुल निश्चय है कि काश्तकार इस बात के लिये तैयार हैं कि वे ऐसे बांधों से पानी लेना बन्द कर देंगे और अपने कूए चालू कर देंगे और उसके बाद सरकार ने जो यह सोच कर काश्तकारों को बांधों से पानी देना शुरू किया कि जमीन की अच्छी तरह से इर्रिगेशन हो तो अच्छी फसल पैदा होगी, यह मन्सूबा फेल हो जायगा ।

काश्तकार आज टैक्सेज़ के बोझ से इतना दब चुका है कि आप एक काश्तकार के टैक्स

(श्री अब्दुलजब्बार)

का अन्दाज लगायें । जब वह अपनी पैदावार लेकर मंडी में जाता है और मंडी में पैदावार बेच कर वापिस आता है इस बीच उस पर जो टैक्स लगते हैं वे इस बुरी तरह से लगते हैं कि जो पैदावार उसने मंडी में १६) रुपये मन में बेची है उसकी कीमत १३) रुपये ही रह जाती है । लोग कहते हैं कि काश्तकारों को अच्छी प्राइस मिलती है, लेकिन मैं कहता हूं कि वह बेचारा घाटे में जाता है । जब वह मंडी में अपना माल ले जाता है तब से ऑक्ट्रय, टोल टैक्स, मंडी का टैक्स, दान–कर्जा वगैरह देने के बाद, सेल्स टैक्स देने के बाद जो उसे कीमत मिलती है वह १३) रु०, १४) रुपये मन रह जाती है । ऐसी स्थिति में चारों तरफ से उस पर टैक्सेज़ का बोझ लादा गया तो मेरा मानना है मेरी धारणा है कि काश्तकार बहुत परेशान होकर उस टाइम के लिए इन्तजार कर रहा है कि जिस दिन वह जमीन छोड़ दे और कह दे कि हमसे खेती नहीं होती है । इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि बैटरमेन्ट लेवी राजस्थान में वसूल नहीं करनी चाहिए ।

इसके साथ ही इसका वसूल करने का तरीका है वह इतना खतरनाक है कि अगर टैक्स ठीक टाइम पर नहीं दिये जायं, लमसम में नहीं दिये जायं तो उन पर ब्याज लगा कर वसूल किया जाता है । यानी एक साल में जो एक फिक्स्ड अमाउन्ट है वह फिक्स्ड टाइम पर नहीं दिया गया और किसान किश्तों में चुकाना चाहता है तो वह अमाउन्ट मय ब्याज के वसूल किया जायगा । लेकिन उसके साथ साथ कानून बनाते वक्त सरकार यह अन्दाज नहीं लगा सकती है कि काश्तकारों की कितनी रकम सरकार के पास वर्षों से पड़ी हुई है । ऐसे मसले हैं, जो दस–दस, बारह–बारह साल से पड़े हुए हैं लेकिन पैसा नहीं दिया गया है । अगर किसान पैसा लेते वक्त ब्याज क्लेम करेगा तो उसको कहेंगे कि तुम्हें पैसा मिल रहा है, यही गनीमत समझो । सरकार क्या करती है कि किसान के ऊपर बकाया रकम पर ब्याज लगाती है और फख्र के साथ उस रकम को वसूल करने के लिए नियम बनाती है । जिस तरह डंडे के बल पर पठान पैसा लेने जाता है उसी तरह सरकार उसके पास जाती है । किसान जो सच्चे मायने में आज देश का अन्नदाता बना हुआ है, जो सच्चे मायने में आज देश को सरसब्ज बनाने की कोशिश कर रहा है उसके लिये कानून बनते हैं तो मैं समझता हूं कि किसी तरह से उसको खुशहाल बनाने की ओर राज्य सरकार का ध्यान नहीं जाता है और उसे गरीबी के गड्ढे में डालने की सरकार की नीति है । ऐसी स्थिति में इस बैटरमेंट लेवी को गड्ढे में डाल देना चाहिये और इसे वसूल नहीं करना चाहिए । यही मेरा निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद ।

श्री गोकुलप्रसाद (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव रखा गया है सदन के सामने कि राजस्थान में बैटरमेंट लेवी की वसूली बन्द कर दी जाय, मेरा इसमें संशोधन है कि जहां 'राजस्थान में' लिखा हुआ है, उसके पश्चात् ये शब्द लिख दिये जायं : "जिस जमीन पर सरकार द्वारा चाही का लगान वसूल किया जा रहा है और जिस जमीन पर सरकार सिंचाई के लिये पानी साल भर बराबर नहीं दे सकती है उस पर," इसके पश्चात् शब्द "बैटर-

(श्री गोकुलप्रसाद)

मेंट लेवी की वसूली बन्द कर दी जाय" हैं ही। बैटरमेन्ट लेवी लेना मूल में कोई बुरा नहीं है। जमीनों की कीमत बढ़ी हो या नहीं, लेकिन आमदनी कुछ जरूर बढ़ी है बांधों से, जो बांध बांधे गये हैं नदो-नालों पर और बजट के देखने से मालूम पड़ता है कि छः करोड़ है उस पर राज्य सरकार को ब्याज देना पड़ता है, जो इस काम में खर्च किया है नदी-नालों पर बांध बनाने में, उस पर तीन करोड़ रुपये के आसपास ब्याज देना पड़ेगा। अब उस रुपये को नहीं चुकाया गया, किसी प्रकार रुपया लेकर तो जो हमारे यहां रेवेन्यू का पैसा आता है और जो और कामों में खर्च होता है वह सारा इस ब्याज में दे दिया जायगा, फिर भी मूल बाकी का बाकी रहेगा और सरकार कर्जदार बनी रहेगी। लेकिन अब सवाल यह है कि बैटरमेंट लेवी किन लोगों से लेनी चाहिए? वैसे सरकार ने कुछ पहले फर्क कर रखा है, पानी की सिंचाई की रेट में - जहां पर ज्यादा पैसा लगाया है; करोड़ों रुपयों, अरबों रुपयों के आसपास लगाया है और जहां छोटे छोटे बांध बनाये गये हैं, जिनका नाम केवल बांध है। लेकिन बरसाती नदी को बांध दिया गया है। ऐसी नदी जो साल भर तक नहीं चलती है और जिससे साल भर तक पानी नहीं दिया जाता है उसको कह दिया कि यह बांध है और उसकी सिंचाई की रेट भी पच्चीस, पचास परसेन्ट ज्यादा रखी है। तो जहां हर साल आप पानी की पिलाई ज्यादा ले लेते हैं और साल भर पानी नहीं दे सकते इसलिए वहां आपको बैटरमेंट लेवी नहीं लेनी चाहिए; क्योंकि उनका बैटरमेंट नहीं हुआ है, न वे खुशहाल ही हैं। खुशहाल वे तब हो सकते हैं जब कि साल भर तक पानी देते। अब आपने पिलाई की दर में फर्क रखा है। जहां आपने करोड़ों रुपया एक एक बांध में लगाया है, सुनते हैं सौ करोड़ एक बांध पर लगाया है, दूसरा पचास करोड़ का है, तीसरा चालीस करोड़ का है; इस तरह के दो, तीन बांध हैं वहां पर सरसों की रेट है वह सवा पांच है और जिस जमीन को चाही कहा जाता है, गंग केनाल और भाखरा के बाद दूसरी जगह सरसों की रेट सात रुपया है। ज्वार पर हम लोग तो सात रुपया पर एकड़ दें और वे लोग जिनको साल भर पानी देते हैं और जो पैसा कमाते हैं उनसे चार रुपया पर एकड़ गवर्नमेन्ट लेती है! हमसे सात रुपया लेते हैं और जहां बड़े बांध हैं वहां रेट कम लेते हैं, सवा पांच रुपया लेते हैं! जहां करोड़ों रुपया लगाया है वहां सिंचाई की रेट कम ले रहे हैं। गन्ना हम पिलाते हैं तो हमसे चार रुपया पानी पिलाई का लिया जाता है, जहां पर कि छोटे छोटे नालों पर बांध बांधे हुए हैं और जिनसे पानी लिया जाता है उनसे डेढ़ रुपया पर एकड़ लिया जाता है। आप देखिये डेढ़ रुपये और चार रुपये में फर्क है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमसे पिलाई ज्यादा वसूल कर लेते हैं और उसके बाद बैटरमेंट लेवी का नाम आता है। सरकारी अधिकारी यह समझते हैं कि किसानों को बोलने की आदत नहीं है। तो पटवारी जो स्लिप ले जाता है, चार्ज की जो डिमान्ड स्लिप ले जाता है उसके अनुसार किसान को रुपया देना पड़ता है, इस डर से कि कहीं सरकार तंग न करे। यह समझ कर जो बैटरमेंट लेवी लगाने का प्रावधान रखा है यह बहुत बुरा है। किसानों के हृदयों पर इसको चोट पड़ती है और किसान जब सुनते हैं कि जहां साल भर पानी दिया जाता है उनसे लिया जाता है डेढ़

(श्री गोकुलप्रसाद)

रुपया और हमको एक, दो दफा पानी दे देते हैं, कभी कभी पानी बराबर नहीं दिया जाता है क्योंकि वर्षा नहीं होती है. और किसानों के खेत सूख जाते हैं उसके बाद भी उनको चार रुपया देना पड़ता है । ऐसी हालत में बैटरमेंट लेवी ली जायगी तो बहुत बुरा होगा, किसानों को बहुत दु:ख होगा । इसलिये जो बड़े बांध हैं, जिनसे साल भर पानी मिलता है, वहां के लोगों से बैटरमेन्ट लेवी ली जाय और जहां छोटे छोटे नालों पर बांध बांधे गये हैं, उनसे बेटरमेन्ट लेवी न ली जाय ।

निम्बाहेड़ा से आये हुये माननीय सदस्य ने, जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है, उन्होंने बताया कि किसान कूओं से पिलाई करते हैं । हमारे यहां तो ज्यादातर नालों पर बांध बांधे गये हैं, इसलिए मैं नालों की बात करता हूं । बड़े-बड़े बांध हमारे इलाके में हैं नहीं । अब यह कहते हैं कि क्योंकि पिलाई ली जाती है इसलिये बैटरमेंट लेवी ली जायगी । जहां लोगों ने कूए महनत से खोदे हैं, पुराने जमाने में खोद रखे हैं, जो चाही का लगान देते हैं । जहां आठ रुपया एक बीघा का देते हैं, पहले से खुशहाली टैक्स पांच परसेन्ट, दस परसेन्ट बीघा पर दे देते हैं, यहां तक कि एकड़ पर पन्द्रह रुपया देते हैं । उससे चाही का लगान लेते हुए अब आप कहते हैं कि बैटरमेंट लेवी और लें । मैं समझता हूं कि आप वहां चाही का लगान बन्द कर दें, बारानी का लगान लिया जाय क्योंकि वे वर्षों से देते हैं, पिलाई में देते हैं और डबल पिलाई दे रहे हैं; पांच वर्ष, सात वर्ष और दस वर्ष हो गये हैं, उनसे आप बराबर पैसा ले रहे हैं चाही के हिसाब से । उस चाही लगान को ही आप बैटरमेंट चार्जेज़ मान लें । इसलिए मैं तो निवेदन करूंगा कि चाही का लगान छोड़ दीजिये, कतई बन्द कर दीजिये और जितना पिछले समय में लिया है उस पैसे को आप बैटरमेंट लेवी मान लीजिये । क्योंकि बैटरमेंट लेवी उससे लेनी चाहिए जिसे आप साल भर तक पानी दें, जिनको आपने नई जमीन दी है, जिनके लिए आपने पानी पिलाने के साधन कर दिये हैं उनसे बैटरमेंट लेवी लीजिये या फिर जिन क्षेत्रों में साल भर पानी नहीं देते हैं उनको साल भर तक पानी दिया जाय, तब बैटरमेंट लेवी ली जाय । मेरा यही कहना है कि आप बैटरमेंट लेवी उन्हीं से लीजिये जिनको आप बराबर पानी साल भर देते आते हैं और उनसे नहीं ली जावे जिनको आप पानी नहीं देते हैं । यही कह कर मैं निवेदन करूंगा कि बैटरमेंट बिल्कुल बन्द कर देंगे तो बहुत काम बन्द हो जावेंगे । इसलिये बैटरमेंट लेवी ली जानी चाहिये, लेकिन उन्हीं से ली जावे जिनको आप पानी बराबर देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुकुटबिहारीलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री श्योपतसिंह ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी है....

श्री अध्यक्ष : आपका समय पर नहीं आया था ।

श्री श्योपतसिंह (हनमानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, बैटरमेंट लेवी के बारे में जो सबसे

(श्री श्योपतसिंह)

ज्यादा असर होने वाला है और मैं समझता हूँ कि यह जो बैटरमेंट लेवी लगाई है और इसके लिये एक्ट में रखा गया है, यह बिल्कुल ही गलत चीज है । यह भाखरा क्षेत्र में बैटर-मेंट लेवी लोगों पर लगाई गई है और इसके लिये यह बात कही जाती है कि भाखरा की नहर आने से आपकी जमीन की कीमत बहुत बढ़ गई है जो पहले कम थी, इस जमीन की पैदावार पहले कम थी यह भी बढ़ गई है । जब से भाखरा की नहर आई है तब से पानी की वजह से जमीन की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जैसा सरकार कहती है कि जितनी कीमत बढ़ी है उसका १।२ सरकार वसूल करती है । नहर आने के बाद उन्होंने माना है कि कहीं रेट्स लगाये हैं वे ७०) हैं तो कई गांवों में १६५) रु०; तो कुछ एरिया में २०८) रु० करीब एक बीघा पर लगाये गये हैं । अब यह समझ में नहीं आता कि सरकार का इस संबंध में वेल्युएशन का जो तरीका है वह किस आधार पर बना हुआ है और सरकार ने क्या सोच कर वेल्युएशन किया है । कहीं सरकार ने १६५) रुपये लगाये हैं । जहां पर सरकार ने १६५) रुपये लगाये हैं उसके लिये सरकार यह मानती है कि आधी कीमत जो बढ़ी है उसका बैटरमेंट १६५) रु० है । तो उस जमीन की कीमत जिसका लगान १६५) रु० है कीमत ३३०) रु० है और कुछ जगह पर ४००) रु० से ज्यादा सरकार मानती है, लेकिन अजीब तमाशा है कि जहां सरकार ने खुद ने जमीन नीलाम की है, ऑक्शन की है, भाखरा की नहर आने के बाद भी २००) रु०, २५०) रु०, ३००) रुपये व ४००) रुपये में दी है और आप बैटरमेंट लेवी लगाते हैं तो इतनी ज्यादा लगाते हैं और यह मानते हैं कि इतनी कीमतें बढ़ गई हैं । मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूँ । मैं यह कहूंगा कि आपने यह ठीक तरह से बैटरमेंट लेवी नहीं लगाई है । आपने दफ्तरों में बैठ कर ये कीमतें आंकी हैं । आपने इसके लिये कोई सर्वे नहीं किया है कि वहां की जमीन की कीमत क्या थी और अब नहरी पानी आने के बाद कीमत क्या हो गई है । इस तरह का सरकार ने कोई रेश्यो नहीं निकाला है ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि मैं इस बात को मानता हूँ कि आपका यह प्ली ठीक है कि भाखरा की नहर आने से हमारी जमीनों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सरकार ने इसमें जितनी बढ़ोतरी मानी है वह गलत है । मगर इसके साथ साथ सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि किसानों के साथ जो पक्षपात किया जा रहा है यह साफ है कि जहां सरकार हम लोगों से टैक्स वसूल करती है और यह कह कर कि जमीनों की कीमतें बढ़ गई हैं, बैटरमेंट हुआ है, मगर क्या सरकार उन लोगों से भी जहां नहर का पानी नहीं आने से इजाफा नहीं हुआ है और फिर भी कीमतें बढ़ी हैं उनसे भी कोई ज्यादा टैक्स वसूल कर रही है या अकेले किसानों की जमीन पर ही बैटरमेंट लेवी ली जा रही है ? इसके लिये अगर आप शहरों में जाकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जो दूकानें दूकानदारों ने पहले पांच-पांच हजार रूपयों में खरीदी थीं वही जमीन और जायदाद ५०-५० हजार रूपयों की हो गई हैं । उसकी जमीन में १० गुना इजाफा हो गया है । उन दूकानों की जमीन की कीमतें पहले से कई गुना और बढ़ गई हैं । इसके अलावा आज से १० वर्ष पहले जो

(श्री श्योपतसिंह)

कारखानेदारों ने जमीन हासिल की थी उसमें भी आज १० या २० गुना तक इजाफा हुआ है। क्या सरकार उन लोगों से यह भी कहेगी कि आपके प्लॉटों की जमीन की कीमत इतनी ज्यादा हो गई है ? आप सी स्कीम में देखें तो आपको मालूम होगा कि जयपुर में आज से १० वर्ष पहले जो कीमतें थीं उससे प्लॉटों की कीमतों में १०गुना इजाफा हो गया है। उनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देकर कहती है कि किसानों की जमीन में नहर आने से कीमत में इजाफा हुआ है, इसलिये बैटरमेंट लेवी ली जानी चाहिये। इसलिये मैं यह कहूँगा कि अगर दूसरों से न लेकर सिर्फ किसानों से ही इस प्रकार बैटरमेंट लेवी ली गई तो सारे किसानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। इसलिये मैं सरकार के सामने सुझाव देता हूँ कि जिस तरह से पंजाब में बैटरमेंट के लिये कमेटी बनी, जिस समय इसके लिये आन्दोलन हुआ, पंजाब के सारे किसानों ने आन्दोलन किया तो पंजाब सरकार ने इस कमेटी को मुकर्रर किया इसी तरह से मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि बैटरमेंट टैक्स लगाने से पहले उस इलाके के प्रतिनिधियों और दूसरे नॉन ऑफिशियल्स की कमेटी बनाई जावे या कोई कॉन्फरेन्स बुलाई जावे जिसमें यह तय किया जावे कि कितनी कीमत बढ़ाई जावें और कितनी किसान दे सकता है और कितना लगान होना चाहिये। उसकी जमीन की कीमत कितनी बढ़ी हैं, आया उसके बैटरमेंट लगना चाहिये या नहीं लगना चाहिये; इसके लिये बाकायदा सर्वे हो और उसके बाद जांच होनी चाहिये। इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष, मैं यह कहूँगा कि अभी किसान इस हालत में नहीं हैं कि भाखरा क्षेत्र में वे बैटरमेंट टैक्स को दे सकें।

मैं आपका ध्यान, उप-मन्त्री ने कुछ समय पहले सदन में एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि यह टैक्स १२ वर्षों में २४ अर्ध वार्षिक किश्तों में वसूल करना है। उन्होंने यह भी बताया था कि २०८) रु० लिये जावेंगे। उन्होंने यह नहीं बताया कि कहीं पर १६५) रु० लिये जावेंगे। इसके लिये हमारे गांवों में नोटिस पहुंच गये हैं। अगर यह १२ महीनों में २४ अर्ध–वार्षिक इन्सटालमेन्टों में वसूल करे तो एक किसान जिसे ७) रु० प्रति बीघा टैक्स देना होगा, उसके अलावा वह बैटरमेंट के अलावा वाटर रेट भी देता है। इतना टैक्स वसूल करने के बाद स्वयं सरकार यह कह दे कि कोई टैक्स वसूल नहीं करते हैं; सरकार यह कहती है कि पानी की वजह से जमीन की कीमत बढ़ी है जिसकी वजह से हमें पानी का भी टैक्स देना पड़ता है, यह अलग है। जो लोग फसलें बोवेंगे उतने अपने हिस्से के वाटर टैक्स के रूप में सरकार को पैसा देते हैं।

इसके अलावा एक प्ली सरकार आमतौर से हमारे सामने रखती है और जैसा प्रश्न के उत्तर के समय माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि सरकार ने इस बांध पर बहुत रुपया लगाया है; उन्होंने कहा कि करीब १४ करोड़ रुपया सरकार को वसूल करना है। मेरे से पूर्व वक्ता महोदय ने इस बात को बताया कि हमारे इस बांध पर बहुत रुपया खर्च हुआ है। हम मानते हैं कि यह रुपया खर्च हुआ है और आपने जो खर्च किया है वह हम लोगों से वसूल करेंगे। मैं इस बात को सही मानता हूं और यह कहना चाहता हूं कि हमसे वसूल

(श्री श्योपतसिंह)

किया जाना चाहिये और मैं पहला आदमी हूंगा जो इसका समर्थन करूंगा और मेरी पार्टी इसमें विश्वास रखती है कि हम लोगों से यह रकम वसूल होनी चाहिए जो इसका फायदा उठाते हैं। तो इसके लिये मैं, माननीय अध्यक्ष, सरकार की एक तरफ यह नीति है कि बड़ी कीमतों से लेना चाहिये वहां पर भाखरा एरिया में ९ लाख बीघा जमीन ऐसी है जिससे सरकार बैटरमेंट टैक्स वसूल करेगी और उससे १८ करोड़ रुपये वसूल करने हैं। ९ लाख एकड़ से सरकार को आमदनी होगी।

इसके साथ साथ ४,२२,६२५ बीघा रकबा ऐसा है भाखरा क्षेत्र में जो सरकारी है जिसकी सरकार कीमत वसूल कर रही है। डेढ़ लाख बीघा जमीन सरकार को ऑक्शन करनी है, कुछ ऑक्शन कर चुकी है और कुछ ऑक्शन करने जा रही है। इससे सरकार को ६ करोड़ रुपयों की आमदनी होगी। भाखरा क्षेत्र में डेढ़ लाख बीघा जमीन ऑक्शन होगी और उससे करीब ३ करोड़ रुपया सरकार को मिलेगा। इसके अलावा ५० हजार बीघा जमीन उस इलाके के भूमिहीन किसानों को दी गई है कीमत से, जिससे सरकार को डेढ़ करोड़ रुपया हासिल होगा। २ लाख बीघा एरिया ऐसे काश्तकारों को दिया गया है जो संवत् ८५ के बाद काश्तकार हैं, उससे सरकार को ४ करोड़ रुपयों की रकम मिलेगी, सरकार को आमदनी होगी। इसके साथ ही साथ ३० हजार बीघा जमीन जागीरदारों और भोमियों को दी है, उसकी कीमत सरकार उनसे वसूल करेगी और उसकी कीमत होती है १ करोड़ रुपया। इसके अलावा ५० हजार बीघा जमीन सूरतगढ़ मेकेनाइज्ड फॉर्म में दी है, उसकी २ करोड़ रुपया कीमत वसूल हो सकती है। उसकी कीमत राजस्थान सरकार वसूल नहीं कर रही है। तो मैं निवेदन करूंगा कि केन्द्रीय सरकार से इसकी कीमत वसूल की जाय। जैसे केन्द्रीय सरकार ने हमें बांधों के लिये रुपया दिया है और उस रकम का केन्द्रीय सरकार हमसे ब्याज लेती है तो हम भी इस बात के हकदार हैं कि ५० हजार बीघा जमीन केन्द्रीय सरकार को दी है उस जमीन की कीमत हमको मिले।

मंडियों के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि २१ मंडियां भाखरा क्षेत्र में सरकार बनाने जा रही है। सरकार का एस्टीमेट है कि करीब ४ करोड़ रुपयों की आमदनी इन मंडियों से सरकार को होगी। मैं मानता हूँ कि इन मंडियों में डेवलपमेंट के लिये २ करोड़ रुपया रख दिया जाय तो भी २ करोड़ रुपयों का तो सरकार को मुनाफा होता है। इसके अलावा भाखरा क्षेत्र में १६ लाख बीघा जमीन पर पानी लगेगा। उस जमीन का भाखरा की नहर आबपाशी करेगी और उससे सरकार को ६० लाख या ५० लाख रुपया वाटर रेट के हिसाब से मिलेगा। मैं मानता हूं कि २५ लाख रुपया इन नहरों की मेन्टीनेन्स के लिये और अफसरों की तनख्वाह के लिये रख लेते हैं तो भी २५ लाख रुपयों की बचत होती है और वाटर रेट से ५ करोड़ रुपया सालाना सरकार को आमदनी होगी।

इसके अलावा केन्द्रीय सरकार ने बांधों के लिये हमारी सरकार को रुपया दिया है उसका ब्याज लगाया है। हम केन्द्रीय सरकार से कहेंगे-

(श्री श्योपतसिंह)

राजस्थान सरकार केन्द्रीय सरकार को कहेगी भाखरा नहर के पेरेनियल होने के बाद कि हमारा क्षेत्र ५० लाख मन गेहूं केन्द्रीय सरकार को फालतू सप्लाई करेगा। आज भारत सरकार अमेरिका से और दूसरे क्षेत्रों से गेहूं, अनाज मंगाती है। भाखरा नहर के पेरेनियल होने के बाद में ५० लाख मन अनाज हमारा यह क्षेत्र केन्द्रीय सरकार को देगा तो विदेशों से भारत सरकार को ५० लाख मन अनाज कम मंगाना पड़ेगा। उसके भाड़े की बचत होगी, इसके लिए केन्द्रीय सरकार को राजस्थान सरकार कहे कि इसका व्याज छोड़ दिया जाय इससे सरकार को फायदा होगा।

तो इस तरह से सारा टोटल लगायें कि इस इलाके से सरकार को जो आमदनी हो रही है उस रकम को जोड़ें, कितनी रकम होती है। हम सरकार से कहते हैं कि उस इलाके के लोगों को कम कीमत पर जमीन दे तो सरकार एक सवाल हमारे सामने खड़ा करती है कि हमने बांधों पर रुपया लगाया है। हम कहते हैं कि हम वह रुपया आपको देंगे, पर सरकार इस नाम पर लूटा–खसौटी करना चाहती है, उस इलाके के किसानो को दबोचना चाहती है। आज जब देश आगे बढ़ रहा है तो उस इलाके के किसान भी सोचते हैं कि हमारे गांवों में अच्छे स्कूल हों, अच्छे मकान हों, हमारे बच्चे पढ़े–लिखे हों और इन्सान की जिंदगी बसर कर सकें और ऐसी दशा में वे बैटरमेंट लेवी देने की हालत में नहीं हैं। उनके पास थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं, उस हालत में इस प्रकार के टैक्सेज़ सरकार उनसे वसूल करना चाहेगी, अगर उनसे जबरदस्ती छीनना चाहेगी तो मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार पंजाब में एक बड़ा आन्दोलन-बगावत हुई वहां के लोगों में और पंजाब सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा कि कम कर देंगे, १३३ करोड़ में से करीब ३० करोड़ रुपया पंजाब के मुख्य मंत्री ने कम किया, मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि कहीं ऐसा मौका यहां पर न आये कि बेटरमेंट लेवी चार्ज करने जा रहे है, बिना लोगों की राय लिये हुए, बिना लोगों की हालत को देखे हुए बैटरमेंट लेवी वसूल करना शुरु किया तो मुझे अन्देशा है कि सारे राजस्थान में कहीं ऐसी आग नहीं भड़क उठे कि जो फैसला आप ले रहे हैं आपको उस फैसले को फिर बदलना पड़े। अच्छा यह है कि इस प्रकार का फैसला करने से पहले, बैटरमेंट लेवी टेक्स लेने से पहले सोचें, उन लोगों से पूछें और उनकी हालत को देख कर ही फैसला करें। हम इस बात के हामी हैं और हमारी पार्टी इस बात की हामी है कि बैटरमेंट टैक्स लगे, पर उन लोगों की हालत को देखते हुए यह बैटरमेंट टैक्स लगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सिंचाई मंत्री महोदय इस बात पर सोचेंगे और यह मौका नहीं आने देंगे कि उस इलाके के किसानों को यह महसूस हो कि सरकार ने उन पर ज्यादा बैटरमेंट टैक्स लगाया है और इस तरह उनके दिलों में सरकार के प्रति बगावत की भावना पैदा न हो, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बैटरमेंट लेवी टैक्स का प्रश्न नॉन ऑफिशियल रिज़ोल्यूशन के रूप में उपस्थित है। इस प्रश्न के साथ नई योजना के सिंचाई क्षेत्रों के किसानों का मसला जुड़ा हुआ है। इर्रिगेशन चार्जेज़ के कानून के मुताबिक यह तय किया हुआ है कि सिंचाई होने से पहले जो धरती का मूल्य था उससे आधे मूल्य का बैटरमेंट लेवी टैक्स लिया जायगा। पर जिस प्रकार की इसकी रूपरेखा बनाई जा रही है उससे इस कानून का पूर्ण रूप से उल्लंघन किया जा रहा है। भाखरा क्षेत्र में लिये जाने वाले बैटरमेंट लेवी टैक्स को लीजिये। उसकी दर इतनी अधिक है कि पहले की दरों से इस प्रकार कतई मेल नहीं खाती। यदि इस क्षेत्र के पुराने बन्दोबस्त की दर देखें तो आश्चर्यचकित हो जायेंगे कि किस तरह यह बैटरमेंट लेवी टैक्स लगाया जा रहा है।

मुख्य दलील के रूप में यह कहा जाता है कि १४ करोड़ रुपया जो सरकार भाखरा क्षेत्र में खर्च करने जा रही है उसकी वसूली किस प्रकार की जावेगी। लेकिन इस सम्बन्ध के अन्दर सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। एक ओर मंडी क्षेत्र में प्लॉट्स की बोली की जाती है और उस क्षेत्र में ऐसे दृश्य उपस्थित हो रहे हैं कि छोटे २ प्लॉट्स ४०–४० हजार रुपयों में ऑक्शन हुए हैं। उस धरती का ऑकशन हुआ है। सरकार यह कारण मान ले कि धरती का मूल्य अधिक हो गया पुराने सेटलमेन्ट के अनुसार तो वह गलत है। धरती पर आज प्रेशर इतना अधिक हो गया है, काश्त करने वालों की इतनी तादाद हो गई है कि उसका मूल्य अधिक होता और सरकार कुल ऑक्शन की इजाजत देती है जिससे प्रिविलेजड लोग उससे लाभ प्राप्त करते हैं, उस भूमिहीन किसान के मुकाबले में जिसको वास्तव में धरती मिलनी चाहिये, उस धरती का मूल्य लगाने में वह महरूम रहता है। मैं अर्ज करूं कि इस भाखरा क्षेत्र में विभिन्न दरें इस बैटरमेन्ट लेवी की सरकार ने लगाई है। उसके पास की जो धरती है भारतवर्ष में उसको बहुत अच्छी आर्चिटेक्चरल योजना माना है और विश्व के अन्दर सबसे बड़ी लाइन होने का उसको सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसकी एक रिपोर्ट रेवेन्यू कमिश्नर, राय बहादुर श्री बिहारीलाल ने उपस्थित की थी, आंकड़े उपस्थित किये थे। ३ करोड़ १० लाख रुपया गंग केनाल योजना में खर्च हुआ। उसका निर्माण केवल दो वर्ष में हुआ। वह एक सामन्ती युग की चीज थी, गाली निकालते हैं और उसके मुकाबले में जो प्रगतिशील होने का दावा करते हैं, समाजवादी बनने का दावा करते हैं सन् १९२६ के अन्दर सर गंगासिंह उसकी फाउन्डेशन–ले करते हैं और सन् १९२८ के अन्दर वह योजना पूर्ण हो जाती है और उससे सिंचाई होनी शुरु हो जाती है। जिस रूप में सिंचाई होने वाली थी, नजराना लिया और खुश हैसियत टैक्स लगाया। अगर आप नजराना और खुश हैसियत टैक्स के फीगर्स देखें तो सदन आश्चर्य चकित रह जायगा।

मैं आपके सामने रायबहादुर श्री बिहारीलाल ने जो आंकड़े रखे थे वह रखना चाहूँगा कि उस योजना में जो कन्स्ट्रक्शन पर खर्च हुआ वह सन् १९४३,४४ तक पूरा हो गया। पहले वाटरिंग पर ७॥ आना, दूसरे पर ५ आना एस्केप रेट हैं और थर्ड वाटरिंग पर ५

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

आना और कुछ पाई, जिसको खुश हैसियत टैक्स के नाम से कहा गया है और नजराना लिया गया वह इतना नोमिनल था, मामूली था और जो किश्तें थीं वे भी २० वर्ष के फैलाव में थीं। मैं निवेदन करूं कि सन् १९२८ से लेकर ४३-४४ तक रिसीट दो करोड़ और कुछ लाख थी और उसके अनुसार बैटरमेन्ट चार्जेज २।) रु० कुल आते थे। मंडियों के प्लॉट्स की भी नोमिनल रेट्स थीं। वहां की प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट के फीगर्स अर्ज करूं तो आपको आश्चर्य होगा। थोड़े समय में ही गंग केनाल का ३ करोड़ और १० लाख रूपया प्राप्त हो गया और रियासत लाभ में चलने लगी। जिस रियासत की आमदनी सालाना २५ लाख थी उसकी रेवेन्यू ३ करोड़ हो गई। आज समाजवाद और विकास के नाम पर इससे पहले कि कोई खुशहाली हुई नहीं है, भाखरा क्षेत्र में नहरों के अन्दर पानी आया नहीं है किसान की आंखों के अन्दर, आज सरकार प्रचार करती है १९५) रुपया और २०८) रुपया और कहीं कहीं स्थानों पर तो १३६) रु० बीघा इस रूप में खुशहाली टैक्स लागू किया गया है, वह क्षेत्र है जिसके असेसमेन्ट फीगर्स अर्ज करूं उसके अन्दर घग्घर बैड आता है, टीबे भी उस क्षेत्र में हैं। रेगिस्तानी इलाका है, सौ-सौ वर्षों से वहां किसान बैठा है। किसान आकाश की ओर आंख लगा कर देखता है चार बूंद भाग्य से धरती पर आ गई तो उससे कुछ अनाज हो गया, उसको कुछ समय के लिए स्टॉक कर लिया, उस पर अपनी जिन्दगी को लगा दिया। वैसे पशुधन ही उसकी जिन्दगी का मुख्य अंग रहा है। नाली क्षेत्र में जो लोग बैठे हुए थे वर्ष दर वर्ष घग्घर नदी की बाढ़ आती रही है और ऐसी स्थिति रही है कि इन्सान भूखों मर रहा है, वह टीबों में घुसता है। मलेरिया का प्रकोप हुआ। आप भाखरा क्षेत्र का निर्माण करने जा रहे हैं। इससे किसान के अन्दर एक आशा की किरण आयी। ऐसी सूचना सदन को दी गई कि लोग उस धरती पर बैठे हुए हैं। १२-१४ मील दूर से पानी ढोकर लाया जाता है। बीकानेर स्टेट के वक्त में ऐसे करुण दृश्य देखने को मिले हैं कि हनुमानगढ़ और दूसरे स्टेशनों पर पानी रेल से पहुंचाया जाता था। लोगों की क्यू लगी होती थी और पानी के घड़े के लिए हत्यायें हो गई, कत्ल हो गये, आपस में लड़ मरे। आप पानी ला रहे हैं लेकिन उस पर आप इतना बड़ा भारी बैटरमेन्ट लेवी टैक्स लगा कर उस किसान को खत्म ही कर देना चाहते हैं। उसकी जिन्दगी में खुशहाली आवे उससे पहले आप उससे टैक्स वसूल करना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि आप टैक्स लीजिये, खर्चा पूरा कीजिये, इससे मैं सहमत हूँ। जैसे हनुमानगढ़ से आने वाले साथी ने निवेदन किया, कुछ मदे हैं जिनसे खर्चा पूरा होगा। १ करोड़ २५ लाख की धरती नीलाम की। करोड़ों रुपयों की धरती नीलाम करने जा रहे हैं। २१ आपकी मंडियां होंगी। आपके हिसाब से ४ करोड़ रुपया प्राप्त होने जा रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ४ करोड़ से अधिक प्राप्त होने जा रहा है। एक एक मंडी दस-बारह करोड़ से कम नहीं देने जा रही है। फसलें बाकायदा होने लगेंगी तो उससे टैक्स लेंगे। चने और कपास पर टैक्स लगा रखा है और उससे करोड़ों रुपया प्राप्त होगा। ट्रान्सपोर्ट को नेशनलाइज़ कर लेंगे

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

तो उस क्षेत्र से आपको लाखों रुपया केवल ट्रान्सपोर्ट से प्राप्त हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सारे आंकड़ों को जोड़ कर देखें तो जहां तक खर्चे का प्रश्न है कोई कठिनाई उपस्थित नहीं होने जा रही है। पंजाब सरकार ने १३३ करोड़ रुपया इस टैक्स से वसूल करने की बात सोची। पंजाब की धरती इस धरती से अधिक उपजाऊ है। उस धरती का मूल्य देखा जाय तो वह इस धरती के मुकाबले में अधिक है। पंजाब की 'ए' क्लास धरती मानी गई है। धरती के सम्बन्ध में सारे स्टेट-वाइज़ फीगर्स हैं उन पर गौर करें तो पंजाब की धरती अधिक कीमती है और उस धरती का मूल्य हनुमानगढ़ और बीकानेर की धरती से अधिक है। जब वहां पर १३३ करोड़ रुपया टैक्स से वसूल करने की बात हुई तो वहां पर आन्दोलन हुआ और जनता ने मांग की कि वह टैक्स नहीं देंगे। वहां एक नॉन ऑफिशियल जनता कमेटी कायम हुई। उसने दुबारा उनका निरीक्षण किया और उसके बाद नतीजे पर पहुंची कि १३३ करोड़ रुपया जो वसूल किया जा रहा है वह अनुचित है। उसको घटा कर १३० रुपया कर दिया गया। पंजाब में ३६) रु० बीघा से कहीं अधिक खुशहाली टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा है जबकि हमारे यहां १६५) रु०, २०८) रु० और १३६) रु० के हिसाब से पर बीघा वसूल किया जा रहा है।

(१०-०. म० पू०)

जिन चीजों को रियासती जमाने के अन्दर स्वीकार किया गया था, जिस धरती से नहरें पास होती हैं, जहां नहरों का पानी लगता है काफी समय से उस गंग केनाल एरिया के आंकड़ों पर गौर फरमाइये, वहां आठ वर्ष तक उपज बहुत शिथिल रही। शुरु में धरती के अन्दर पानी एडॉप्ट नहीं होता है, काफी तादाद के अन्दर पानी वहां देने की आवश्यकता होती है। जब वहां पानी एब्ज़ोर्ब होने लग जाता है उसके बाद उसके रिटेन करने की कितनी शक्ति है, सेन्डी धरती है या किस प्रकार की है, वह उपज में किस प्रकार से वृद्धि कर सकती है क्ले सोइल है जिसके लिये कई बार कहा जाता है, "गीली गोया सूखी लोया"। वहां की आम धरती के अन्दर कलर है। बीकानेर स्टेट की असेसमेन्ट रिपोर्ट है, सेटलमेन्ट रिपोर्ट है जिसके अनुसार नला क्षेत्र के अन्दर अकेले अनूपगढ़ के अन्दर बहुत अधिक धरती, करीब दो लाख बीघा धरती को ऐसा माना है जो कलर धरती है। इसी प्रकार हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वह बहुत अधिक क्षेत्र कलर क्षेत्र है। जिस धरती के अन्दर सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट बहुत मात्रा में है, जिस धरती को सॉल्टिश कह सकते हैं। उसकी उपज बढ़ाने के लिये पहले उसके कलर को समाप्त करना होगा। क्योंकि जब तक उस कलर को समाप्त नहीं करते उसमें उपज नहीं हो सकती। उसके लिये पानी को और समय की आवश्यकता है। इस धरती को उपजाऊ बनाने के लिये कलर से संघर्ष करना पड़ेगा, लगातार पानी देना पड़ेगा, वहां चावल जैसी काश्त होगी तभी जाकर वहां का कलर समाप्त होगा। इस तरह से आपने वहां से बैटरमेंट लेवी के नाम पर १३६,२०८ और १६५ रु० खुशहाली रेट्स तय किये हैं, यह उनके साथ न्याय नहीं है। किसानों में जब वास्तविक रूप से खुश-

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हाली आ जायगी उसमें समय लगेगा। उसमें पांच-सात वर्ष लग जायेंगे। वैसी हालत में जब वे खुशहाली को प्राप्त कर लें तो उनसे इस प्रकार का टैक्स वसूल किया जा सकता है। सामन्ती युग के अन्दर भी इस सम्बन्ध में किसानों को इन्साफ की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन समाजवादी अपने आपको कहलाने वाली सरकार द्वारा इस प्रकार की रियायत नहीं मिल सकती तो मैं निश्चित रुप से कह सकता हूं कि भाखरा क्षेत्र का किसान जहां से आप खुशहाली टैक्स लेना चाहते हैं इसको चुनौती के रुप में स्वीकार करेगा और इसके लिये आपको किसानों के आन्दोलन का मुकाबला करना पड़ेगा। वहां से आप सहज में यह टैक्स वसूल नहीं कर सकेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख है वह है राजस्थान में जहां जहां भी खुशहाली कर लगता है वह बन्द होना चाहिये; इस प्रकार का है। जहां तक खुशहाली कर का सवाल है इसमें सरकार का जो दृष्टिकोण है वह यह है कि सरकार ने जो इसके लिये साधन उपलब्ध कराये हैं और उन साधनों का जो लाभ किसानों को मिलता है इससे जो उनकी जमीन की कीमत बढ़ गई है इन सब बातों का ख्याल करके उनसे खुशहाली कर वसूल करते हैं। पर सरकार जब यह तय कर लेती है कि हमें खुशहाली कर के रूप में १४ करोड़ रुपया वसूल करना है तो वैसी हालत में जब सरकार इतना रुपया अन्य उपायों से भी वसूल कर सकती है तो यह खुशहाली कर लगाने की क्या आवश्यकता ? अन्य साधनों के जरिये यह रुपया अगर प्राप्त हो जाता है तो खुशहाली कर लगा कर इसको वसूल करना, मैं समझता हूँ, यह नैतिक दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है क्योंकि सरकार ने जब घोषणा कर दी कि हमें इसका रुपया वसूल करना है और वह रुपया दूसरे साधनों से उपलब्ध हो जाता है तो फिर खुशहाली कर क्यों लगाया जाय ? नीति के तौर पर हमें यह सोचना चाहिये कि खुशहाली कर हम इसलिये लगाना चाहते हैं कि हम इर्रिगेशन के लिये रुपया लगाते हैं, नहरें निकालते हैं, जहां जहां भी नहरें जाती हैं उस जमीन की कीमत बढ़ जाती है और बैटरमेंट लेवी के नाम से सरकार उनसे वसूल करना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हम बिजली के लिये भी करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। बिजली शहरों और दूसरे इलाकों में जाती है उससे भी तो आखिर खुशहाली आती है। आप उसके लिये तो बैटरमेंट लेवी के नाम से कुछ भी वसूल नहीं करते। जब आप इसे नीति के रूप में मान्य करते हैं तो आपको बिजली पर भी यह कर लेना चाहिये। यह कहा जा सकता है, हम बिजली के ऊपर टैक्स लगा कर पैसा वसूल करते हैं उसी तरह से जहां नहरें चली गई हैं वहां की जमीन का भी तो आप पैसा लेते हैं। लेकिन इसी तरह से योजना के अन्तर्गत अन्य चीजों के लिये पैसा लगाते हैं फिर भी वहां से वसूल नहीं करते हैं, यह चीज नहीं होनी चाहिये। जितना भी रुपया आप प्राप्त करें टैक्स के रूप में या सिंचाई दरों की वृद्धि के रूप में या अन्य तरीकों से जमीन बेच कर प्राप्त करें, लेकिन बैटरमेंट लेवी के रूप में आपको वसूल नहीं करना चाहिये।

(श्री मुरलीधर व्यास)

दूसरी ओर जब वसूल कर लेते हैं तो वे इस बात के हकदार हो जाते हैं जहां खुशहाली आ गई इसलिये उन लोगों से खुशहाली कर लेना चाहिए। लेकिन आपने कभी यह भी देखा है जहां नहरें गई हैं वहां पानी की वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है, या तो कई जगह पानी पहुंचा नहीं या पहुंचा है तो उससे नुकसान हो रहा है जिससे किसान परेशान हो गया ? खास तौर से मैं आपके सामने बूँदी जिले का जिक्र करूंगा जहां पर पहले कुओं से सिंचाई होती थी और अब नहरें निकाली गई हैं; वहां पर बैटरमेंट लेवी वसूल की जाती है। जहां आप देखेंगे तो फसलें पहले से कम हुई हैं, पानी ठीक तरह से पहुंचा नहीं है, नुकसान हो रहा है, बार बार वहां के किसान कहते हैं कि हमारे खेत बरबाद हो रहे हैं फिर भी आप बैटरमेंट लेवी वसूल कर रहे हैं। होना तो यह चाहिये कि वहां जो नुकसान हो रहा है उसके हरजाना देने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिये। लेकिन जहां इस प्रकार से हरजाना होता है वहां हर-जाना देने की बात नहीं। सरकार 'ल' अक्षर जानती है 'द' अक्षर नहीं जानती। लेने की बात सरकार कर सकती है, देने की सरकार की नीति नहीं है, यह न्यायसंगत बात नहीं है। कल्याणकारी सरकार के सामने एक स्टेन्डर्ड होना चाहिये। वे इसका ख्याल करें कि हमारे कारण जहां नुकसान होता है वहां हरजाना भी दें। कई स्थानों पर जमीन डूब में आ गई है। जितना पहले उत्पादन होता था उससे कई गुना कम हो गया है। आप इस बारे में कमेटी बैठा कर जांच करवा सकते हैं कि बूँदी जिले के अन्तर्गत किन किन क्षेत्रों में कब कब पानी दिया गया और पहले वहां कितना उत्पादन होता था और अब कितना होने लगा है। प्रोडक्शन कम या ज्यादा होता है, यह देखने की आपकी जिम्मेदारी है। अगर वाकई में कहीं नुकसान होता है उनको तो आपको हरजाना देना चाहिये और फिर बैटरमेंट लेवी लगानी चाहिये। तो यह दृष्टिकोण आपको बनाना चाहिये।

इसके साथ ही साथ आप समाजवादी दृष्टिकोण की बात करते हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट में घूम कर देखा है; एक, दो पर्सेन्ट किसान हैं जिनके पास एक से पांच बीघा जमीन है। ८० परसेन्ट ऐसे हैं जिनके पास एक-एक दो-दो बीघा है ! वे पहले से अधिक तकलीफ में हैं। उनके पास अपनी आजीविका लायक जमीन नहीं, भर पेट अनाज वे पैदा नहीं कर सकते, वे पहले से भी ज्यादा तकलीफ में हैं। ऐसी जमीन है जिस पर पांच आदमियों का वह पेट नहीं भर सकता। उसको आप खुशहाली समझते हैं और खुशहाली समझ कर उस पर भी टैक्स लगाने जा रहे हैं ! बलिहारी है आपके इस समाजवादी दृष्टिकोण की ! खुशहाली तो उसको कहते हैं कि जिसके पास पहले से ज्यादा साधन हो गये हों, ज्यादा उत्पादन हो गया हो, ज्यादा रुपया हो गया हो। परन्तु उस व्यक्ति के लिये जो पहले भी दो रोटी पाता था, आज भी दो रोटी ही मिलती है; बल्कि यह होता है कि उस दो रोटी में भी घाटा पड़ जाता है उसे आप खुशहाली कैसे समझ सकते हैं ? उसको भी खुशहाली समझ कर टैक्स लगाना समाजवाद की एक प्रकार से उपेक्षा है।

(श्री मुरलीधर व्यास)

समाजवादी दृष्टिकोण एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें कि नहर निकलने से किसे लाभ हुआ है, कौन खुशहाल हुआ है। आज भाखरा नहरी एरिया की यह स्थिति है कि पानी पहुंचने की भी वहां निश्चित स्थिति नहीं है। फसल तो बो देते हैं पर समय पर पानी नहीं मिलता और फसल का नुकसान हो जाता है, उल्टे। पाकिस्तान के साथ सन्धि के कारण भी ठीक समय पर पानी नहीं मिलेगा। तो इस कारण से और पंजाब अधिक पानी ले लेता है इस कारण से हमारा कितना नुकसान हो रहा है, इसका आपने आज तक सर्वे नहीं कराया। जहां जहां नहर गई है वहां कितना प्रोडक्शन बढ़ा, इसकी सर्वे आप नहीं कराते। आज ऐसा काफी इलाका है जहां पानी पहुंचता नहीं, फिर भी बैटरमेन्ट लेवी आप वसूल करना चाहते हैं। यहां तक कि बीकानेर जिले में जमीन की कीमतें बढ़ गईं पर वहां अभी बीस साल तक पानी आ नहीं सकेगा। इसके बावजूद भी आप वहां से भी खुशहाली कर वसूल करना चाहते हैं, जिसका कोई न्यायिक आधार नहीं है। आप खुद सरकारी रिपोर्ट देख लीजिये। तीसरी योजना के अन्तर्गत लिखा है, पानी पहुंचने में किन्हीं दिक्कतों के कारण या अव्यवस्था के कारण कई जगह पर जो लाभ पहुंचना चाहिये वह लाभ नहीं पहुच सका है। मैं इस रिपोर्ट की एक-दो पंक्तियां आपके सामने पढ़ कर सुना देता हूं :-

"The defective distribution system, excessive slopes in channels, excessive seepage in the banks, inadequacy of the number of falls and minors."

तो जब सरकार स्वयं इस बात को मानती है कि लाभ नहीं पहुंचा तो फिर यह खुशहाली कर किस बात का है? हां, इससे कोई नुकसान हुआ, यह वे नहीं लिखते। यह तो दूसरे लोग बताते हैं। बूंदी से न जाने कितने डेपुटेशन सरकार से मिले। इससे अन्दाज लगा लीजिये कि वहां कितना नुकसान हुआ। तो यह बात तो दर्ज नहीं होती। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह एक ऐसी कमेटी बैठावे जो यह जांच करे कि किस क्षेत्र में पानी पहुंचा है, किसमें नहीं पहुंचा है, कौन वाकई खुशहाल हुआ है, कौन नुकसान में है, अनइकोनोमिकल होल्डिंग वाली जमीन कितनी है। आज भी कितनों के पास पहिनने को कपड़ा है, कितनों के पास नहीं है, कितने आज भी भिखमंगों की तरह फटे हाल और आधे भूखे, आधे नंगे हैं। यह सारी जांच करवाकर फिर आप खुशहाली कर लगावें तब तो ठीक है, नहीं तो यह समाजवाद की घोर उपेक्षा होगी और यह आपके लिये एक कलंक की बात भी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की कमेटी बैठाकर आप सही जांच करावेंगे और जहां खुशहाली नहीं हुई है वहां कर नहीं लगावेंगे। जहां खुशहाली हुई है वहीं पर कर लगाना चाहिये। वहीं पर यह बैटरमेन्ट लेवी होनी चाहिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, जो बेटरमेंट लेवी की बात हो रही है उसके सम्बन्ध में मुझे भी थोड़ा कहना है। ये जो बांध बांधे हैं और उन पर जो खर्चा किया गया है उस पर आप अगर लेवी लेना चाहते हैं और खुशहाली की गई तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नजर नहीं आती।

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

पर इसके सम्बन्ध में कुछ सुझाव में प्रस्तुत करना चाहता हूं।

आसीन्द तहसील में खारी बांध बन्धा है। एक फसल के लिये, रबी की फसल के लिये पानी दिया जाता है। उसमें फी बीघा जो ५०) रुपये की लेवी लगाई है वह बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, इसका कारण मैं बताता हूँ। वहां की तहसील में पहले से ही लगान १८) रुपये और २०) रुपये प्रति बीघा है जो अधिक है। इसके अलावा बहुत सी जमीन ऐसी है जिसमें पहले से ही कुंए बने हुए हैं और इस कारण पहले से ही वह पीवल है। फिर यह भी है कि ये ५०) रुपये एक मुश्त लिये जावेंगे और किश्तों में अगर लिये जावेंगे तो ६२॥) रुपये लिया जावेगा। जब वहां के किसानों को लगान भी अधिक देना पड़ता है तो मेरा सुझाव यह है कि यह लेवी ५०) रुपये ही लगें और वह भी दस सालों की किश्तों में वसूल की जावे। यह ज्यादा उपयुक्त और अच्छा होगा।

दूसरी अर्ज यह है कि रेवेन्यू विभाग उस एरिया से १८) और २०) रुपये बीघा लगान लेता है, जो इस बाँध के कमान्ड एरिया में आता है और जहां पहले से ही कुंए बने हुए हैं। तो नहर आने से वहां की जमीन की कीमतें नहीं बढ़ी कुंए पहले से ही होने की वजह से, मगर नहरों की वजह से कुछ सुविधा बढ़ी है, यह कह सकते हैं। तो ऐसे एरिया के लिये कह सकता हूं कि ५०) रु० फी बीघा के हिसाब से लेवी वसूल करना उचित नहीं होगा। जहां पहले से ही सिंचाई के साधन हैं, कीमतें जमीन की पहले से ही इतनी थीं और जिनमें कोई रद्दोबदल नहीं आया है तो ऐसी जमीनों से बैटरमेन्ट लेवी वसूल नहीं की जानी चाहिये।

दूसरी अर्ज यह है कि इस बांध से जितनी जमीनें पीवल की जाती हैं उन जमीनों में अगर जिस फसल के लिए पानी दिया जाता है वह अगर पानी पूरा दिया जाय और उनको इस पानी से फायदा हो उस हालत में अगर बैटरमेंट लेवी वसूल की जाय तो उपयुक्त होगा। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन करना है कि इस बांध के अन्दर इतनी लम्बी नहरें बनादी गई हैं कि ३०-३५ मील लम्बी बन गई हैं ये जबकि केपेसिटी उनकी उतना पानी देने की नहीं है। आसींद तहसील में जो जमीनें बांध से ५-६ मील के फासले पर हैं उन जमीनों को पानी पूरा नहीं दिया जाता है और ३०-३५ मील दूर दूसरी तहसील के अन्दर जो जमीनें हैं उनको पानी दिया जाता है। और पूरी सिंचाई नहीं हो सकती है, सिर्फ एक-दो दफा ही मुश्किल से पानी मिलता है और तीसरी दफा जो पानी आवश्यक है तीन दफा पानी मिलना उस फसल के लिए आवश्यक है अगर पूरा पानी नहीं मिलता है। उस हालत में इस प्रकार से बैटरमेंट लेवी वसूल की जाय, जिनकी पूरी काश्त नहीं हो सकी, ऐसी हालत में बैटरमेंट लेवी वसूल करना, अनुपयुक्त होगा। इसके सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जो जमीनें पीवल होती हैं उनको पूरा पानी दिया जाय। अगर पूरा पानी मिल जाय और अगर उसकी फसल अच्छी हो तो उस हालत में बैटरमेंट लेवी वसूल होनी चाहिए; नहीं तो सिर्फ एक दफा पानी दे देते हैं और दूसरी दफा नहीं देते हैं तो काश्तकारों की हालत कुए से

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

पिलाते हैं उनसे भी बदतर हो जाती है क्योंकि कुए से २-३ मर्तबा जितनी आवश्यकता होती है काश्तकार पानी पिला सकता है, लेकिन नहर के भरोसे होने से मुश्किल से १-२ दफा पानी मिलता है। उससे नुकसान होता है। इस नुकसान को हटाने के लिए खास तौर से ध्यान आकर्षित करता हूं। अगर पूरा पानी दिया जाय और उन्हीं जमीनों से कर वसूल किया जाय तो वह उपयुक्त होगा वर्ना आज पूरा पानी नहीं देकर उस हालत में बेटरमेंट लेवी वसूल की जाय तो किसानों के दिमाग में पूरा असन्तोष होता है, जबकि पूरा पानी नहीं दिया जाता है और खुशहाली कर लिया जाता है जबकि खुशहाल होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है।

यही हालत कमान्डेड एरिया की है। वहां भी खुशहाली का ले लेते हैं। खुशहाली कर के नोटिस वगैरह दिये जाते हैं मगर उन जमीनों में पानी नहीं जाता है। कमान्ड एरिया में बहुत जमीनें ऐसी हैं जिनमें पानी नहीं जाता है, फिर भी बेटरमेंट लेवी का सवाल उनके सामने पेश हो रहा है। खास तौर से इस बात का ध्यान रखा जायगा कि जो जमीन कमान्डेड एरिया में रखी गई है मगर जिनको पानी नहीं दिया जा रहा है। उन लोगों से बेटरमेंट लेवी वसूल नहीं की जाय वर्ना जो है उनको बड़ी कठिनाई होगी।

इसी तरह से जो बांध बंधा है उनमें जो जमीनें हैं जिनमें तर-पिलाई वसूल की जाती है वह तर-पिलाई जो पहले से जमीन बांध के अन्दर आई है उसका लगान लगा हुआ है। तालाब के पेटे की जमीन पर पहले से ही दूसरी जमीन से ज्यादा लगान है। उस हालत में तर-पिलाई उनसे वसूल नहीं होनी चाहिए।

(१०-२४ म. पू.)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

पहले से जो तालाब बंधे हुए हैं, तहसील आसींद में पाट और सरेड़ी में २-३ तालाब बंधे हुए हैं जिनको जमीन को पूरा पानी नहीं दिया जा सकता है उनके सम्बन्ध में बेटरमेंट लेवी का प्रश्न नहीं आता है। ऐसे छोटे छोटे तालाब जिनसे कि छोटी छोटी जमीनों की पीवल होती है वे समयानुकुल होते हैं। किसी साल बारिश नहीं हो तो वे तालाब नहीं भरते हैं। ऐसी हालत में बेटरमेंट लेवी वसूल की जाती है तो ऐसे काश्तकारों से नहीं की जानी चाहिए। इस प्रकार से इनसे सुविधापूर्वक बेटरमेंट लेवी वसूल करने का प्रयत्न किया जाय ताकि काश्तकार को भी कुछ तकलीफ न हो और सरकार का भी जो रुपया लगा है वह उस तालाब से वसूल हो जाय और उससे असन्तोष लोगों में नहीं फैले।

बेटरमेंट लेवी जो वसूल की जाती है उसका तरीका जो है वह सुगम हो। काश्तकारों पर ज्यादा भार नहीं पड़े। आप जानते हैं कि जो काश्तकार लगान अच्छी तरह से अदा नहीं कर सकते हैं उन पर भार बढ़ जायगा, बेटरमेंट लेवी का भार बढ़ जायगा तो वह अदा करना नामुमकिन हो जायगा। तो इसके लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए और विचार करना चाहिए कि किस सुगम तरीके से काश्तकार से यह रुपया वसूल किया जाय ताकि उस

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

पर भार भी नहीं पड़े और जो पैसा खर्च किया है वह भी सरलता से वसूल हो जाय । मेरा इस सम्बन्ध में यही निवेदन करना है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ । हमारे कल्याणकारी समाजवादी राज्य के अन्दर किसान को आजादी सर्व प्रथम होनी चाहिये । इसके विपरीत हम आज देखते हैं कि किसान कुचला जा रहा है । अन्य वर्गों की अपेक्षा किसानों के ऊपर तरह तरह के कर लादे जा रहे हैं और आजादी के बजाय उसकी खेती और उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति और उसके परिवार को एक बरबादी का सामना करना पड़ रहा है । ऐसी स्थिति के अन्दर यह बैटरमेन्ट लेवी नाम की वेक्सेशियस लेवी, किसान को तंग करने वाला यह टैक्स जो लगाये जाने की योजना सरकार ने निर्धारित की है वह सर्वथा अनुचित है । मैं कोई कारण नहीं देखता, मैं कोई जस्टीफिकेशन नहीं पाता कि बैटरमेंट लेवी लगाने के लिये सरकार के पास कोई ऐसा टोस केस है, कोई जस्टीफिकेशन है कि जिसके द्वारा इस कर को जारी रखा जाय । मैं समझता हूं कि इनकम-टैक्स के सिद्धान्त के अनुसार इनकम-टैक्स जिन व्यक्तियों पर लगता है उसी रुप से किसान के ऊपर भी इनकम-टैक्स के सिद्धान्त से टैक्स लगाया जाय और जो छोटे किसान हैं उनको सर्वथा स्वतन्त्र बना दिया जाय । गांधीजी की कल्पना भी यही थी कि किसान को ज्यादा से ज्यादा आजादी दी जाय । लेकिन आज कांग्रेस की नीति उसके विपरीत है । हमारी स्वतंत्र पार्टी की नीति वही नीति है जो कि गांधीजी की कल्पना की नीति थी और जिस नीति के द्वारा किसान को अधिक से अधिक आजादी मिल सके । सरकार यदि इस टैक्स को नहीं भी ले तो करोड़ों रुपया केन्द्र से वह प्राप्त किया करती है, केन्द्र से पाली हुई सरकार है, केन्द्र से यह पोषित सरकार है, केन्द्र से चाहे जितना रुपया ले सकते हैं तो उस स्थिति के अन्दर बैटरमेन्ट लेवी लगाने का कोई कारण नहीं दिखता, सिवाय इसके कि एकमात्र हठधर्मी करके सरकार अपनी मनमानी करे और किसान को परेशान करे और एक टेन्टेड-मनी, एक अपवित्र रुपया यह जो बैटरमेन्ट लेवी के द्वारा सरकार प्राप्त करती है उसको प्राप्त किया ही जाय । अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा से अजमेर आती दफा सड़क पर कांवलियास नाम का एक गांव है । उसमें पूरे ८० घर भी नहीं हैं । वहां पर बैटरमेंट लेवी का मतालबा करीब सवा लाख कायम किया गया है और सन् ५८ से ६१ तक का मतालबा वसूल करने के लिये उन बेचारे काश्तकारों को परेशान किया जा रहा है । यह मेरे खयाल से एक सोशियलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाइटी के लिए अशोभनीय है । यह एन्टी सोशियल लेवी जितनी जल्दी समाप्त हो उतना ही मैं समझता हूं कि अच्छा होगा ।

जयसमन्द तालाब जो ३०० वर्ष पहले से बन चुका है उसमें से अगर नहर निकाली जाती है तब भी ४५) रुपया फी एकड़ के हिसाब से किसानों से बैटरमेन्ट लेवी वसूल करने की कुचेष्टा सरकार ने की है । वहां के किसान मेरे पास आये तो मैंने स्पष्ट कहा कि यह लेवी है इसका विरोध करो, इसको कभी मत दो ।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

रेहट से जो जमीन पीवल की जाती है उस पर भी २१) रु० फी एकड़ लगान लगाया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर जिले के अन्दर मेरी व्यक्तिगत संपत्ति का एक चूंडावाला तालाब है । वहां की समिति के प्रधान चाहे कांग्रेस के हों, चाहे अन्य विचारधारा के हों उससे मेरा कोई लेन-देन नहीं है लेकिन दुर्भाग्य से वह कांग्रेस विरोधी समिति है । वहां के प्रधान ने आकर मुझसे कहा कि आपके तालाब से पानी दें तो नहर के जरिये सिंचाई करेंगे । मैंने कहा सहर्ष । मेरे बाप-दादा ने सिंचाई का टैक्स नहीं लिया उसी तरह से आपकी इच्छानुसार सहर्ष पानी देने को तैयार हूं । वहां के कांग्रेसी महानुभाव यह प्रचार करने के लिये तत्पर हुए कि यह तो महारावल टैक्स लेंगे । मैंने लिखित रूप में कलेक्टर को दिया कि मैं टैक्स लेना नहीं चाहता । पूरा तालाब लेना चाहें तो पूरा तालाब ले लीजिये या जितना पानी चाहें उतना ले लीजिये, मुझे कोई टैक्स नहीं चाहिये, न धन चाहिये । तदुपरान्त भी उस तरफ से न तो नहर निकाली जा रही है पंचायत समिति के बार बार कहने पर भी कि काश्तकारों के हित में बिना टैक्स लिये नहर निकाली जाय, लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा है ।

सभापति महोदय, आपकी मार्फत यह निवेदन है कि सरकार को चाहिये कि छोटे किसानों को आजाद करे और ऐसे वैक्सेशियस टैक्सेज हैं उनको मिटावें ताकि किसान आबाद हों और सबसे अधिक लोडेड वर्ग आज भारतवर्ष का किसान है उसको ज्यादा से ज्यादा आबाद रखा जाय तभी सोशियलिस्टिक पैटर्न सफल हो सकता है वर्ना यह सरकार एन्टी सोशियलिस्टिक सरकार है जो ऐसे टैक्सों के द्वारा किसानों का शोषण कर रही है ।

श्री सभापति (श्री भीमसेन) : श्री रामकिशन ।

श्री भीखाभाई (सिंचाई मन्त्री) : १०॥ बजे रिप्लाई शुरु होने वाला था ।

श्री सभापति : ये पांच मिनट बोलेंगे ।

श्री रामकिशन (वैर) : सभापति महोदय जहां तक सुधार-कर के वसूलों का प्रश्न है उसका विरोध इस प्रस्ताव द्वारा है । लेकिन प्रश्न यह है कि सरकार की यह मान्यता है लेवी वसूल करते वक्त कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ती है, जमीन की कीमत बढ़ती है और उत्पादन बढ़ता है, ये तीन आधार हैं । लेकिन जहां स्पष्ट उत्पादन गिर रहा है, किसानों की हालत गिर रही है, जमीन की कीमत नहीं बढ़ रही है उस क्षेत्र में तो छूट देनी चाहिये । सरकार के द्वारा सिद्धान्त स्वीकार किया गया है उसके विपरीत है । उसने जो सिद्धान्त स्वीकार किया है मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन संक्षेप में भरतपुर का मामला सदन के सामने रखना चाहता हूं । अभी प्रश्न द्वारा पूछा था और सरकार ने स्वीकार किया है कि भरतपुर में पानी भर जाता है । क्यों भर जाता है ? इसलिये कि पहले बांध बना उस समय बरसात का औसत २३ इंच था और आज औसत पहुंच गया है ५० इंच । इसलिये बांध की क्षमता कम होने के कारण वे प्रति वर्ष टूट जाते हैं या

(श्री रामकिशन)

और तरीके से किसानों को नुकसान होता है। इसके बावजूद भी कि यहां बांध निरन्तर टूटते हैं, निरन्तर किसान को नुकसान देते हैं, इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान दिलाया गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। रूपवास तहसील में खानवा बांध बनाया है। बरसात के पानी से जुलाई के महीने में भरता है उस पर टैक्स लगाया है। आज तक किसानों ने इस बांध से सिंचाई नहीं की है, उसकी मरम्मत में पैसा लगाया जाता है और उस क्षेत्र के किसानों से पैसा वसूल किया जाता है। इस प्रकार जब कि सरकार मानती है कि आमदनी बढ़ने से टैक्स लिया जायगा, मेरा सुझाव है कि जिन किसानों के पास कम जमीन है, थोड़ी जमीन है जैसाकि दूसरे माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है, सरकार ने भी माना है कि एक परिवार के पास गुजारे के लिये ३० स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन हो तो गुजारा कर सकता है, तो निश्चित तौर से उन किसानों को छोड़ना चाहिये जिनके पास ३० एकड़ से कम जमीन हो क्योंकि जितना टैक्स लगता है वह किसानों पर लगता है। बिजली लगाने से शहरों की क्षमता बढ़ती है, नल लगाने से शहरों की क्षमता बढ़ती है, कारखाने खोलने से शहरों की कीमत बढ़ती है, वहां टैक्स नहीं लगाते हैं, लेकिन किसान के लिये चाहे नहर बनावें, चाहे अस्पताल खोलें, चाहे स्कूल खोलें उनसे कहीं श्रमदान के रुप में, कहीं लेवी के रूप में और कहीं टैक्स के नाम से सरकार निरन्तर उनका शोषण करने की चेष्टा करती ही रहती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि यदि बैटरमेंट लेवी वसूल की जाय तो उनसे की जाय जिनके पास ३० स्टेन्डर्ड एकड़ से ज्यादा हो, कम-वालों पर टैक्स नहीं लगावें। मैं समझता हूँ, मंत्रीजी छोटे लोगों में से हैं, छोटों की तरफ आकर्षित होंगे, इसलिये खुद इस पर विचार करेंगे।

श्री सभापति : Hon'ble Minister for Irrigation.

श्री भीखाभाई (सिंचाई मन्त्री) : सभापति महोदय, अभी गैर सरकारी संकल्प के सम्बन्ध में यहां बहुत सी चर्चा हुई। कई माननीय सदस्यों ने बहुत ही उपयोगी सुझाव दिये। उनके लिये मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ और यह कोशिश करूंगा कि कहां पर क्या चीज हो सकती है। लेकिन जहां तक बैटरमेन्ट लेवी का सवाल है, सभापतिजी, वह कोई राजस्थान सरकार ही नहीं है जो बैटरमेन्ट लेवी लगाती है। मैं यह निवेदन कर दूं कि यह ऑल इन्डिया पॉलिसी है, राष्ट्रीय पॉलिसी है और जहां नीति का प्रश्न है सारे भारतवर्ष में इस बात का फैसला प्लानिंग कमीशन ने किया कि तमाम देश मे भिन्न भिन्न योजनाएं बनाई जा रही हैं उनके खर्चे को मीट आउट करने के लिये सब जनता से अपील की गई और प्लान में लिखा हुआ है, प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें लिखा है उन शब्दों के कुछ एक्सट्रेक्ट्स पेश करूंगा। उन्होंने लिखा है लेवी रेगुलेराइज़ करने के बारे में:–

"People should feel that the projects included in the Plan are their own, intended for the improvement of the conditions and their area and they should make special sacrifices for getting them completed..."

यह पहली योजना के अन्दर हुआ था। उसके बाद निवेदन करूं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : पंजाब भी इसमें इन्क्लयूडेड होगा ?

श्री भीखाभाई : सारे स्टेट्स इन्क्लयूडेड हैं। मैंने निवेदन किया कि ऑल इंडिया पॉलिसी है उसके एक्सट्रेक्ट्स पढ़ रहा हूं। दूसरे प्लान में भी उन्होंने कहा :

"The most important and difficult issue connected with the second five year plan is the raising of capital resources. Every effort has, therefore, to be made to add to them and an equitable way is to levy betterment contribution on areas benefited by irrigation projects."

इस प्रकार की चीज जो है उन्होंने कहा है तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर भी सभापति महोदय, हमने राजस्थान में बैटरमेन्ट लेवी लगाने का फैसला किया है। बैटरमेंट लेवी के सम्बन्ध में यहां पर माननीय सदस्यों ने दूसरी दूसरी बातें कहीं। रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि गंग केनाल बनी थी उस समय कम लगा था। मैं मानता हूँ कि यह सही है। उस जमाने में कोस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम था, लेबर चार्जेज़ कम थे। उस जमाने की बातों को यहां दोहराया नहीं जा सकता। मैं निवेदन करता हूँ कि बैटरमेन्ट लेवी लगानी पड़ती है। इस बारे में यह भी आपत्ति की गई कि शहरों में नहीं लगाई जाती है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस जमाने के प्राइस इन्डेक्स पर लगा लीजिये।

श्री भीखाभाई : मुझे सुनने की कृपा करें, बाद में कहिये। मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में जो बैटरमेंट लेवी लगाई गई है वह अन्य राज्यों के आधार पर ही लगाई गई है। दूसरे राज्यों में भी लगाई है और हमारा पड़ौसी राज्य पंजाब है उसमें भी लगाई गई है। इस सम्बन्ध में यह बात उठाई गई कि यहां कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। माननीय सदस्य जो भरतपुर से आते हैं उन्होंने कहा कि दूकानों पर और शहरों में नहीं लगाई जाती। मैं यह निवेदन करूं कि जो शहर हैं उन शहरों के अन्दर जो अरबन एरियाज़ हैं, उन अरबन एरियाज़ के अन्दर जो प्लॉट्स वगैरह होते हैं उनकी नीलामी होती है। वे नीलाम किये जाते हैं और जमीन अलॉट की जाती है जब जमीन अलॉट की जाती है और इर्रिगेशन का उनको एडीशनल बेनिफिट मिलता है। उसके कारण इर्रिगेशन पर बैटरमेंट लेवी लगाई जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज जो जमीन बारानी है, वह राजस्थान नहर के आने के कारण, भाखरा का पानी आने के कारण उपजाऊ होती है। भाखरा की बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि जहां एक तरफ माननीय सदस्य ने कबूल किया है कि जहां पहले पीने के पानी की कठिनाई थी उसके विपरीत आज देखते हैं कि वहां नहर का पानी आ रहा है और जब पानी पहुंचता है तो निश्चित बात है कि पहले जो एक फसल नहीं होती थी वहां दो फसलें होती हैं और उससे किसान के दिल में उमंग पैदा होती है, उसकी वजह से उत्साह बढ़ता है और खेती में वृद्धि होती है....

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) :

(श्री अब्दुलजब्बार)

Point of information, Sir, लोगों को खाद और फर्टीलाइजर नहीं मिलें और नहर पहुँच जाय तो क्या खेती कामयाब हो सकेगी ?

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया, पहले पानी होना चाहिए, जल....

श्री अब्दुलजब्बार : पानी से खेती हो सकती है ?

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय, अधिकतर जब मेरा भाषण इर्रिगेशन और पॉवर पर होता है तो मैं एक बात कहता हूं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या फसल पहले पानी में ही लहलहाने लगती है ?

श्री भीखाभाई : यह बात अलग है, मैं पानी की उपयोगिता की बात कह रहा हूं। पानी जीवन है, संस्कृत में पानी को जीवन कहा है....

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : जीवन को लूट रहे हैं।

श्री भीखाभाई : उस पानी से ही बिजली पैदा होती है और जब उसके जरिये, सभापति महोदय, पानी खेतों में पहुँचता है तो खेती लहलहाने लगती है और खेती ज्यादा होती है। मैं निवेदन कर रहा था कि जो बात उठाई कि शहरों में जो अरबन एरियाज़ हैं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह उमंग जयपुर में ही महसूस होती है।

श्री भीखाभाई : मैं निवेदन कर दूं कि सरकार का इस पर इतना पैसा नहीं लगता है, इतनी केपिटल कोस्ट नहीं लगती है। मैंने निवेदन किया कि एक तरफ जमीन अलॉटेड है और दूसरी तरफ ऑक्शन होती है जिसमें इम्प्रूवमेंट चार्जेज़ इन्क्लूड करके ले लिये जाते हैं वे चार्जेज़ इनके मुकाबले में नहीं होते। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिन माननीय सदस्य ने संकल्प मूव किया है उन्होंने यह बात कही कि जो असेसमेंट होता है वह फाइनल होता है। मैं निवेदन कर दूं कि यह सही नहीं है। जब कभी भी बैटरमेंट लेवी का असेसमेंट होता है उसके बारे में कमेटी बनी हुई होती है। हर एक योजना के अन्तर्गत जो सी० सी० ए० है, कल्चर्ड कमान्डेड एरिया है, वह एक हजार है, उस पर असेसमेंट होता है और बैटरमेन्ट लेवी लगती है; अन्यथा बैटरमेन्ट लेवी लगने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। लघु सिंचाई योजना अगर एक हजार एकड़ से नीचे होती है तो उस पर बैटरमेन्ट लेवी लगने का प्रश्न नहीं होता। इसलिये मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अगर उसके ऊपर सिंचाई होती है तो बैटरमेन्ट लेवी लगाई जाती है। उसके लिये जैसा मैंने निवेदन किया कि जस्टीफिकेशन मौजूद है सारे भारतवर्ष में। सारे भारतवर्ष में इस बात को स्वीकार किया गया है, प्लानर्स ने इसे स्वीकार किया है कि प्रोजेक्ट बनने के पहले और प्रोजेक्ट बनने के बाद में जो स्थिति पैदा होती है और उसमें जो अन्तर होता है उसके कारण से वह अन्तर होता है। मैं आसपुर से आनेवाले माननीय सदस्य और स्वतंत्र पार्टी के नेता का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, मैं निवेदन करूंगा और अदब के साथ निवेदन करूंगा कि उनके

(श्री भीखाभाई)

बनाये हुए तालाब थे, उन तालाबों की एक योजना बनायी है जिसके लिये कई हजार का कम्पेन्सेशन दिया है । वे अब उन तालाबों का मुलाहिजा करें और मैं तो चाहता था कि हम और वे दोनों साथ जाकर देखें कि उनका स्वरुप क्या है । मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर पूरे के पूरे आदिवासी लोग हैं, दूसरे लोग वहां नहीं हैं । मैं उस नहर को देख कर आया हूँ और........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : मैंने देखा है और उसका श्रेय आपको ही है ।

श्री भीखाभाई : धन्यवाद । जहां फसल की किसान तजवीज करते हैं और जहां तजवीज करते हैं तो निश्चित बात है कि हमें पैसा कुछ न कुछ मिलना चाहिए जहां सरकार पैसा खर्च करती है । मैं निवेदन कर रहा था.......

श्री श्योपतसिंह : जितना सरकार खर्च करती है उतना पैसा मिलना चाहिए ।

श्री सभापति : No interrupions please.

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य का जो रेट्स का सवाल है मैं जानता हूं कि उनके जमाने में शुरु में पंजाब में जहां छः रुपये चौदह आने रेट लगती थी, उसे बाद में जाकर रिवाइज़ करके १ रुपया ६ आना कर दिया । इससे वहां के लोग बहुत खुश हुए और मैं समझता हूं कि वे भी हृदय से खुश हैं, लेकिन बाहर से रोष और क्रोध दिखाना चाहते हैं । मैं कहूँगा कि उनकी खुशी के लिये हम इसके ऊपर बैठ कर बात करके.......,

श्री श्योपतसिंह : कितने साल तक एक रुपया नौ आना करेंगे ।

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन कर दिया कि अभी तक जो असेसमेंट है वह पहले हो चुका है, उसके अनुसार चौबीस किश्तों में वसूल करने का सवाल है ।

श्री हरिराम (तिजारा) : उस जमीन की हैसियत बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, कितनी परसेन्ट बढ़ी है, इसके बारे में बता सकते हैं ?

श्री भीखाभाई : आप सुन लीजिये; नहीं तो बात ही नहीं पूरी होगी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लगभग तीन लाख बैटरमेंट लेवी के भाखरा क्षेत्र में वसूल हो चुके हैं । मैं सदस्यों कि जानकारी के लिये बताना चाहता हूँ कि जो बैटरमेंट लेवी का प्रश्न है, वह ऑल इंडिया का प्रश्न है और जहां तक किसानों का सवाल है, मैं समझता हूँ जब सरकार पैसा लगाती है तो वे बैटरमेंट लेवी देने के लिए तैयार हैं ।

आसपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कांवलियास के लिये जिक्र किया और बताया कि वहां एक लाख रुपये की बैटरमेंट लेवी लगा रहे हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि यह किस प्रकार हुआ है । अगर वे इस बारे में बता दें तो मैं जानकारी करूंगा । इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि बैटरमैंट लेवी असेसमेंट करने का क्या तरीका है । वह इस प्रकार है कि हर एक योजना के साथ में एक बेटरमेंट लेवी कमेटी बनाई जाती है, जिसमें एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर और कुछ सदस्य होते हैं । वे जाकर निर्णय लेते हैं जो आसपास भूमि होती है उसको देख कर और साथ ही

(श्री भीखाभाई)

साथ पैदावार को देख कर और निर्णय लेने के बाद बैटरमेंट लेवी का असेसमेंट करते हैं। अगर असेसमेंट हो जाता है तो फिर उसका नोटीफिकेशन जारी होता है। उसके बाद ऑब्जेक्शन्स इन्वाइट किये जाते हैं। उसके बाद यह चीज फाइनल होती है। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार यह आर्बिट्रेरी तरीका नहीं है जिसके अनुसार बैटरमेंट लेवी लगती है। जैसा निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बैटरमेंट लेवी लग रही है, उसमें जो असेसमेंट का तरीका है वह आर्बिट्रेरी बताया इससे मैंने निवेदन कर दिया। यह स्थिति नहीं है कि सरकार अपनी तरफ से आर्बिट्रेरी तरीके से बैटरमेंट लेवी कर दे, ऐसी कोई रीती-नीति या प्रणाली नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह बात बताई गई कि जयसमन्द में नहर बनी है, उस नहर पर भी बैटरमेंट लेवी लगी है। यह बात अलग है, रेट भी अलग है। अब कितनी रेट हो, यह मैं नहीं कह सकता। उसको रिवाइज़ करना है या नहीं करना है, इस वक्त मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं फैक्ट्स के अन्दर गया हुआ नहीं हूं। जहां तक सिद्धान्त का सवाल है, बैटरमेंट लेवी वसूल करने का सवाल है, सभापति महोदय, आपके जरिये माननीय सदस्यों के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि बैटरमेंट लेवी इसलिये लगती है कि जो कॉस्ट ले आउट हम करते हैं किसी योजना पर उस पर वसूलात के साथ साथ जो इन्ट्रेस्ट पे करते हैं। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि सरकार इर्रिगेशन चार्जेज़ वसूल करती है, वाटर रेट वसूल करती है; फिर इसको अलग से क्यों करती है? मैं निवेदन करूंगा कि वाटर रेट एक रेकरिंग एक्सपेन्डिचर है और इस प्रकार का है कि मान लो कि हम एक काम करते हैं, रोजमर्रा पानी सप्लाई करते हैं तो केनाल का मेन्टीनेन्स करना है, डिस्ट्रीब्युटरो का मेन्टीनेन्स करना है और कई चीजों का मेन्टीनेन्स करना पड़ता है। साथ साथ मैं निवेदन करूंगा कि उसके स्टाफ का मेन्टीनेन्स करना पड़ेगा। उसके अन्दर काफी खर्चा कवर हो जाता है।

श्री श्योपतसिंह : बचत बहुत है।

श्री भीखाभाई : मेरी बात सुन लीजिये, थोड़ी बात कहनी है मुझे।

चाही के सम्बन्ध में, मैं निवेदन करूं कि चाही के सम्बन्ध में कहा गया कि चाही से बैटरमेंट लेवी वसूल की जाती है। मैं निवेदन कर दूं कि एक किसान कुंआ बनाता है, जिस कुंए को बनाने के लिये वह दो हजार रुपया खर्च करता है; दो हजार, पांच हजार। हमारे यहां पर दो हजार और इधर के इलाके में पांच हजार, सात हजार; बल्कि दस हजार तक होता है। अब उसके ऊपर इन्ट्रेस्ट के हिसाब से लगा कर निकालें तो आपको खयाल होगा कि काफी रुपया खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी तरफ बैल रखेगा और एक आदमी पानी निकालनेवाला लगता है, तो खेती में एक आदमी का खर्चा, आप समझिये कि अस्सी-नब्बे रुपये से कम नहीं पड़ता है। ये सारे चार्जेज़........

श्री अब्दुलजब्बार : सभापति महोदय,....

श्री भीखाभाई : मेरे खयाल में मैं बात कह रहा हूं........

श्री अब्दुलजब्बार : यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट है ।

श्री सभापति : Order please !

श्री अब्दुलजब्बार : बहुत इम्पोर्टेन्ट और सम्बन्धित बात है । एक चीज आपने फरमाई कि दो-तीन हजार से लेकर दस हजार तक कुंए पर खर्चा लगता है । मैं अर्ज करता हूँ कि फिर आप बतायें कि नहर आने के बाद वह केपिटल उसका डेड हुआ या नहीं ? What is the utility of that well ? Either you are going to compel him or you are simply going to······

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय, मैं यह बात बता रहा हूं । माननीय सदस्य उसे सुन लेते तो मेरे ख्याल से यह बात कहने के लिये उठते नहीं । मैं यह कह रहा था कि चाही कीजमीन है उसमें एक कुंआ है । उसमें अलग अलग व्यक्तियों का खर्चा बताया, इसके साथ और रिक्रटिंग एक्सपेन्सेज़ होंगे । अगर खर्चे का हिसाब लगाया जावे तो आपको मालूम होगा कि केनाल का पानी जो दिया जाता है वह सस्ता मिलता है । मैं माननीय सदस्य को चुनौती देता हूं कि वे मुझे समझा दें कि किस तरह से कुओं का पानी सस्ता मिलता है नहरी पानी से; तो मैं इस पर विचार करूंगा, मगर मैं यह कहूंगा कि यह बात सही नहीं है ।

श्री अब्दुलजब्बार : मैं इस बात को मानता हूं कि नहर का पानी कुओं के पानी से सस्ता मिलता है । मगर मेरा अटल विश्वास है कि वह उन लोगों को आसानी से नहीं मिलता । जैसी कि माननीय मन्त्री महोदय ने चुनौती दी है उसके लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारी लोग किसानों को बहुत जलील करते हैं और जलालत से दुत्कारते हैं, जलालत से पानी लेने से तो कुंओं का पानी लेना बहुत ज्यादा अच्छा है :

"मिले खुश्क रोटी जो आजाद रह कर,
तो वह खोओ जिल्लत के हलवे से बहतर ।"

इसलिए जलालत से पानी लेने से यह ज्यादा अच्छा है ।

श्री भीखाभाई : माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहूँगा कि आप आवेश में आकर बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे है; मगर मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप अपना थोड़ा आवेश कम करके इस बात पर आ जावें कि जो बातें मैंने कही हैं कि कहीं चाही के कुंए हैं और उससे सिंचाई होती है और उससे जो खर्चा लगता है उसके साथ जो रेकरिंग एक्सपेन्डिचर होता है उसे और नहरों का जो खर्चा लगता है उसको देखें । गम्भीरी योजना से वे आते हैं । अगर वे इससे साबित कर दें तो मैं उनकी बात को मान लूंगा । लेकिन सभापति महोदय, मैं कहता हूँ कि और भी जो सुविधाएं होती हैं वे उसको बताना नहीं चाहते ।

सभापति महोदय, मैं जयसमन्द की नहरी योजना के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ । यह बहुत पुराना है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज वहां पर केनाल्स का जाल बिछ गया है; जहां एक करोड़ के लगभग हमने पक्की लाइनिंग करने की योजना बनाई है । उसकी कोस्ट को ध्यान में रखें और केपिटल खर्चा हुआ है उसको ध्यान में रखें तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि

(श्री भीखाभाई)

हमारे स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य हैं वे समझ लेंगे कि जो कुछ खर्चा किया जा रहा है वह सरकार की तरफ से किया जा रहा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि एक बिच्छीवाड़े का तालाब है। मैं यह कहूँगा कि उसमें कोई केनाल निकाल दी जावे तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन वह पर्सनल प्रोपर्टी है, जब तक उसके हक-हकूक हासिल नहीं किये जावें तब तक कुछ नहीं किया जा सकता........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : पर्सनल प्रोपर्टी के हक–हकूक करें तो टैक्स लेना शुरू कर दें।

श्री भीखाभाई : इर्रिगेशन विभाग कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है। इसमें यह देखना जरूरी है कि कितना खर्चा हुआ और कितना रिटर्न हुआ.......

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप रिटर्न को भी देखिये, खर्चे को भी देखिये; लेकिन साथ साथ काश्तकार की हालत को भी देखिये। जयसमन्द आपने नहीं बनाया है।

श्री भीखाभाई : यह जयसमन्द पहले राजाओं के समय का बना हुआ है। मगर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि राजस्थान के निर्माण के पश्चात् गरीब आदिवासी लोगों को जिनको पहले जयसमन्द के दर्शन मात्र होते थे वहां आज नीचे रहने वाले लोग दो–तीन फसलें पैदा करते हैं और उनको जो फायदा मिलता है वह उनको अच्छा लगता है या पहले उसके दर्शन मात्र करते थे वह ज्यादा अच्छा लगता है ? पहले तालाब का पानी बन्द रहता था। अगर उनसे पूछा जाए कि आया वह जमाना अच्छा था या आज का जमाना अच्छा है तो वे यह कहेंगे कि आज का जमाना है वह अच्छा है। यह तो ठीक है कि वहां पर वही पार्टी के लोग जाते हैं और कहते हैं जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने बताया कि जो भी सरकार की नीति है उसको वे लोग पसन्द नहीं करते और कहते हैं कि ये बैटरमेंट लेवी का विरोध करते हैं जबकि ऑल इन्डिया पॉलिसी है........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप किसानों से ही पूछ लीजिये। आपको पता लग जावेगा कि किसान बैटरमेंट लेवी देना चाहते हैं क्या ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि कितनी हैसियत उस जमीन की बढ़ी है और कितनी पैदावार बढ़ी है।

श्री भीखाभाई : आप किस प्रोजेक्ट की पूछना चाहते हैं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : भाखरा की।

श्री भीखाभाई : आंकड़े तो हमारे पास नहीं हैं, मगर यह चीज प्रत्यक्ष अनुभव करने की है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपके पास आंकड़े हैं या नहीं ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य को पहले बता चुके हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आंकड़े आपके पास नहीं है तो आप किस आधार पर जस्टिफिकेशन कर रहे हैं कि पहले उनकी हैसियत कितनी थी और अब उनकी हैसियत कितनी बढ़ी है ? बढ़ी है तो आप साफ बतावें कि इतनी बढ़ी है ।

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय, मैं चाहूँगा कि अगर वे मुझे ध्यान से सुनें तो....

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपनी बोलने की स्पीड को कम करें ताकि लिखनेवालों को भी सहूलियत रहे और सुननेवालों को भी ।

श्री भीखाभाई : जिस जिस जगह पर बांध बन्धे हैं वहां पर चल कर देखें तो मालूम होगा कि दरअसल में जमीन की हैसियत बढ़ी है । जब प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाता है तो फिर अनुभव की बात क्या है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके पास आंकड़े हैं या नहीं कि वाकई में जमीन की आय बढ़ी है या नहीं ? यह कहने से कोई मतलब नहीं निकलता । आपके पास आंकड़े नहीं हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि हैसियत बढ़ी है और कितनी बढ़ी है; किसान की हैसियत में पहले से क्या फर्क पड़ा है, जमीन की हैसियत में क्या फर्क पड़ा है; पर एकड़ जमीन की हैसियत कितनी बढ़ी है ? आप कहते हैं कि हैसियत बढ़ी है इससे तो कोई मतलब नहीं निकलता है ।

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय, मेरे पास स्टेटिस्टिक्स रेडी नहीं हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं उनसे साबित है और जो देखने की बात है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है उससे भी साबित है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे भगवान् के दर्शन करा रहे हैं........

श्री भीखाभाई : अगर आपके कोई भी ग्रुप को चम्बल में जाने का अवसर मिलेगा तो मैं आपको प्रत्यक्ष में बता सकूंगा । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो संकल्प पेश किया गया है उसको देश के हित में, योजनाओं के हित में विथड्रॉ कर लिया जाय । यही मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : On a point of information, Sir, क्या नहरी क्षेत्रों में जहां जहां मंडियें बन रही हैं वहां शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिये दूकानों और मकानों की भी व्यवस्था की जावेगी, जिस तरह से २५ परसेन्ट गांवों की जमीन जो खेतों के लिये दी जाती है उसमें रहती है ? क्या मंडी में इस तरह की योजना रखी गई है ?

एक माननीय सदस्य : एक ही प्रकार के टैक्सेज़ कितनी प्रकार से लिए जाते हैं ?

श्री अब्दुलजब्बार : सभापति महोदय, मैंने जो अपना प्रस्ताव रखा है वह योजना बहुत ही सुन्दर और काश्तकारों को राहत पहुंचाने के लिये है । यह खुली चीज है कि काश्तकार पानी के पैसे देते हैं और उसके बाद भी........

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभापति महोदय; पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय सदस्य अपना दिखाई दे रहे हैं तो मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि इससे पहले जो मैंने पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन उठाया है उसका जवाब दिया जाना जरूरी है।

श्री भीखाभाई (सिंचाई मन्त्री) : यह कोलोनाइज़ेशन का मामला है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने कहा है कि यह कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है....

श्री सभापति : इसका आप जवाब दे चुके हैं।

श्री रामकिशन (बैर): क्या छोटे किसानों को बैटरमेंट लेवी से मुक्त करेंगे ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, यह बहस बिल्कुल इन्कम्पलीट है। माननीय मन्त्री कहते हैं कि उनके पास आंकड़े नहीं हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि उनको आदेश दिया जावे कि आंकड़े लावें। उन्होंने स्पष्ट रूप से इसको ऊपर का ऊपर उड़ा दिया है। मेरा निवेदन यह है कि इस योजना के अनुसार वे आंकड़े बतावें।

(११.०० म.पू.)

श्री सभापति : सरकार की नीति है उसके सम्बन्ध में मन्त्री महोदय कह चुके हैं।

श्री श्योपतसिंह : मैंने सवाल उठाया था कि भाखरा क्षेत्र में असेसमेंट गलत किया है, उसके बारे में सरकार क्या कर रही है; कोई आश्वासन सरकार की ओर से नहीं मिला है। बैटरमेंट लेवी जितनी वहां ली जा रही है वह नहीं ली जानी चाहिये। इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया है।

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि अभी जो संकल्प मूव किया है वह इस प्रकार है :

"इस सदन की सम्मति है कि राजस्थान में बैटरमेंट लेवी की वसूली बन्द की जाय।"

तो बैटरमेंट लेवी ली जाय या नहीं ली जाय, यह सिद्धान्त का सवाल है। प्रश्न यह उठता है कि जिन माननीय सदस्य ने अपना रिज़ोल्यूशन मूव किया है उसके पीछे इन्टेन्शन है वह यह है कि राजस्थान में जैसा कि आसपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बैटरमेंट लेवी नहीं लगानी चाहिये, बैटरमेंट लेवी नहीं ली जानी चाहिए, हम कहते हैं कि बैटरमेंट लेवी लगानी चाहिए; इसके डिटेल्स में जाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य जिन्होंने यह संकल्प मूव किया है इस संकल्प को वापिस लेलें।

श्री सभापति : श्री अब्दुलजब्बार ?

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय, जैसा कि मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है मुझे उससे संतोष नहीं है। संकल्प अपनी जगह पर बहुत अच्छा है। हमारा हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान देश है और जब कोई इन्हेबिटेन्ट ऑफ इन्डिया अपने–

(श्री अब्दुलजब्बार)

स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग को ऊंचा उठाना चाहता है तो उसके लिए मुख्य जरिया कृषि है। जब किसान अपने भरण–पोषण के लिए, अपने बच्चों को अच्छी एज्युकेशन देने के लिये, अपने स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग को ऊंचा उठाने के लिये प्रयत्न करता है तो उसके लिए केवल काश्तकारी ही सहारा है। तो किसान के एकमात्र इस जरिये पर बैटरमेंट लेवी लगाई जाती हैं तो वह कतई अन्याय है। ऐसी हालत में मैं इस प्रस्ताव को किसी भी हालत में वापिस लेने को तैयार नहीं हूं। मैं फिर पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

श्री सभापति : श्री गोकुलप्रसाद।

श्री गोकुलप्रसाद (मांडल) : मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री अब्दुलजब्बार।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : मैं अपनी जगह पर स्थिर हूँ। मैं किसी भी सूरत में अपने प्रस्ताव को वापिस लेने को तैयार नहीं हूं।

श्री सभापति : क्या सदन की सम्मति है कि श्री गोकुलप्रसाद ने जो संशोधन रखा है उसे उन्हें वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(मतदान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): 'Noes' have it, Sir.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इनका तो संशोधन है कि पानी नहीं जाता है वहां पर भी लेवी ली जा रही है, तो माननीय सदस्य इसको कैसे वापिस ले रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : कमजोरों का साथ नहीं देना चाहते।

श्री सभापति : 'हां' पक्ष जीता। संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी गई।

श्री गोकुलप्रसाद (मांडल) : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : श्री अब्दुलजब्बार !

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं अर्ज कर चुका हूं कि मेरा प्रस्ताव अपनी जगह बहुत अच्छा और काश्तकारों को राहत पहुंचानेवाला है, अत: मैं इसे वापिस लेने को तैयार नहीं हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री अब्दुलजब्बार ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(मतदान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : 'हां' पक्ष जीता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : We Claim Division, Sir.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : डिवीज़न की जरूरत नहीं है, यों ही गिन लीजिये।

(विभाजन घंटी)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री अब्दुलजब्बार ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(पुनः मतदान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नहीं साहब, 'हां' पक्ष जीता।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : Ayes have it, Sir...

श्री सभापति: You Want Division ?

श्री मानसिंह महार : Yes, Sir.

श्री सभापति: Then 'Ayes' into 'Ayes' Lobby and 'Noes' into 'Noes' Lobby.

(विभाजन के पश्चात्)

Order ! Order !!

(विराम)

The result of the division is as follows:—

Ayes	54
Noes	70

(संकल्प गिर गया)

[विभाजन के अनुसार 'हां' व 'ना' पक्ष के सदस्य]:

'हां' पक्ष

१ श्री अब्दुलजब्बार
२ श्री अमरसिंह (दूदू)
३ रावल श्री अमरसिंह जासोल (पचपदरा)
४. श्री बालूराम चौधरी
५. श्री भैरोंसिंह
६. श्री भानुप्रसाद कराड़िया
७. श्री चौथमल वर्मा
८. श्री चोसरसिंह बाबेल
९. श्री दयाचन्द सौन
१०. श्री दिग्विजयसिंह
११. श्री डूंगाराम राजोरिया
१२. श्री दुर्गालाल बाढ़दार
१३. श्री फतेसिंह
१४. श्री गोपीलाल गोठवाल
१५. श्री गोविन्दसिंह (कुम्भलगढ़)
१६. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन)
१७. श्री हरिराम चौहान (तिजारा)
१८. श्री हीराभाई
१९. श्री जयलाल
२०. श्री जयनारायण सालोदिया
२१. श्री जावन्दसिंह
२२. श्री जोधसिंह चौहान
२३. श्री जुगलाल
२४. श्री केदारनाथ
२५. श्री कुमारानन्द
२६. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल
२७. महारावल श्री लक्ष्मणसिंह
२८. कु० श्री महेन्द्रसिंह गांवड़ी
२९. श्री मानिकचन्द सुराणा

(श्री सभापति)

३०. रावत श्री मानसिंह महार (आमेर)
३१. राजा श्री मानसिंह (डीग)
३२. श्री मथुरेशबिहारी माथुर
३३. श्री मोहरसिंह राठौड़
३४. श्री मूलचन्द चौधरी
३५. श्री मुरलीधर व्यास
३६. श्री नाथूलाल करोल
३७. श्री प्रभुलाल 'सैन्टर'
३८. श्री रामानन्द अग्रवाल
३९. श्री रामकिशन
४०. श्री रामसहाय
४१. श्री रामसिंह
४२. श्री रूपाराम पंवार
४३. श्री सागरमल
४४. श्री श्रवणलाल
४५. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
४६. श्री सतीशकुमार शर्मा
४७. श्री शिवनारायण छाछिया
४८. श्री शिवराम
४९. श्री श्योपतसिंह
५०. श्री सौभागसिंह
५१. श्री उमरावसिंह ढाबरिया
५२. श्री विजयपाल कटारा
५३. श्री विट्ठल
५४. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा

'ना' पक्ष

१. श्री अलदाराम मेंणा
२. श्री आनन्दसिंह कछवाहा
३. श्री बालकृष्ण कौल
४. श्री बरकतुल्लाखां
५. श्री भगराज चौधरी
६. श्री भरतलाल
७. श्री भवानीशंकर नन्दवाना
८. श्री भीखाभाई
९. श्री भैरवलाल 'कालाबादल'
१०. श्री भीमसिंह
११. श्री बृजसुन्दर शर्मा
१२. श्री चन्दनमल वैद
१३. श्री चतुर्भुज उपाध्याय
१४. श्री छोटूराम
१५. श्री छुट्टनलाल
१६. श्री दलपतसिंह
१७. श्री दौलतराम सारण
१८. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा
१९. श्री देवीलाल मीणा
२०. श्री धर्माराम आर्य
२१. श्री दिनेशराय डांगी
२२. श्री गणेशलाल
२३. श्री गंगासिंह परिहार (हिन्डोली)
२४. श्रीमती गौरी पूनिया
२५. श्री घासीराम यादव
२६. श्री गिरधारीलाल व्यास
२७. श्री गोकुलचन्द
२८. श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
२९. श्री ज्ञानचन्द मोदी
३०. श्री हरिभाऊ उपाध्याय

(श्री सभापति)

३१. श्री हरिदेव जोशी
३२. श्री हरिकिशन
३३. डॉ० हरिप्रसाद शर्मा (मंडावर)
३४. श्री हरिराम धारू (सिवाना)
३५. श्री हरिश्चन्द्र
३६. श्री हरलाल
३७. श्री जगनसिंह
३८. श्री जयकृष्ण शर्मा
३९. श्री जुझारसिंह
४०. श्री ज्वालाप्रसाद
४१. श्रीमती कमला बेनीवाल
४२. श्री कानाभाई नुवाल
४३. श्री केशरीसिंह जोजावर (खारची)
४४. श्री किशनसिंह बाटड़
४५. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत
४६. श्री माधोलाल खानपुरिया
४७. श्री मजलिसखां
४८. श्री मालमसिंह
४९. श्री मनफूलसिंह
५०. श्री मथुरादास माथुर
५१. श्री मोहनलाल सुखाड़िया
५२. श्री मोहनराज
५३. श्री मोतीलाल चौधरी
५४. श्रीमती नगेन्द्रबाला
५५. श्री नाथूराम (बागीडोरा)
५६. श्री नाथूराम मिर्धा
५७. श्री निरंजननाथ आचार्य
५८. श्रीमती निर्मलादेवी नाहर
५९. श्री फूलचन्द जैन
६०. डॉ० पोहूमल ईसरदास
६१. श्रीमती प्रभा मिश्रा
६२. श्री रघुनाथ बिश्नोई
६३. श्री रामचन्द्र
६४. श्री रामप्रसाद लड्ढा
६५. श्री रविशंकर याज्ञिक
६६. श्री रावतराम
६७. श्री शंकरलाल जाट
६८. श्री स्वरूपनारायण पुरोहित
६९. श्री तेजाराम गहलोत
७०. कुमारी उमा माथुर।

(११–२० म. पू)

गंगनहर क्षेत्र में सिंचाई के लिये पानी की कमी होने सम्बन्धी गैर–सरकारी संकल्प

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : माननीय सभापति महोदय, मेरा नोन ऑफिशियल रिज़ोल्यूशन जो सदन के सामने है वह इस प्रकार है:–

"इस सदन की राय में नहरी पानी समझौते के कारण गंगनहर क्षेत्र में सिंचाई के लिये पानी की कमी होने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अतः राज्य सरकार को चाहिये कि भारत सरकार से बात कर इस कमी को पूरा करने के लिये कदम उठाये व तब तक इस क्षेत्र में सिंचाई की दरों में १/३ कमी कर दी जाय।"

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में मैं सदन के सम्मुख गंग केनाल की परिस्थिति उस समय से उपस्थित करूं जिस समय इसका निर्माण हुआ था। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के समक्ष यह अर्ज करना चाहता हूँ कि आज १९६२ के अन्दर जो परिस्थितियां हैं वे वहीं लौट कर पहुंच गई जैसी कि १९४९ के अन्दर थी। लेकिन सिंचाई की अवस्था गंगनहर क्षेत्र में पहले से दुर्लदयपूर्ण हुई है। आज गंग केनाल को एक एस्केप के रूप में उपयोग किया जा रहा है। वह नहर, जिस नहर को एक समय के अन्दर वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइन्ड केनाल के रूप में, सिस्टेमेटिक केनाल के रूप में माना जाता था आज उसी केनाल का एस्केप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है! ऐसी स्थिति के अन्दर बढ़ी हुई जो आबियाना दर है वह उचित नहीं है, न्यायपूर्ण नहीं है उन्हें घटा देना चाहिये और उन्हें उस स्थिति पर ले आना चाहिये जो पानी की स्थिति है।

गंग नहर का फाउन्डेशन ५ दिसम्बर, १९२५ को रखा गया था और २६ अक्टूबर, १९२७ को लॉर्ड इर्विन द्वारा इसका उद्घाटन शिवपुर हेड वर्क्स पर किया गया। १९२८ को रबी की फसल के अन्दर इसका पानी बाकायदा चालू हो गया और इससे इर्रिगेशन आरम्भ कर दिया गया और १९४३ तक इस केनाल पर ३,१०,९७,९०६) रूपया खर्च हुआ। यह केनाल पहले पांच मील छोड़ कर शिवपुरी हैड वर्क्स तक यानी ८० मील तक लाइन्ड केनाल है। इसके बाद इसका फीडर हैड वर्क्स से दस मील तक लाइन्ड है। आज मौजूदा परिस्थिति के अन्दर पचास लाख का आबियाना इस केनाल से सरकार को वार्षिक प्राप्त होता है और वह इस केनाल पर सिर्फ तीन लाख रुपया सालाना खर्च करती है वह भी फीडर के ऊपर नहर के ऊपर सारे जिले के लिये खर्च करती है इसको डीप करना इसकी रिपेयर्स वगैरह भी इसके अन्दर सम्मिलित है।

माननीय सभापति महोदय, यह केनाल शिवपुरी हैड वर्क्स से दो शाखाओं के अन्दर विभाजित हो जाती है; एक तो लक्ष्मीनारायणजी ३।४ मील लम्बी। इसके अलावा इस केनाल के अन्दर सन् १९३५ तक २,१४४ क्यूसेक पानी था। इसके बाद १९३५ के अन्दर हेन्डर्सन रिपोर्ट के अनुसार and recommendation of Indus Waters Distribution Committee के अनुसार इसका २,७२० क्यूसेक्स पानी प्राप्त हुआ। माननीय सभापति महोदय, मैं अर्ज करूं सन् १९४९ के अन्दर अगर आप केनाल का सिंचाई का क्षेत्र देखें, इर्रिगेशन को देखें, इसके कल्चरेबल कमान्ड एरिया को देखें तो वह १४॥ लाख एकड़ के अन्दर था और उस समय १९४९ के अन्दर ६० प्रतिशत इर्रिगेशन ओन रेकॉर्ड हुआ करता था, २४ प्रतिशत रबी में और ३६ प्रतिशत खरीफ में हुआ करता था; ६० प्रतिशत के हिसाब से ८॥ लाख एकड़ के करीब १९४९ के अन्दर इसका इर्रिगेशन एरिया था। लेकिन इस प्रतिशत के ऊपर वहां का इर्रिगेशन था जैसा कि राय साहब श्री बिहारीलालजी की रिपोर्ट है उसके अन्दर दर्ज है कि १९४९ के अन्दर इर्रिगेशन का परसेन्टेज ७१ प्रतिशत तक पहुंच गया था और कई गांवों के अन्दर तो वह परसेन्टेज ८० फी सदी तक था। उस

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

समय यह कैनाल ७२० माइल की कैनाल थी और १६४६ से १६६२ तक यह ७७५ मील हुई। कुछ मीन्स इसमें जरूर एड किये गये। ६१ डिस्ट्रब्यूटरीज़, ६५ माइनर्स, ६४४ आउट लेट्स, ६ मंडी आउट लेट्स, चार गार्डन आउट लेट्स इस केनाल के अन्दर १६४६ तक थे। लेकिन गार्डन आउट लेट्स, मंडी आउट लेट्स तो उतनी ही हैं लेकिन केनाल की टोटल लेन्थ जो ७२० माइल थी अब वह ७७५ माइल है। टोटल चेनल्स ११० मील है। इसके अन्दर नोन पेरेनियल केनाल्स भी शामिल हैं, जिसमें से दो-एक समूचा केनाल और दूसरी लालगढ़ केनाल जिनकी लेन्थ १३१ माइल थी सेमी नोन पेरेनियल केनाल १६३७ तक क्लोज रही उसके बाद से वह नोन पेरेनियल के रुप में चली आ रही है। वास्तव में सेमीनॉन पेरेनियल के रूप में वह नहीं है। लालगढ़ केनाल की स्थिति उससे बहतर है। १६४६ तक इस क्षेत्र का इर्रिगेशन परसेन्टेज ७१ प्रतिशत तक पहुंच चुका था, पेपर्स के अन्दर ६० प्रतिशत माना जाता है। २८ और २६ के अन्दर ३ लाख ८६५ बीघा इर्रिगेशन था, लेकिन ४५-४६ में ८,४८, २१४ बीघा इर्रिगेशन हो गया जिसके अन्दर १७५ परसेन्टेज इन्क्रीज़ समूचे रुप में हुई। मैं अर्ज करूं टोटल कलेक्शन जो इन १७ वर्षों के अन्दर इस केनाल से हुआ वह करीब २५ करोड़, २४ लाख रुपये था। उसको पर बीघा पर फलाया जाय तो २ रू०, ४ आ० १६४६ तक वाटर रेट्स थी। जहां तक इस केनाल के चलाने का प्रश्न है उस समय के रेकॉर्ड को देखा जाय, तो मेरे पास ६२ तक का रेकॉर्ड है उसको देखा जाय तो यह पता चलेगा कि किस रुप में गंग केनाल चल रही है और कितने दिन चलती है, यह सब पता चल जायगा। इस तरह से इन सत्रह वर्षों की एवरेज को निकालें १६२८ से ४६ और १६४१ से ४६ आज ६२ तक के एवरेज के चार्ट को कम्पेयर करे तो सदन इस बात के नतीजे पर पहुंचेगा। वस्तु स्थिति इस केनाल की इससे भी भयंकर है जो वस्तुस्थिति १६४६ के अन्दर इसकी थी।

"Approximate number of the days of flow of perenniel canals:--

१७ वर्ष का एवरेज खरीफ की फसल के अन्दर और	११५ दिन
रबी की फसल के अन्दर	८५ दिन
टोटल	२०० दिन

"Approximate number of days of the closure of perennial canals:—

खरीफ की फसल के अन्दर	६८ दिन।
रबी की फसल के अन्दर	८७ दिन।
टोटल	१५५ दिन।

"Average of the last five years of the running of the canals:—

From 1941-46

ड्युरिंग खरीफ क्रॉप	१२१ दिन।
ड्युरिंग रबी क्रॉप	११० दिन।
टोटल	२२५ दिन।

"Average of the five years of closure of the canals:--

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

During Kharif crop	६२ दिन ।
During Rabi crop	७८ दिन ।
Total	१४० दिन ।"

अगर इसको डेज़वाइज़ ले लें तो अप्रैल, मई दो महीने ही संकट रहता है, इन महीनों में थोड़ा पानी चलता है। ४६ में रिडकन साहब की रिपोर्ट और चीफ इन्जीनियर श्री राय की रिपोर्ट में भी स्पष्ट है। ६००–७०० क्यूसेक्स पानी अप्रैल और मई में आ जाता था, ऐसी भयंकर परिस्थिति होती थी। पानी का डिस्ट्रिब्यूशन चेनल ऑफ डिस्ट्रिब्यूटरीज़ में करना पड़ता है। आम डेज़ क्लोज़र होते थे :

अप्रैल में	१० दिन ।
मई में	१२ दिन ।

यह एवरेज १७ साल का करता हूं।

"जून में	२० दिन ।
जुलाई में	२४ दिन ।
अगस्त में	२४ दिन ।
सितम्बर में	२५ दिन ।"

मेग्ज़िमम २५ दिन और मिनिमम १० दिन हैं।

पर आज ६२ का चार्ट उठा कर देखें तो

मिनिमम और	८ दिन ।
मेग्ज़िमम	२२ दिन होंगे।

ऐसी दुर्लक्ष्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है।

मैं सदन के सम्मुख यह रखूं कि ओरीजिनली यह कैनाल २.३४ क्यूबिक पानी से एक हजार एकड़ जमीन कल्टीवेट करने के आधार पर बनाई गई थी यानी एक क्यूसेक से २५६ बीघा के करीब कल्टीवेशन इसके द्वारा होने जा रहा था।

माननीय सभापति महोदय, मैं अर्ज करूं कि इस कैनाल के सम्बन्ध में, इसके वाटर रेट के सम्बन्ध में सामन्ती युग के अन्दर जो नीति रही है उसके अन्दर जो बसाने की उनकी नीति रही है सन् ३५ से पहले, जब कि एण्डर्सन ने अवार्ड दिया, इण्डस कमीशन ने अवार्ड दिया, उस कमीशन ने इस कैनाल को २,७०० क्यूसेक पानी दिये जाने का अवार्ड दिया। इससे पहले २,१२० क्यूसेक्स पानी था और एक घोर संकटपूर्ण स्थिति थी। इन ८ वर्षों के पश्चात् और इसके बाद ३७ से ४६ तक ६ साल के अन्दर जमीन आसमान का अन्तर था। एण्डर्सन अवार्ड के अनुसार यह निश्चित कर दिया गया था। तो ये फिगर्स मैंने आपकी जानकारी के लिये रखे हैं। ये आपकी सहायता करेंगे; इण्डो-पाक रिलेशन से क्या परिस्थिति आज वहां उत्पन्न हो गई है, इसको समझने में। एण्डर्सन अवार्ड के अनुसार सतलज और व्यास नदी के वाटर का डिस्ट्रिब्यूशन इस प्रकार किया गया था। ४,१४० क्यूसेक्स पानी पंजाब को, ६,३४० क्यूसेक्स पानी बहावलपुर को, २,७२० क्यूसेक्स पानी बीकानेर के लिये दिया गया था।

जहां तक इस क्षेत्र की अवस्था का सम्बन्ध है खुद उस समय के कमिश्नर राय बहादुर श्री बिहारीलालजी ने अपनी असेसमेन्ट रिपोर्ट ऑफ दी कैनाल एण्ड रेगुलर सैटलमेंट

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

में इसका उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि ४६ के अन्दर गंग केनाल क्षेत्र में ७ प्रतिशत व्यक्ति २५ बीघा से कम धरती के मालिक थे और १४ प्रतिशत ऐसे थे जो एक या दो मुरब्बा यानी २५ या पचास बीघा धरती के मालिक थे और बहुत थोड़े लोग ऐसे थे जिनके पास चार मुरब्बा से अधिक धरती थी।

इसके बाद लेंड पर प्रेशर बढ़ा। आज ६२ में हमें ५६–६० के जो फिगर्स मिलते हैं उनके अनुसार १४ लाख के करीब इर्रिगेशन कल्चरेबल एरिया इसमें है। सन् ५२ से ६० तक इस कैनाल एरिया में कई स्थानों पर साठ प्रतिशत इर्रिगेशन भी रहा है और इसके अन्दर पानी की बहुतायत रही है पर ५६–६० के अन्दर इस पाक–इण्डो रिलेशन के अनुसार यह बात तो हो गई कि सतलज का पानी २१ परसेन्ट गंग केनाल को प्राप्त होगा और ७६ परसेन्ट खारारीच यानी बहावलपुर क्षेत्र को दिया जावेगा। यह तो ठीक है....

श्री भीखाभाई (सिंचाई मन्त्री) : क्या आप यह भी बतावेंगे कि बिफोर पार्टीशन, इससे पहले कितना पानी मिला करता था?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने ४६ के आंकड़े पेश किये हैं। राय बहादुर श्री बिहारीलालजी की ऑथेन्टिकेटेड रिपोर्ट से मैं ये आंकड़े पेश कर रहा हूं। आप देख सकते हैं यह रिपोर्ट।

तो २१ परसेन्ट और ७६ परसेन्ट की बात तो ठीक मान ली। पर माननीय सभापति महोदय, मैं बड़े विनयपूर्वक अर्ज करूं कि जो बुरी परिस्थिति इस २१ और ७६ परसेन्ट से हमारी हो रही है वह तो हो ही रही है, पर राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार के अधिकारी और सरकार स्वयं एकत्रित होकर एक जगह बैठ कर इस मसले पर जब तक बात न करे, पानी और टेक्निकल बातों के बारे में अपने विचार एक्सचेन्ज न करे तब तक इस क्षेत्र को परिस्थिति और भी अधिक भयंकर होगी। आप पानी की इस क्षेत्र में भयानक परिस्थिति उत्पन्न कर चुके हैं और करते जा रहे हैं। गंग केनाल को आज इजेक्टेड के रुप में प्रयोग किया जा रहा है। आप इसको महसूस नहीं कर रहे हैं। आप अगर इस नक्शे की तरफ गौर फरमावेंगे तो पता लगेगा कि मक्की हैड से हरिकेपतन से राजस्थान कैनाल निकल रही है। इससे पहले सतलज और व्यास रिवर के क्षेत्र में सरहिन्द रोपड़ क्षेत्र में ९,३२० क्यूसेक्स पानी लेते हैं। इसके बाद हरिकेपतन से राजस्थान कैनाल निकलती है। यह केनाल उस क्षेत्र में से निकलती है जिसको कि सरहिन्द कैनाल सैलाब करती है। इसके लिये जगह जगह ब्रिजेज़ बनाने का प्रश्न है तो इसके पास से ही सरहिन्द फीडर चलता है।

मैं अर्ज करूं कि यह सरहिन्द फीडर सारे का सारा गंग केनाल के शेयर को देती है और इसके लिये पंजाब सरकार से निश्चित बात नहीं हो पा रही है।

इस सरहिन्द फीडर के पास से एक लोजिंग स्थान है जहां लोजिंग करते हैं। पानी को लोजिंग करके वहां पानी को वेकेट कर लेते हैं, इसकी भी लगातार हानि हमारी गंग कैनाल को पहुंच रही है।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त फिरोजपुर हैड और हुसैनीबाला हैड पर कन्ट्रोल कमीशन बैठा है, वर्ल्ड बैंक का कमीशन बैठा है, वह जो मन्थली अपनी डिमान्ड स्लिपें एस. सी. के ऑफिस में भेजता है इनका अगर आप अध्ययन करें तो गम्भीर दुर्लक्ष्य पूर्ण परिस्थिति का सही माने में पता लगेगा। वे मिनिमम भेज देते हैं। उस मिनिमम से हमारी रिवर का पानी गिर जाता है तो गंग कैनाल को पानी नहीं मिलता, वह बिलकुल खाली रहती हैं। हमारे यहां खेतों में धूल उड़ती है। किसान पानी के लिये तरसते हैं और अगर पानी उसमें मिनिमम से अधिक हो जाता है तो हालांकि उसको लेने की जिम्मेदारी का ऐसा कोई बन्धेज हमारा नहीं है, कोई ऐसा पैक्ट नहीं है, वह अधिक पानी गंग कैनाल को लेना पड़ता है और इसके दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं बताऊं कि सन् ६१ से ६२ तक यह गंग कैनाल बीच में से इस अधिक पानी के आने के कारण इसके दबाव से चार बार टूट चुकी है, इसका हेड इन्ज्योर्ड हो चुका है। या तो पानी के अभाव में गंगानगर के लोग, इस क्षेत्र के लोग टकटकी लगाये देखते रहते हैं या अधिक पानी के कारण हैड इन्ज्योर्ड हो जाता है तो वे लोग रोषपूर्ण दृष्टि से देखते रहते हैं। तो यह है सारी परिस्थिति जिसके बीच के अन्दर–जिसके मध्य के अन्दर से हमें गुजरना पड़ रहा है।

अब इस बन्ध के दौरान के अन्दर एक गांव की परिस्थिति क्या होती है ? मैं आपके सामने अर्ज करूं कि ५० मुरब्बे का एक गांव है जिसके अन्दर २५ बीघे का एक मुरब्बा होता है और १६ एकड़ मुरब्बे के बराबर होता है तो इन आंकड़ों के अनुसार १५ दिन तक लगातार ६ चेनल चलती रहे तो १५ दिन में एक दफा बारी आती है अगर कन्टीन्युअस चेनल चलती है तो। लेकिन अप्रेल में १० दिन चेनल चलती है। हमेशा चेनल चलती है तो २० दिन में उसकी बारी आती है, लेकिन जब डेढ़, दो महीने में एक बार पानी आता है तो वास्तविक स्थिति यह है कि जब कणक की बिजाई होती है अक्टूबर–नवम्बर में उस समय कणक बीजी जाती है और बीजने के बाद कणक की कोर खुल पड़ती है और अगर कोर को सम्हाला नहीं जाये तो बिल्कुल तबाह हो जाती है। यदि उस कोर के अन्दर पानी कम आये तो पकती नहीं है। पानी हो कणक के अन्दर तभी वह पकती है। वह पानी प्राप्त नहीं हो पाता है। निश्चित रूप से दो साल के अन्दर, ४७ के अन्दर गंग केनाल क्षेत्र के अन्दर गौर करें तो वहां पर कितना एक्सपोर्ट किया है उसी चीज को देख लें तो आपके सामने स्पष्ट हो जायगा कि इन दो वर्षों के अन्दर अनाज का एक्सपोर्ट, गुड़–शक्कर का एक्सपोर्ट, कॉटन का एक्सपोर्ट किस तरह से ज्यादा गिर चुका है और उसके लेवल्स पुराने लेवल्स पर रिटर्न हो रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इससे स्पष्ट साबित होता है कि गंग केनाल के अन्दर पानी बिल्कुल गिर चुका है। मैंने आपसे अर्ज किया था कि वाटर रेट्स सरकार ले रही थी। सन् ४६ में वह २ रु०, ४ आ० थी। सारे टोटल रेन्ट्स को देखें उसके तो टोटल रेन्ट्स इस प्रकार थे। एक चीज जरूर थी कि बीकानेर के युग के अन्दर ५ तहसीलों का निर्माण किया गया था इस गंग केनाल क्षेत्र के अन्दर–गंगानगर, करनपुर,

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

रायसिंहनगर, पदमपुर और अनूपगढ़ । इन ५ तहसीलों की धरती की कोस्ट उस समय अलग अलग रखी गई थी। सेम्पल सर्वे के जरिये इन ५ तहसीलों की धरती की कीमत अलग अलग थी। उस पर सब रेन्ट्स, वेट रेन्ट्स, ड्राई रेन्ट्स सब अलग अलग थे, फिक्स किये गये थे वहां की परिस्थितियों को देख कर, वहां की भावनाओं को देख कर। कुछ ऐसी बात नहीं की गई थी कि गधे और घोड़े को एक ही दाम पर बेचा गया हो, "अन्धेर नगरी चोपट राजा। टके सेर भाजी, टके सेर खाजा।" इस प्रकार की समानता नहीं की गई थी। वह भावना नहीं थी जो कि समाजवाद के युग के अन्दर मुकम्मिल रूप से है।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि जमीन के टोटल रेन्ट्स जो लिये जाते थे, केश रेन्ट जो लिया जाता था वह सबसे ज्यादा गंगानगर में १३॥) रु० था और सबसे कम अनूपगढ़ में ८) रु० था। लेकिन आज जो टोटल रिकवरी होती है, सन् ५७ के आधार पर आजकल जो वाटर रेट्स वसूल की जाती हैं और अगर टोटल रेन्ट्स का लगाया जाय तो १५),१५॥) रु० के करीब चला जाता है मिनिमम का जो कि ८) रु० था। उसी आधार पर आगे जो ज्यादा था उसका भी आगे बढ़ सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अर्ज करूं कि इस दुर्लक्ष्यपूर्ण, भयंकर स्थिति में गंग केनाल क्षेत्र गुजर रहा है। सरकार ने परमानेन्ट अलॉटमेंट का सिस्टम चालू किया। यह परमानेन्ट अलॉटमेंट ५ साल से चला आ रहा है। मैं अर्ज करूंगा और मैं बधाई दूंगा सरकार को कि एकदम गंगानगर क्षेत्र के अन्दर परमानेन्ट अलॉटमेंट का कार्य दुबारा कर दिया गया। लेकिन उसके साथ साथ टेम्पोरेरी अलॉटमेंट में जिनके पास १५-१५ साल से कब्जा था उनकी धरती पूरी तरह से नीलाम कर दी जाती है। परमानेन्ट अलॉटमेंट के लिए कोस्ट जो लगाई गई है, वह जमीनों की कीमतें जो तय की गई हैं तो १२॥) रु० गज आबादी से एक मील के डाइमीटर में जो एरिया है उसका और उससे दूर है उसका मूल्य १०) रु०। करीब करीब ८० प्रतिशत जमीन १ मील के डाइमीटर में आ जाती है आबादी के। इस तरह से १२॥) रु० गज मूल्य रखा गया है। सन् ५२ में परमानेन्ट अलॉटमेन्ट हुआ था सन् ४७ की गिरदावरी के आधार पर। मैं आप से अर्ज करूंगा कि उस समय की पानी की परिस्थिति और आज की पानी की परिस्थिति एकसी है। बीच के अन्दर कुछ पानी अच्छा रहा, ६० में इन्डो-पाक रिलेशन्स से पहले। ४६ की परिस्थितियों में और ५२ में बहुत फर्क है। उस समय कितनी लैण्ड हम किश्तों पर दे पाये हैं? १० किश्तों के अन्दर १२ हजार की रकम वसूल करना चाहते हैं। ८० परसेन्ट लोग नहीं दे पाये हैं जो परमानेन्ट अलॉटमेंट हुआ है उसका। परमानेन्ट अलॉटमेंट जितना हो सकता था उसका ५० परसेन्ट परमानेन्ट अलॉटमेंट बाकी है। जो ५० परसेन्ट है उसके अन्दर कितनी किश्तें दे चुके हैं? इसके अलावा परमानेन्ट अलॉटमेन्ट का कानून इतना दुर्लक्ष्यपूर्ण है कि १०० किसान दरख्वास्त करते हैं लेकिन ५ को ही परमानेन्ट अलॉटमेंट होता है, क्योंकि ४७ से ६२ तक की गिरदावरी की जरूरत होती है जो कि मैं समझता हूँ कि एक व्यक्ति ३० साल से

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

लगातार काश्त करता आ रहा है, लेकिन ४८ की गिरदावरी नहीं है तो उसको परमानेन्ट अलॉटमेंट २५ बीघे का हक नहीं रहता है। ४७ से ६२ तक लगातार गिरदावरी उस व्यक्ति के नाम हुई है लेकिन वह व्यक्ति सन् २७ से जब से कि नहर आई है काश्त करता रहा है लेकिन एक साल में–४८ में गिरदावरी का पर्चा नहीं करवाया तो सन् ५२ से ६२ तक लगातार गिरदावरी दे चुका है तो उसका हक होता है। बमुकाबले उसके और देखिये कि इसके अलावा किश्त लेने का जो तरीका है वह भयंकर है, जिसने कि गंग केनाल के किसान को कुचल कर रखा है; जो उसके जीवन को खत्म कर रहा है, भूमिहीन किसानों को अपने घरबार से निकाल रहा है। एक महीने का नोटिस देते हैं उसके अन्दर अन्दर १,२००) रु० की किश्त जमा करानी है, चाहे नहर में पानी नहीं आया हो और उसकी देने की केपेसिटी नहीं हो, लेकिन किसान की आंखों के अन्दर पानी है। क्या कहे कि यह दशा है कि एक महीने का नोटिस दे दिया कि उसके अन्दर किश्त जमा नहीं करोगे तो आपकी जमीन खारिज कर दी जायगी और ऐसे लोगों की धरती बोली पर चढ़ जाती है और उसको प्रिविलेज्ड क्लास के लोग ५–१० हज़ार रुपया फी बीघा उस जमीन पर बोली चढ़ाते हैं। बारानी जमीन की बोली फी बीघा ३००) रुपया हो रही है। २५ बीघे का एक मुरब्बा होता है तो एक मुरब्बे के साढ़े सात हजार होते हैं। इतनी मंहगी धरती को चढ़ा देते हैं। तो जो लेना चाहे किसान तो कितने लोग किश्तों को दे पाये हैं? अगर आप देखेंगे तो ८० पर्सेन्ट लोग किश्तों को नहीं दे पाये हैं। सबसे ज्यादा दुर्लक्ष्यपूर्ण जो बात है वह यह है कि पानी नहीं आता है, फसल नहीं हो पाती है और वे व्यक्ति पैसा इकट्ठा नहीं पाते हैं, फसल का मौका नहीं हो तो किश्त का डिमान्ड नोटिस चला जाता है। वे किश्त नहीं दे पाते हैं। ऐसी दशा में एक महीने के नोटिस से धरती को खारिज कर दिया जाता है और नीलाम पर चढ़ा दी जाती है। चाहे नीलाम की कितनी ही बोली हो वे प्रिविलेज्ड क्लास के लोग आम तौर से उस धरती को ले लेते हैं।

तो, माननीय सभापति महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि नहर में पानी की केपेसिटी कम है, भूमिहीन किसानों का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता कि वे इतने हैवी वाटर रेट्स को दे सकें। आम किसान भी जिस प्रकार से एक फसल के बाद दूसरी फसल फैल रही है तो इस किश्त को नहीं दे पाता। मैं आपके सामने बीकानेर रियासत के कुछ आंकड़े ही पेश करूंगा जब कि कॉटन की क्रोप फेल हुई है, जबकि व्हीट की क्रोप फेल हुई है तो रियासत ने बाद में बड़ी भारी सहूलियत दी है, किसानों को जब कभी ऐसे मामले आये हैं प्रत्येक में ऐसे अवसर वहां पर ४–५ आये हैं जबकि चुकता माल–कपास, गेहूं का सरकार ने छोड़ दिया है। अगर आप वास्तविक आंकड़े जानना चाहें तो मैं आपके सामने वे सारे आंकड़े समय और रकम के पेश कर सकता हूं जो कि रियासत के टाइम पर मुकम्मिल रूप से फसलों की ऐसी स्थिति के अन्दर छोड़ दिया है। लेकिन आज की समाजवादी सरकार से, समाजवाद का स्वप्न लेने वाली सरकार से और सदन से मैं विनती करूंगा कि पानी की, जब कि ऐसी स्थिति है, इस स्थिति में इतना भारी वाटर रेट लेना किसी प्रकार से न्यायपूर्ण

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

नहीं है, किसी प्रकार से न्यायसंगत नहीं है। इन वाटर रेट्स को कम किया जाना चाहिये या सरकार पुनः वही वापिस लावे जहां कि पानी चल रहा था परसेन्टेज ऑफ इर्रिगेशन जिस पर कि सरकार ने वाटर रेट्स को बढ़ाया था उसको पूरा करे। सन् ५३–५४ में सरकार ने वाटर रेट्स बढ़ाईं। कहीं पर पहले की वाटर रेट से डबल किया गया, कहीं पर ४० परसेन्ट बढ़ाया गया, कहीं ३६ परसेन्ट बढ़ाया गया। उस समय गंगानगर के किसानों ने आन्दोलन किया। १,५०० रु० के करीब किसान जेल में गये। उन्होंने मांग की कि वाटर रेट्स को कम करें, वापिस लावें आज कन्डीशन्स प्रिवेल नहीं कर रही हैं, लेकिन उसके बाद सरकार ने और बढ़ाया। सन् ४५–४६ की रेट से कई गुना अधिक हो चुका है। आज सरकार ने हर एक फसल पर रुपया या चौदह आने बढ़ा दिये हैं, जब कि ऐसी दुर्दशा है, जब कि पानी नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार को वाटर रेट्स एक तिहाई रिड्यूस कर देनी चाहिये। यह मांग बिल्कुल न्यायसंगत है।

इसके अतिरिक्त मैं अर्ज करूं कि सरकार को विशेष करके इस क्षेत्र के भूमिहीन किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिये। ऐसी नहर की दुर्दशा के अन्दर, परमानेन्ट अलॉटमेंट के अन्दर १२,०००) रुपये एक मुरब्बे के १० किश्तों में कोई भी किसान अदा नहीं कर सकता। रियासत के जमाने की रिपोर्ट के सही वर्ड्स मैं आपको पढ़ कर सुनाऊंगा। उन्होंने स्वीकार किया था कि गंगानगर क्षेत्र के अन्दर इकोनोमिक होल्डिंग्ज़ का पूर्ण अभाव है। इस बात को रियासत की सरकार ने भी स्वीकार किया था, बल्कि उन लोगों को जिन्होंने आकर धरती को काश्त में परिणत किया था उनको भी राहत रियासत की सरकार ने दी थी। किश्तों को कई बार सस्पेन्ड करके, वसूली को रोक कर, उसमें कमी लाकर और सन् २७ की लेवल पर रिड्यूस करके, उनको राहत दी थी। आज जब कि पानी की ऐसी असंतोषपूर्ण हालत है, कमी है, भूमिहीन किसानों को इतनी भारी किश्तों पर धरती देना अन्याय होगा। मैं प्रार्थना करूंगा कि जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो किश्त की टर्म्स को बढ़ाया जाय, किश्त के मूल्य या अमाउन्ट को कम किया जाय और किश्तों की तादाद को अधिक बढ़ाया जाय; यानी १० किश्तों में लेने की बात हो वहां २० किश्तों में लिया जाय और १,२००) या १,०००) रु० सरकार लेती है वहां ५००) रुपये कम लेने की बात की जाय। कम से कम आप कलेक्टर और तहसीलदारों को यह लिख कर भेजिये कि ऐसे आदमी जो अदा नहीं कर सकते हैं, बीमार पड़ गये हैं या और कोई बात हो गई है तो उनको किश्त जमा कराने के लिये मोहलत दी जाय। ६ महीने की मोहलत देने का अधिकार कलेक्टर को हो और और तीन महीनों की मोहलत देने का अधिकार तहसीलदार को हो, यह नहीं कि फौरन खारिज करे।

अन्त में, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से अपील करूंगा कि क्योंकि हमारी नहर का पानी गायब हो चुका है और क्योंकि आज हम उस स्थिति में लौट चुके हैं जिसमें हम सन् ४७ में थे, बल्कि देखें तो कई रूप में हम उस स्थिति को पहुंच चुके हैं जिसमें सन् २७ या २८ में थे या ३५ में हेन्डर्सन एवार्ड

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

से पहले स्थिति थी उस संबंध में मैं जानता हूं कि मंत्रीजी एक दलील और पेश करेंगे और 'वह दलील है वाटर लोगिंग की । वे कहेंगे कि यदि इर्रिगेशन सेन्ट परसेन्ट या ८० परसेन्ट या ६० परसेन्ट देते हैं तो गंगानगर में वाटर लोगिंग की स्थिति हो जायगी । लेकिन वाटर लोगिंग के आंकड़े सन २७ से लेकर ६२ तक के इस क्षेत्र के लें तो आज भी गंगानहर में १२० फीट, १३० फीट कुओं की गहराई है जब कि २ फीट से लेकर १.२ फीट तक वाटर का रेज़ड लेवल था सन् ४६ तक और उसके बाद १.६ सन् ४६ से लेकर सन् ६२ तक है । क्योंकि इस प्रकार की सेन्डी लैण्ड है गंगानगर की कि यदि सेन्ट परसेन्ट इर्रिगेशन चले तो भी अर्ज कर दूं कि ५०–६० वर्षों तक ऐसी समस्या नहीं है, विचार की बात नहीं है कि गंगानगर में वाटर लोगिंग हो जाय; बल्कि अनूपगढ़ तहसील है, उसमें कोलर की प्रोब्लम है । सन् ५३ में ६० हजार बीघा जमीन में कोलर थी, आज ३ लाख बीघा में हो गई हैं । उसको मारने का एक ही तरीका है और वह यह कि लगातार पानी दिया जाय और चावल की फसल बीजी जाय और सोडियम कार्बोनेट और इसी प्रकार की चीजें दी जायं । उसके लिये चावल का बीजना जरूरी है, वाटर अधिक देने की जरूरत है । रायसिंहनगर में ८० परसेन्ट इस प्रकार की जमीन है । वाटर लोगिंग पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं है । इसलिए इस दलील को नहीं स्वीकार किया जा सकता कि वाटर लोगिंग से परसेन्टेज ऑफ इर्रिगेशन कम किया जायगा ।

मैं प्रार्थना करूंगा कि राजस्थान सरकार पंजाब सरकार से बातचीत करके जो कि रास्ते में हमारे हक के पानी को ले लेते हैं उनसे बात करे और हमारा हक का पानी बराबर पहुंचे, ऐसी व्यवस्था करे । राजस्थान सरकार तय करे कि हमारी केनाल्स स्क्रेप के रूप में नहीं रह कर रेगुलर हो और परसेन्टेज के हिसाब से सेटिंग हो और उसी के अनुसार वे भी लें और हम भी लें । उसमें यदि पानी अधिक है तो उस परसेन्टेज से हमें भी अधिक मिले, यह नहीं कि हैड ब्रेक हो । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा मंत्रीजी से कि इस सम्बन्ध में निश्चित पॉलिसी तय की जाय ताकि इस रूप में हमारी रक्षा हो सके ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : माननीय सभापतिजी, मेरे एक माननीय सदस्य ने नहरी पानी के बारे में, वाटर रेट्स में कमी करने के बारे में जो रिज़ोल्यूशन रखा है, मैं अपने शब्दों में उसका समर्थन करता हूँ ।

आज हम मांग कर रहे हैं कि थर्ड प्लान में इन्डस वाटर ट्रीटी के बाद जो पानी की सप्लाई में कमी हुई और उस कमी के कारण ईल्ड पर, प्रोडक्शन पर और किसानों की खुशहाली पर जो असर पड़ा उस बिना पर वाटर रेट्स में कमी की जाय ।

मुझे वह बात याद आती है जब कि इस सरकार ने वाटर रेट्स में बढ़ोत्तरी की थी । सन् ५३–५४ की बात है । एक सबसे बड़ा लॉजिक या रीज़न पेश किया गया कि क्योंकि अब आबपाशी बढ़ गई है, वाटर सप्लाई बढ़ गई है इस इलाके में, इसलिये रेट में बढ़ोत्तरी की है । मैं आपके सामने अर्ज करूं, अपना हंबल सब्मिशन पेश करूं, वह भी समय याद आता है जब कि उधर के किसानों ने और लोगों ने

(श्री केदारनाथ)

इस प्रजातंत्र में एजीटेशन किया। मुझे सौभाग्य प्राप्त था उसमें हिस्सा लेने का और एजीटेशन को चलाने का। उस समय यह कारण या जस्टिफिकेशन सरकार की तरफ से पेश हुआ कि जो आज वाटर सप्लाई इन्क्रीज़ हुई है वह एक परमानेन्ट फेज़ रहेगा, इसलिए वाटर रेट बढ़ाई जा रही है। उस समय हमारी तरफ से दावा था कि यह इन्क्रीज़ वाटर सप्लाई का टेम्पोरेरी फेज़ है। आहिस्ता आहिस्ता जब कभी पाकिस्तान से समझौता होगा तब यही समझौता होगा कि वही सप्लाई पानी की रहेगी जो ४५-४६ में थी। सरकार ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी और उसके बाद जो असंतोष किसानों में लगातार आया उससे एजीटेशन तीन माह तक चला। मैं सोचता हूँ कि इन्डिपेन्डेंस के बाद किसानों के बहुत एजीटेशन हुए। मुझे पंजाब में बैटरमेंट लेवी के बारे में एजीटेशन देखने का मौका मिला, लेकिन उस एजीटेशन और इस एजीटेशन में बहुत फर्क है। उस इलाके के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वहां बहुत लैंड लोर्ड्स हैं, बहुत बिस्वेदार हैं। वहां की रिपोर्ट मेरे दोस्त ने पेश की कि ७१ परसेन्ट वहां के लोगों के पास वन स्कावयर ऑफ लैंड है और २६ परसेन्ट लोगों के पास तीन-चार स्कावयर ऑफ लैंड है। उसके बाद उस जमीन के टुकड़े हुए, उस जमीन के फ्रेगमेंटेशन हुए। उस कॉलोनी के लोगों ने जो एजीटेशन किया, उसमें उनका मोरल और कल्चर मैंने देखा है कि it was an agitation of its own type. मैं सोचता हूँ कि तीन माह तक लगातार यहां की सरकार की आर० ए० सी० ने बन्दूक की नोकों से रिकवरी करनी चाही, लेकिन कुछ भी नहीं कर सके। आखिर वह क्यों फेल हुई? जैसा मेरे दोस्त ने रेफरेन्स दिया कि वह इसलिए फेल हुई कि उस समय जो हजारों-लाखों एकड़ जमीन राज्य की थी उसके लिए सरकार ने ऐलान कर दिया कि जो व्यक्ति इस एजीटेशन में हिस्सा नहीं लेगा उसको आरजी काश्तकार के रूप में जमीन दे दी जायगी और १६५३-१६५४ में बहुत से ऐसे लोगों को जमीन का अलॉटमेंट किया गया। उसके बाद में वह जमीन कैंसिल की गई और इसलिए की गई कि वह १६५२ में अलॉट नहीं हुई थी, वे १६५३-५४ के अलॉटी हैं और उस जमीन को कैंसिल करने के बाद अब उसको नीलाम किया जा रहा है। जिन लोगों ने सारी पीज़ेन्ट्री के साथ विश्वासघात किया, जिन लोगों ने एजीटेशन के समय सरकार की मदद की उनको जो १६५३-५४ में जमीन अलॉट की गई वह कानून की सीमा में नहीं आती है, कानून की ऑर्बिट (orbit) में नहीं आती है, इसलिए वह जमीन कैंसिल की गई। इसके लिए मेरी यह लॉजिक है, मेरी यह रीज़निंग है कि १६५३ में जो वाटर सप्लाई थी वह ८५ परसेन्ट आबपाशी थी, ८५ परसेन्ट एक्चुअल इर्रिगेशन थी उस वक्त; लेकिन आज जो वाटर सप्लाई है वह ६२ परसेन्ट है। इतना फर्क होने के कारण मेरी लॉजिक, मेरी रीजनिंग जस्टीफाइड है कि क्या वाटर सप्लाई ठीक है, वाटर रेट ठीक है। हमारी स्टेट के वक्त १६५३-५४ के पहले जब ७१ परसेन्ट आबपाशी थी तब दो रुपया बाटर रेट ली जाती थी। यह फी बीघा वाटर रेट थी। उसके बाद १६५३-५४ में ८५ परसेन्ट आबपाशी

(श्री केदारनाथ)

हुई तो वह दो रुपये से बढ़ा कर पांच रुपया कर दी गई, आज ६२ परसेन्ट आबपाशी है, लेकिन वही वाटर रेट है। मैं समझता हूँ कि तीन क्रूशल ईयर का आप ईल्ड देखें, वाटर सप्लाई देखें उसमें जो फर्क है वह साफ नजर आता है। उस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। इसमें इतना फर्क क्यों है? पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फर्क पड़ रहा हो, चाहे और कारणों से, लेकिन पानी कम आ रहा है। मैं समझता हूँ कि तीन साल की प्रोडक्शन, ईल्ड, वाटर सप्लाई आदि को देखते हुए हमारा जो दावा है, हमारी जो मांग है कि वाटर रेट कम होनी चाहिए यह बहुत ठीक है।

दूसरी बात जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था वह यह है कि जब ग्रेडुएशन हमारा गिर गया और बैटरमेंट चार्जेज़ सरकार की तरफ से लगाये गये और वसूल किये जायं और उसके साथ साथ यह कहा जाय कि पानी के साथ साथ इलाके में समृद्धि आती है, खुशहाली आती है, नई सभ्यता आती है तो मैं इस बात को मानता हूं कि १९२९ से लेकर आज तक उस इलाके में खुशहाली आई, समृद्धि आई, लेकिन १९५९ के बाद जो हिस्सा समृद्धि का का था, खुशहाली का था, जिसमें फोर्चून और वेल्थ थी, उसमें कमी हुई है। उसके बाद आप वाटर सप्लाई को देखें, गन्ना प्रोडक्शन को देखें, कॉटन प्रोडक्शन को देखें, उसमें लगातार कमी आ रही है। जितनी खुशहाली में कमी आई है वह इसलिए आई कि वाटर सप्लाई में कमी आई है। मैं सोचता हूं कि जब कोई तेल चक के पास के किसानों से बात करें और इस हाउस में चीफ मिनिस्टर के भाषण को सुनें कि कितने क्लोज़र हुए हैं, नहरों में कितनी बन्दी हुई है तो उसके आंकड़ों में फर्क मिलेगा कि दो साल में कितनी बन्दी हुई है। आप ताज्जुब करेंगे सभापति महोदय, कि १९४५-४६ से १९५८ का एवरेज लेने के बाद में आंकड़े पेश करूं। १९४० से १९४५ तक १४० क्लोज़र हुए, यह स्टेट की बात है। उसके बाद १९५३-५९ में ७० क्लोज़र हुए और उसके बाद १९५९-६२ तक, आप ताज्जुब करेंगे, सभापति महोदय, १७० क्लोजर हुए हैं। लेकिन जब यहां प्रश्न पूछा जाता है तो बताया जाता है कि दो महीने, आठ दिन के लिए क्लोज़र हुए। इतने गलत आंकड़े और गलत फीगर्स पेश करके यह कहा जाता है कि वाटर सप्लाई जैसी की वैसी है। उसके हमने फैक्ट्स दिये, फीगर्स दिये, डेपूटेशन मिला, उसके बाद भी अगर यह बात नहीं मानी जाती है तो मुझे अफसोस है कि इस बात को डेमोक्रेटिक कैरेक्टर कैसे मान सकते हैं? आप सोशियलिस्टिक पेटर्न का सिद्धान्त लेकर चले हैं, लेकिन उस किसान से सबसे ज्यादा टैक्स वसूल कर रहे हैं, सेल्स टैक्स का बोझा उस पर पड़ेगा, कोई भी टैक्स लागू होता है तो उसका बोझा पीज़ेन्ट्री पर पड़ता है। मैं इस पर इस वक्त न बोलते हुए, इन्डस वाटर ट्रीटी के कौन कौन से सेलियेन्ट फीचर्स हैं उन पर न जाते हुए, इतना कहना चाहता हूं कि पंजाब से एग्रीमेंट हुआ है उसके अनुसार वाटर डिस्ट्रीब्यूशन उन लोगों के हाथ में है। उसका मिनिमम कोशन्ट हमें मिलता है क्योंकि पहले पंजाब सरकार पानी ले लेती है, बाकी का जो सरप्लस वाटर होता है उसको हमें

(श्री केदारनाथ)

भेज दिया जाता है। अगर नहीं हुआ तो हमारे यहां वाटर में कमी आ जाती है। हमारे इलाके में एक कहावत मशहूर है–'जाट की हुकूमत है।' जाट की हुकूमत है, इसके हाथ में डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत है। मैं यह बात नहीं कहता, मैं तो समझता हूं कि तेल चक की ईल्ड को देखते हुए, प्रोडक्शन को देखते हुए जो वाटर रेट बढ़ाई गई है वह वहां की आबपाशी को देखते हुए, वहां की इर्रिगेशन को देखते हुए जो आज आबपाशी है, इर्रिगेशन है और जो प्रोडक्शन है उसको देखते हुए यह वाटर रेट कम होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो मैं समझता हूं कि इससे किसानों में असंतोष पैदा होगा, किसानों में रिज़ेन्टमेंट बहुत तेजी से बढ़ेगा। उस वक्त जो एजीटेशन हुआ उस समय के चीफ मिनिस्टर के भाषण का एक्स्ट्रेक्ट मेरे पास है। उन्होंने कहा था कि यह परमानेन्ट फेज़ रहेगा, जो वाटर सप्लाई है इसमें कमी नहीं आयेगी, इसलिए वाटर रेट बढ़ा रहे हैं; लेकिन आज वाटर रेट में कमी आई है। इसलिए मैं जनता के हित में सरकार से दख्र्वास्त करता हूँ कि इस इलाके की जो मांग है, जो दावा है वह लेजिटिमेट है। आज की वाटर सप्लाई के मुताबिक जितना क्यूसेक्स पानी आता है और जिस तरह से प्रोडक्शन में कमी हुई है, ईल्ड में कमी हुई है उस हालत में वाटर रेट वैसी की वैसी स्टैंड करती है तो मैं समझता हूं कि इस वाटर रेट में भी कमी आनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति: श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि चूंकि वहां परसेन्टेज ऑफ इर्रिगेशन फॉल हो गया है, इर्रिगेटेड लेंड के परसेन्टेज में गिरावट हो गई है, इसलिए वहां की जो वाटर रेट है, उसको कम कर देना चाहिए। इस बारे में कोई भी दो राय नहीं हो सकती, लेकिन मैं जिस दृष्टिकोण को एम्फेसाइज़ करना चाहता हूं वह उसका दूसरा पहलू है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हमारी नहरों से कम जमीन इर्रिगेटेड होती है और उत्पादन गिरता है तो यह सीरियस बात है और उसके अनुसार वाटर रेट में गिरावट आनी चाहिए, वाटर रेट सरकार को कम करनी चाहिये। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि १९४६ और १९६२ की स्थिति एक हो जाय तो हमारी सरकार के लिए यह कोई शोभनीय बात नहीं कही जा सकती जब कि हम करोड़ों रूपया नहरों के निर्माण में खर्च कर रहे हैं और इस बात के प्रयत्न में हैं कि हमारी जो जमीन है नहरी सिंचाई की उसके आंकड़े बढ़ें और उसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ोत्तरी हो। दूसरी तरफ जो नहरें पहले से बना रखी हैं उनसे जितनी जमीन की सिंचाई होती है उसके आंकड़ों में गिरावट आती है, यह सरकार के लिए सोचने की बात है। इन्डस वाटर के बारे में जब भारत और पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त हमारे देश के प्रधानमन्त्री ने कहा था कि इससे हमारे यहां जो पानी केनाल में मिलता है उसमें कमी नहीं आयेगी। हमारे देश की पार्लियामेंट में हमारे प्रधान मन्त्री ने यह आश्वासन दिया था और इसी तरह का आश्वासन हमारे मुख्य

(श्री मानिकचंद सुराणा)

मंत्रीजी ने भी दिया था कि इन्डस वाटर का जो कुछ एग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है उससे केनाल वाटर इर्रिगेशन में कमी नहीं आयेगी, लेकिन यह पिछले १६६०–६२ के आंकड़ों से स्पष्ट है, उसके जो आंकड़े पेश किये हैं, उनसे यह बात साफ हो जाती है कि आज की स्थिति–१६६२ के अन्दर की स्थिति वही हो गई है जो कि १६४६ के अन्दर थी। इसलिए मैं इस बात की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। प्रश्न सिर्फ यह नहीं कि वाटर रेट गिरा दें लेकिन उसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि पंजाब सरकार से बातचीत करके प्रयत्न करें कि जो गंग केनाल में पानी आता है और जो उस क्षेत्र में वाटर सप्लाई होता है उसके लिए हम इन्तजाम करें कि जो।१६५६-६० की स्थिति थी उसको लाने का पूरा प्रयत्न करें। आज सिर्फ वाटर रेट गिरा दें तो तात्कालिक समस्या हल हो सकती है लेकिन जो परमानेन्ट समस्या है, करोड़ों रुपये नहरों के निर्माण में खर्च किये हैं उसके बाद भी अगर एक साल के अन्दर नहर २६५ दिन चलती थी उसके स्थान पर आज १६५ दिन चलने लगे तो यह उससे भी ज्यादा भयंकर स्थिति है। इसलिए सरकार को तात्कालिक राहत तो किसानों को देनी चाहिए लेकिन उसके साथ साथ इस बात पर भी जोर देना चाहिए, तवज्जोह देनी चाहिए कि पंजाब सरकार से बातचीत करे और गंग केनाल में जितनी वाटर सप्लाई पहले होती थी और जितने दिन नहरें चलती थीं १६५६–६० में उतने दिन चलाने की कार्यवाही करे।

इसके साथ साथ मैं दूसरे सिद्धान्तों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अभी अभी इर्रिगेशन मिनिस्टर ने कहा था कि इर्रिगेशन विभाग एक प्रकार का कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है और बेटरमेंट हम इसलिये लेते हैं कि हमें पैसा खर्च करना पड़ता है और जो भी केपिटल एक्सपेन्डीचर होता है हम उसे उस जमीन की कीमत से वसूल करना. चाहते हैं जिससे जमीन को फायदा मिलता है। राजस्थान केनाल को बनाने से १४० करोड़ रुपये खर्च होंगे और उससे बहुत अधिक सिंचाई होगी। हमारा इर्रिगेशन विभाग कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है और मेरे कहने का मतलब यह है कि २०८) रु० पर–एकड़ आप गंग केनाल से रकम वसूल करते हैं। मगर आपको मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब आप कॉमर्शियल कन्सर्न की बात कहते हैं तो यह गंग केनाल तो बीकानेर सरकार के समय की बनी हुई है, न कि राजस्थान सरकार ने बनाई है और आज तक गंग केनाल के निर्माण में जो रुपया लगाया था उससे ज्यादा रुपया वसूल कर लिया गया है और जो वाटर टैक्स वसूल किया जा रहा है वह गंग केनाल के मेन्टीनेन्स के लिये नहीं, बल्कि सरकार अपने मुनाफे के लिये ले रही है। गंग केनाल में कुल ३॥ करोड़ रुपये लगे थे, जबकि आज भी हमारी सरकार किसानों से ५० लाख रुपया सालाना वसूल करती है। इतनी बड़ी वसूली किसानों से सरकार द्वारा की जा रही है और यह कहा जाता है कि यह कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है जब कि राजस्थान सरकार ने कोई खर्चा नहीं किया। इस गंग केनाल से मेन्टीनेन्स के लिए साल भर में ३ लाख रुपया खर्च होता है और सरकार ५० लाख

(श्री मानिकचंद सुराणा)

रुपया वसूल करती है।

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री) : मैंने इस संबंध में अभी तक कुछ नहीं कहा है। मैंने कॉमर्शियल कन्सर्न की बात बैटरमेंट लेवी के बारे में कही थी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इससे आपके जो सिद्धान्त हैं वे आपस में मेल नहीं खाते, दोनों में कोई ताल-मेल नहीं है जब आप कहते हैं कि कॉमर्शियल कन्सर्न है तो आप साल में सिर्फ ३ लाख रुपया इस के मेन्टीनेन्स में खर्च करते हैं और ४७ लाख रुपयों का मुनाफा करते हैं। दस वर्षों में आपने ४ करोड़ ७० लाख का मुनाफा लिया है और ३॥ करोड़ रुपया इसके बनाने में कुल खर्च हुआ है।

इसके अलावा पानी की कमी का प्रश्न है। इसके लिए भारत सरकार के इन्डस नदी के समझौते की बात नहीं है। पानी कम क्यों हो गया, इसके लिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप जमीन का लगान पहले से पांच गुना ज्यादा ले लें, मगर यह नहीं कि आप १० गुना या १५ गुना ज्यादा लगान वसूल करें। तो यह कोई वाजिब बात नहीं कही जा सकती। आपने ३ लाख मेन्टीनेन्स के लिये खर्च किये हैं। अगर इतना ही वसूल करें तो वाजिब है और इसके अलावा अगर आप ५० लाख में से ३ लाख निकाल कर ४७ लाख रुपये केपिटल एकाउन्ट्स में जमा करा देते तो भी कोई बात नहीं है। इस रकम को भविष्य में कुओं के निर्माण में और अन्य सिंचाई के कार्यों में या कोई छोटा-मोटा कार्य हो तो उसको पूरा करने में खर्च किया जा सके। मगर आप इसका जमा-खर्च रेवेन्यू एकाउन्ट में दिखाते हैं और वसूली करते हैं और फिर आप कहते हैं कि जितनी नहरें बना रहे हैं उसमें रुपया खर्च होता है। मैं यह कहूंगा कि सरकार की जो इन दोनों की वाटर रेट और बैटरमेंट वसूली की नीतियें हैं उनमें विरोधाभास है। इसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार को इस संबंध में भारत सरकार से बात-चीत करके यह प्रबन्ध करना चाहिये कि सन् ५८ से ६० में पानी देने की बात थी उसके अनुसार पानी मिलता रहे।

गंग केनाल में पानी गिरने की बात के लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि पानी इस-लिये नहीं गिर गया है कि भारत सरकार ने इन्डस नदी का एग्रीमेंट किया है। इसमें गिरावट इसलिये आई है कि आज भाखरा प्रोजेक्ट में इसका पानी डाइवर्ट कर देते हैं, राजस्थान केनाल में जो नहरें जाती हैं उसमें इसका पानी डाइवर्ट कर देते हैं और सूरतगढ़ फार्म में पानी काम में ले लिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह कि आप गंग केनाल से पानी दूसरों को दे देते हैं और वह पानी किसानों को, जो आपको देना चाहिये नहीं देते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस पर आप गंभीरता से विचार करें कि किसानों को, जिनको पानी मिलना चाहिये उनको मिलता रहे और उनको कोई नुकसान नहीं होने पावे। आपको कानून के खिलाफ काम नहीं करना चाहिये। अगर आप इसको कॉमर्शियल कन्सर्न मानते हैं तो आपको इसके पैसे केपिटल एकाउन्ट में जमा कराने चाहिये। इस बात की मांग के साथ, मैं इस

(श्री मानिकचंद सुराणा)

प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री जावन्दसिंह (करणपुर) : सभापति महोदय, मैं, ऑलटमेंट हो रहा है उसके बारे में कुछ जवाब देना चाहता हूं। जो जमीन थोड़ी थोड़ी है, किसी के पास १० बीघा और किसी के पास १५ बीघा, जिनको परमानेन्ट अलॉटमेंट हो गया है उसके बारे में हजार रुपये की किश्त है।

श्री सभापति : इसके बारे में कोई संकल्प नहीं है।

श्री जावन्दसिंह : मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि ५००) रु. से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। किसान गरीब है और वह एक हजार कैसे देगा ? पहली किश्त है १ महीने के बाद। आपको किसानों की हालत को भी देखना चाहिये कि वह किसान कहां से लाएगा ? इसलिये पहली किश्त ६ महीने बाद ली जानी चाहिये और सन् ४७ से ५३–५४ तक जो लगातार उस जमीन पर काम करते आ रहे हैं उसको दे देना चाहिये, यह बहुत जरूरी है। अगर एक साल किसी कारण से काश्त नहीं भी हो तो उसको हक रहना चाहिये और जमीन उसको मिलनी चाहिये। इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिये कि ५००) रुपयों से किश्त ज्यादा नहीं होनी चाहिये। एक महीने की मोहलत रखते हैं तो बहुत मुसीबत रहती है। इसलिये ६ महीने के अन्दर अन्दर किश्त के रुपये देने की अवधि रहनी चाहिये, जिससे इसको यह तो रहेगा कि जमीन उसको मिलेगी। कम से कम ६ महीनों की मोहलत अवश्य होनी चाहिये।

श्री सभापति : Hon'ble Minister to reply

(सिंचाई मंत्री के सदन में नहीं होने से)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अचानक ही लापता हो गये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया(मुख्य मंत्री): अचानक बहस समाप्त हो गई।

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री) : सभापति महोदय, जो मूल प्रस्ताव है वह इस प्रकार पढ़ा जा सकता है कि सदन की राय में नहरी पानी समझौते के कारण गंगनहर क्षेत्र में सिंचाई के लिये पानी की कमी होने के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है, अतः राज्य सरकार को चाहिये कि भारत सरकार से बात कर इस कमी को पूरा करने के लिये कदम उठाये व तब तक इस क्षेत्र में सिंचाई की दरों में १।३ कमी करदी जाय।

सभापति महोदय, इस प्रस्ताव में जो बातें बताई गई हैं कि सिंचाई की दरों में १।३ कमी कर दी जावे और इसके समर्थन में इस बात की दलील दी गई है कि प्रोडक्शन, ईल्ड और सप्लाई; इन तीनों में कमी हुई है। जहां तक प्रोडक्शन का प्रश्न है, इसके घटने और बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इम्प्रूव्ड बीज, किसानों की मेहनत और कूओं और फर्टीलाइज़र का प्रश्न भी आता है। जहां तक ईल्ड का प्रश्न है वह भी इसी से सम्बन्ध रखती है। इसलिये यह प्रश्न उठाना कि इस क्षेत्र में प्रोडक्शन कम हुआ

(श्री भीखाभाई)

है, यह उचित नहीं है। क्रोप पेटर्न चेन्ज करने के लिये कहा गया। जहां फूड ग्रेन को पैदा करने की बात होती है वहां एक टेस्ट क्रोप बनाने की बात होती है। इसलिये सभापति महोदय, यह निवेदन करूंगा कि मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। सिंचाई के बाद में कोई चेन्ज होती है तो उसका इन्टेन्शन दूसरा होता है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहना कि प्रोडक्शन कम हुआ है, वह पानी की सप्लाई कम होने से हुआ है, यह बात सही नहीं है। इसी तरह से ईल्ड का प्रश्न है। इसमें भी यही प्रश्न आता है।

मैं सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि भाखरा से जो पानी लेते रहे हैं वह कई प्रकार से मिलता रहा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के एग्रीमेंट के बाद में भी हमको पानी उसी प्रकार से हमेशा मिलता रहा है।

गंग केनाल के बारे में कई बातें उठाई गई हैं। माननीय सदस्य ने बातें बताई कि यहां १९२८–२९ में २,७२० क्यूसेक्स पानी मिलता था खरीफ में और ७०० क्युसेक्स पानी रबी में मिलता था। ४७–४८ में खरीफ में ८०० क्यूसेक्स मिलता था और आज ६०–६१ में पुरानी शर्तों के माफिक पानी नहीं मिल रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमको पानी पुरानी शर्तों के मुताबिक पूरा मिल रहा है। तो जो यह बात कही गई कि पानी में कमी होने के कारण वहां प्रोडक्शन में कमी हुई, यह गलत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): ये आप अपने आंकड़े दे रहे हैं या मेरे आंकड़े कोट कर रहे हैं?

श्री भीखाभाई : हमारे आंकड़ों से ही आपने आंकड़े लिये होंगे। हमारे आंकड़े हमारे पास हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप जो सूचना दे रहे हैं मैं समझा नहीं।

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि २८–२९ में खरीफ में और ७०० क्यूसेक्स पानी मिलता रहा है रबी में।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने कहा उससे कम है, यह तो....

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़): तो, तो हमारी शिकायत और ज्यादा स्ट्रोंग है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ; हमारी शिकायत सही है।

श्री भीखाभाई : मैं यह निवेदन कर रहा था कि पानी की सप्लाई बराबर हो रही है। पानी कम देने से फसल खराब हुई है, यह बात सही नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप सीधे सीधे मान लें कि पानी में बहुत कमी आ गई है और इसके कारण फसल कम हो गई है, यह सही है।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि पानी की कमी के कारण ही फसल को नुकसान होना नहीं माना जा सकता। इसमें खाद, आधुनिक साधन आदि कई कारण हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : (अलवर) : Do you concede the point that the supply of water is less than what was before ?

श्री भीखाभाई : No, जो हमारे अधिकार में था, जो शर्त में था उसके माफिक मिलता है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : शर्तें क्या थीं ? ५६ में कितना पानी सप्लाई किया, ५५ और ५४ में क्या थी, यह मैंने आपके सामने प्रश्न किया था।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : क्या यह सही है कि ट्रीटी के माफिक जितना पानी मिलना चाहिये उससे ज्यादा भी मिला था ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : You concede that the water supply is reduced and it has been reduced even lesser...

श्री मोतीलाल चौधरी : एक्स्ट्रा आ गया तो मिल गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Water supply is reduced from the level of 1946 and it has reduced even below the Anderson Award. It was 2,700 cusecs and now it has gone below the Anderson Award. Anderson Award was given in 1935.

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य ने बताया कि कभी कम पानी आ गया, कभी ज्यादा आ गया, यह बात दूसरी है, पर मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी सूरत में जो पानी हमें शर्त के माफिक मिलना चाहिये था वह मिला है। प्रोडक्शन की ईल्ड का सवाल माननीय सदस्य ने उठाया तो मैंने निवेदन किया कि वह अलहदा सवाल है। ईल्ड इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार की एग्रीकल्चर प्रेक्टिसेज़ काम में लाई जा रही हैं, किस प्रकार का फर्टीलाइज़र है, किस तरह के आधुनिक तरीकों को काम में लिया जाता है। दो आदमी एक ढंग से खेती करते हैं, दोनों को बराबर पानी मिलता है, पर एक की ईल्ड ज्यादा है दूसरे की कम; दोनों की ईल्ड एक दूसरे से डिफरेंट होती है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : But you charge for water and not for implements or good seeds.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : And do you think that implements are improved ?

श्री भीखाभाई : I am not taking into account all this. We only charge for water supply and I say that the supply was continuous and stationary as agreed upon.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Let us have the figures please.

श्री भीखाभाई : I will give you.

तो मैं निवेदन कर रहा था कि जिस प्रकार से सप्लाई हमको शर्तों के माफिक मिलनी चाहिये और मिलती रही है उसी प्रकार मिल रही है। यह कहा गया कि हमारा इर्रिगेशन गिरता जा रहा है, एरिया भी गिरता जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री भीखाभाई)

अगर पानी की सप्लाई कम होती, इर्रिगेशन गिर गया होता तो दूसरे एरिया में पानी नहीं पहुंचता। दूसरे एरिया में पानी पहुंच रहा है तो यह इस बात का सुबूत है कि हमारी सप्लाई रेगुलर रही है और मैं निवेदन करूं कि खरीफ और रबी के दोनों के आंकड़े मेरे पास १६५७-५८ से आज तक के हैं।

१६५७-५८ में खरीफ में ७१,३७८ एकड़ को पानी दिया।

रबी में ४,५१४ एकड़ को पानी दिया।

कुल मिला कर ७५,८६२ एकड़ में हमारा पानी पहुंचा।

१६५८ में खरीफ में ३,२६,१६१ एकड़ में पानी दिया गया।

रबी में ३,४६,२८४ एकड़ में पानी दिया गया।

कुल मिला कर ७,३०,४४५ एकड़ होता है।

५८-५६ में ३,२६,७२७ एकड़ में खरीफ में पानी दिया गया और।

३,६१,६७१ रबी में।

कुल मिला कर ७,३०,६१० एकड़ में पानी दिया गया।

५६-६० में खरीफ में ३,४०,२६१ खरीफ में और रबी में ३,६२,१८४।

कुल मिला कर ७,३३,४१५ एकड़ में पानी दिया गया।

६०-६१ में खरीफ में ३,२६,३०१ एकड़ में। रबी में ३,२६,८४७ एकड़ में।

और कुल मिला कर ६,५३,१४८ एकड़ में पानी दिया गया।

ये आंकड़े इस बात के सुबूत हैं कि इर्रिगेशन की सप्लाई बराबर है। प्रोडक्शन इससे सम्बन्धित नहीं रहता। लोग पानी लेने के लिये उत्सुक हैं, कोई भी किसान इतना बेवकूफ नहीं हो सकता जो पानी नहीं मिलने के कारण फसल के प्रोडक्शन में कमी हो जाने पर भी कहे कि मैं पानी लेना चाहता हूं। पानी की सप्लाई कम होने के कारण फसल की पैदावार में कमी हुई हो, इस प्रकार का इन्डिकेशन हमारे रेकॉर्ड से नहीं मिलता और जो यहां कहा गया कि पानी कम मिलने के कारण प्रोडक्शन में कमी हो गई है, इसलिये वहां पर रेट्स कम कर दी जायं, यह सही नहीं है।

अब मैं यह बताना चाहूंगा कि गंग केनाल की रेट्स दूसरी जगहों से कम हैं। शूगर केन के बारे में गंग केनाल में रेट १४.४ है, भाखरा के अन्दर १६॥) रु. है, जब कि अन्य प्रोजेक्ट में २२) रु. है। राइस में ८॥) रु. गंगकेनाल में, भाखरा में ६) रु. और दूसरी योजना में ८॥) रु.। कॉटन गंग केनाल में ६।) रु., भाखरा में ७।।।) रु. और दूसरे प्रोजेक्ट के अन्दर ८) रु.। ग्राम के अन्दर गंग केनाल में ४) रु., भाखरा में ४. रु. और दूसरे में ७) रु. है।

श्री श्योपतसिंह : फिर भी भाखरा में बैटरमेंट लेवी लागू कर रहे हैं।

श्री भीखाभाई : माननीय सभापतिजी, मैं आपकी मार्फत यह बात बताना चाहता हूं कि यह एतराज किया गया है कि सिंचाई की दरें गंग केनाल में अधिक हैं, पानी की सप्लाई पूरी न होने से कम करनी चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अन्य योजनायें हैं और गंग केनाल में तो जो पहले से रेट्स हैं वे ही हैं और उनको कम करने का सवाल ही नहीं है। दूसरे प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ वह यह है कि उनके सामने सुविधा इस बात की है कि किसी की फसल का नुकसान हो जाता है, खराब हो जाता है तो उसके लिए रेट कम कराने का हक पहले से ही किसान को प्राप्त है। किस प्रकार के रेमिशन्स आज तक हुए हैं, गंग केनाल में हुए हैं, वह मैं निवेदन करना चाहूँगा। जब से नहरों से सिंचाई प्रारम्भ हुई है तब से लेकर निवेदन करना चाहता हूं। सन् १९२७-२८ में आंकड़े हैं। ७५,८२२ बीघा में सिंचाई हुई थी, परसेन्टेज रेमिशन होने के बाद आया ५.१६, उसी तरह से ५८-५९ में २,९४,७९२ एरिया इर्रिगेटेड हुआ उसके मुकाबले में ३५,८४१ रेमिट हुआ, १३ परसेन्ट हुआ। अगर आप कहें तो सारे आंकड़े पढ़ दूं और यदि आप कहें कि पढ़ने की जरूरत नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साल वार कितना रेमिशन हुआ है, कितना एरिया इर्रिगेट हुआ और• उसमें रेमिशन क्या हुआ। सन् १९२७-२८ में ८.१६, २८-२९ में १३.९२; इसी तरह से १९३१-३२ में १७.३६........

श्री श्योपतसिंह : इस रेमिशन के आंकड़े पेश करने में क्या तुक है?

श्री भीखाभाई : वहां पर एक रास्ता खुला हुआ है........

श्री रामानन्द अग्रवाल : Is this remission due to this fact that you could not supply water to these areas and, there-fore ,you had to..

श्री भीखाभाई : That is not the case. Irrespective of the fact whether water was given or not there is a remedy open to the cultivators that they can get remission. That is the point. Therefore, I want to tell you that this remission had been given and this remedy is open even today to all the cultivators.

श्री श्योपतसिंह : यह इस बात का सबूत है कि आप ज्यादा रेमिशन दे रहे हैं; इससे यह बात जाहिर हुई कि पानी की सप्लाई कम है।

श्री भीखाभाई : यह बात प्रमाणित करना जरूरी है, इसलिए मैं रेमिशन के आंकड़े पढ़ रहा था। सन् १९२८ से लेकर सन् १९५६-५७ तक रेमिशन के आंकड़ों को देखे तो आंकड़े घटते चले जा रहे हैं, जिससे यह मालूम हो सके कि पानी की सप्लाई किस प्रकार पहले से बढ़ रही है। मैं आपको केवल परसेन्टेज के आंकड़े बता रहा था। सन् १९३४ ३५ में १३ परसेन्ट; इस तरह से ये आंकड़े डिक्रीजिंग ऑडर में हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सन् १९५२ से लेकर ६२ तक का रेकॉर्ड बता दीजिये।

श्री भीखाभाई : जितना है वह मैं बता रहा हूं।

श्री केदारनाथ : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर,

श्री भीखाभाई : मेरा समय है, मुझे बोलने दीजिये। जो पूछना है बाद में समय मिलेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : When an Honourable Member rises, the Minister should take his seat, Sir.

श्री भीखाभाई : No.

श्री केदारनाथ : माननीय मिनिस्टर साहब की इन्टेलीजेन्स की तारीफ करते हुए यह बताना चाहूँगा कि सन् ३३ में वाटर इन्क्रीज़ किया था तो आबपाशी का परसेन्टेज ८० परसेन्ट था और अब ६० परसेन्ट है। वाटर रेट्स वे के वे ही हैं। मेरी यह रिक्वेस्ट थी कि चूंकि अब आबपाशी में कमी आ गई है इसलिए वाटर रेट्स इन्क्रीज़ किये थे उनमें रिडक्शन आना चाहिये। यह बिल्कुल सिम्पल क्वेश्चन है।

श्री भीखाभाई : मैं आपके क्वेश्चन को फोलो नहीं कर सका। पहले मेरी बात को पूरी कह लेने दीजिये।

श्री सभापति : Order Please !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : You please move your triangular all right and then I will reply.

श्री केदारनाथ : मेरी बात को और सुन लीजिये।

श्री सभापति : Please continue.

श्री केदारनाथ : सभापति महोदय,....

श्री सभापति : You can seek information later on.

श्री केदारनाथ : सभापति महोदय, स्टेट के वक्त जो एग्रीमेन्ट था वह ६० परसेन्ट का था। इर्रिगेशन परसेन्टेज ६० परसेन्ट मिलेगा और सन् १९५३ में यह ५५ हो गया क्योंकि वाटर सप्लाई में इन्क्रीज़ हुआ। चीफ मिनिस्टर ने वाटर रेटस बढ़ा दिये। अब ६२ परसेन्ट है। इसलिये इन्डस वाटर ट्रीटी के अनुसार जो कमी आ गई है, इसलिए जो वाटर रेट्स हैं उनमें रिडक्शन का सवाल आता है। यह एक सीधा साधा सवाल है, कोई थ्योरमा नहीं, प्रोब्लम नहीं।

श्री भीखाभाई : ज्यों २ एकरेज़ बढ़ता जाता है त्यों त्यों कम होता जाता है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि वाटर रेट्स कम नहीं किये जाने चाहिये, जब कि आप कहते हैं कि कम करने चाहिये। तो उसके भी कुछ कारण हैं। मैंने यह निवेदन किया कि गंगकेनाल, भाखरा केनाल और अन्य योजनायें हैं। गंग केनाल में पहले से ही है और कम करने का सवाल ही नहीं है। इन्डिविजुअल प्लॉट्स और दूसरों का सवाल आता है और उनमें पानी की सप्लाई नहीं होती है और फसल किसी प्रकार खराब होती हो, कोई खराबा हो तो रेमिशन किया जाता है। इसीलिये मैं आपके सामने रेमिशन के आंकड़े पढ़ रहा था। एक जमाने में जो परसेन्टेज था वह यह इंगित करता है कि रेमिशन उस वक्त ज्यादा होता था और अब धीरे धीरे कम हुआ है। तो उसका मतलब यह हुआ कि वाटर सप्लाई अधिक हुई है। मैं बता

('श्री भीखाभाई)

रहा था कि सन् १६२८ से लेकर जहां रेमिशन की परसेन्टेज १३.१५ और १८ थी वह घट कर सन् १६५६–५७ में १.७ आ गई। इससे अन्दाज लगा सकते हैं कि वाटर सप्लाई बराबर होती रही है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सन् १६-६१–६२ के आंकड़े नहीं हैं। यह भी तो बताइये कि इस वर्ष में कितना रेमिशन हुआ ?

श्री भीखाभाई : आंकड़े और हैं नहीं। जो थे वे मैंने निवेदन किये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मोस्ट रिलेवेन्ट आंकड़े जो हैं वे मंत्री महोदय के पास नहीं हैं और सारी बहस का आधार ही सन् १६६१–६२ के आंकड़े हैं।

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय, जिस बात को माननीय सदस्य मानते हैं मेरे पास बेसिक आंकड़े हैं, जिनके आधार पर मैं उनकी बात को नहीं मानता। उनका कॉन्टेन्शन दूसरा है और मेरा कॉन्टेन्शन दूसरा है। मैं इस बात को एग्री नहीं करता। वाटर रेट पहले कम थी।

दूसरी बात जो निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि वाटर रेट को कम करने के लिए हर किसान को हक हासिल है। जो खराबा होता है उसके जरिये वह कम करवा सकता है। इसके लिये जनरल बात कर देना ठीक नहीं होगा।

श्री श्योपतसिंह : खराबा तो अलग मसला है, कोई तूफान से या आंधी से खराबा हो जाता है ? वह सेपरेट केस है।

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय, मुझे जो बार बार इन्टरप्शन कर रहे हैं उससे परेशान हो रहा हूँ। मैं यह निवेदन कर रहा था कि मेरी बात को समझा जाय वे वाटर रेट्स का जहां तक सम्बन्ध है गंग केनाल एरिया में अन्य जगहों की अपेक्षा, अन्य योजनाओं की अपेक्षा कम है।

दूसरा मैंने यह निवेदन किया कि इसको कम करने की दूसरी प्रकार की रेमेडीज़ हैं। वाटर सप्लाई नहीं होता है या दैविक प्रकोप के कारण कोई बात हो जाती है तो रेमिशन का रास्ता खुला हुआ है। माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय वाटर रेट कम करने की गुंजाइश नहीं है। वाटर रेट के कमी करने का जहां तक सवाल है उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि डिफरेन्ट जगहों की योजनाओं को आधार मान कर और दूसरी बातों को देखते हुए वाटर रेट्स में किसी भी प्रकार से परिवर्तन किया जाना इस वक्त मुनासिब नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया है और जो आंकड़े पेश किये हैं वह मेरी बातों को साबित कर देता है। मैंने जो बातें कही थीं वे स्पष्ट और सीधी यह थीं कि १६३५ तक हमारी सप्लाई जो ३,०००। क्यूसेक्स थी एन्डर्सन अवार्ड के बाद यह सप्लाई २,७०० क्यूसेक्स हो गई और यह सप्लाई १६४६ तक होती रही और १६५३ तक भी यही कन्टिन्यू रही। अब मैं आपके सामने पढ़ कर बताऊं, कल्चरेबल एरिया जो १६४६ के अन्दर ७१ परसेन्ट तक था वह

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

रायसाहब श्री बिहारीलालजी की रिपोर्ट में इस बात को एस्टेब्लिश किया गया है:—

"The average of the last five years from 1940-41 to 1945-46-71% i.e. 11% above the permissible limit. The gross area under irrigation of Gang canal colony claimed is 14,56,480 bighas. In the culturable command area, the permissible irrigation is 60% i. e. 11,70,360 bighas."

७१ परसेन्ट के हिसाब से ७,६१६ आता है। माननीय मंत्री महोदय ने ७,६१६ को कॉन्स्टेन्टली लिया है, यह ६० परसेन्ट है और एक्चुअल रेकॉर्ड जो बतलाता है वह करीब ७१ परसेन्ट होता है। लेकिन यह ८० परसेन्ट तक गया है। १६५२ और १६५३ में हमारे यहां आबियाना बढ़ाने के लिए यह माना गया था कि हमारी सप्लाई ८० प्रतिशत तक हो चुकी है। यहीं तक नहीं, बल्कि ८५ प्रतिशत तक पहुंच चुकी है इसलिए आबियाना बढ़ाया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय, जहां तक १६६०–६१ के आंकड़ों का सवाल आता है, उसके लिए कहते हैं कि वे आंकड़े हमारे पास नहीं हैं, पाक ट्रीटी के कारण हमारे पानी के अन्दर कमी हुई है। पानी इस दौरान में बढ़ा भी है, किन्तु पाक ट्रीटी और एन्डर्सन अवार्ड के अनुसार देखा जाय तो पानी हमें कम मिला है और वह कमी करीब २१० क्यूसेक तक आ गई है। यही कारण है कि एन्डर्सन अवार्ड के बाद हमको पानी कम मिला है और उसी आधार पर मेरा यह निवेदन है कि आबियाना कम किया जाना चाहिये।

माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि खराबा होने पर राहत मिल सकती है। खराबे का तो अजीब किस्सा है। गवर्नमेन्ट की एक पॉलिसी है एडमिनिस्ट्रेटिवली सरकार द्वारा एक डी० ओ. लैटर जारी किया गया है एस० डी० ओ. के नाम से, उसमें यह है कि खराबे के परसेन्टेज को न बढ़ने दें। उस पॉलिसी को स्ट्रिक्टली फोलो किया जाता है और खराबा नहीं दिया जाता है। इसके अलावा इसमें लिमिट्स भी बांध रखी हैं दो परसेन्ट खराबा दिया जाता है। इसलिये आप यदि खराबा के आधार पर यह सिद्ध करना चाहते हैं तो यह सिद्ध नहीं होता........

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी): On a point of information, Sir, माननीय सदस्य जो बातें रख रहे हैं वे तो हमने सुन ली हैं। उनको बार बार क्यों दोहराया जा रहा है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: I have got a right to reply.

श्री सभापति: Kindly finish soon.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: ये आग्युमेन्ट ऐसे हैं जो आपकी समझ में आने वाले नहीं हैं, बहुत गहरी बातें हैं और पानी से ताल्लुक रखने वाली बातें हैं। जहां तक खराबा देने का सवाल है रियासतों के जमाने के ऐसे उदाहरण हैं जिनमें पूरा का पूरा खराबा दिया गया है। सन् १६४५ में दिया गया, ४३ में दिया गया, ४२ में दिया गया, १६३८ में दिया गया....

एक माननीय सदस्य: यह किसमें लिखा हुआ है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : समाजवादी समाज की रचना करने वाली सरकार इसको नहीं कर सकती और आंकड़ों के जरिये भी आप साबित नहीं कर सके हैं ।

तीसरी चीज यह है, गंग केनाल में जो पानी आता था उसमें काफी कमी हुई है और वह १६३५ के स्टेन्डर्ड पर पानी आ गया है । राजस्थान केनाल बन रही है उसके साइड में एक पेरेनियल केनाल चलती है जो वहां काम करनेवालों को पानी सप्लाई करती है, जिसका पानी गंग केनाल के सिरे से लिया जाता है । इसके अलावा भाखरा क्षेत्र के अन्दर भी पानी, राजस्थान केनाल क्षेत्र के अन्दर भी पानी गंग केनाल द्वारा सप्लाई होता है । मौजूदा स्थिति के अन्दर भी सूरतगढ़ फार्म में राजस्थान केनाल से जो पानी टेक-आउट किया जा रहा है वह भी गंग केनाल के पानी से चल रहा है । ऐसी स्थिति में आप कितना पानी दे रहे हैं, यह देखने की बात है । इस पर जो वाटर रेट ले रहे हैं वह कतई न्यायसंगत नहीं है । इर्रिगेशन मिनिस्टर साहब इसको सिद्ध नहीं कर सके ।

जहां तक फसलों का ताल्लुक है गंगानगर इस प्रकार का क्षेत्र है जहां रेन की परसेन्टेज बहुत कम है और वाटर फसल के लिये बहुत उपयोगी चीज है । इतनी विकास समितियें, इतने नेशनल एक्सटेन्शन ब्लॉक खुले हैं उससे १६४६ के मुकाबले काश्त करने के तरीकों में सुधार हुआ है, दूसरी योजना और तीसरी योजना में भी हम खेती की तरफ काफी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मन्त्री महोदय कहते हैं कि काश्त करने के तरीकों में सुधार नहीं होने से फसल ठीक नहीं होती । मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि अपनी बातों से किये हुए काम पर तो पानी मत फेरिये । यह मान्य है कि कृषि के तरीकों में सुधार हुआ है और यह भी विकास समितियों के कारण और नेशनल एक्सटेन्शन ब्लॉक्स के कारण खेती में जरूर सुधार हुआ है । लेकिन फसल में कमी होने की जो खास वजह है वह है पानी का कम मिलना । आप कपास का एक्सपोर्ट देखिये १६४६ पर आंकड़े आ गये हैं । इसका कारण साफ है कि गंग केनाल में पानी का अभाव है । इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनका भी कर्तव्य है कि इण्डो-पाक रिलेशन के कारण २० प्रतिशत सतलज का वाटर मिलता है और ७६ परसेन्ट पाकिस्तान को मिलता है; उस पानी पर लूट पड़ रही है इसका कारण पंजाब सरकार भी है ! पानी का रास्ते में लोसिंग होता है । सरहिन्द फीडर के अन्दर जो पानी है वह आप गंग केनाल को दिला दें । के तलह में बातों से पानी पिलाने की कोशिश न करें । निश्चित रूप से हमें पानी देने की कोशिश करिये । पानी हमारा जीवन रस है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : ये बातें तो बहुत पहले से सुन चुके हैं । बार बार उसी का रिपीटीशन हो रहा है ।

श्री सभापति: Do you want to withdraw your resolution ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : I do not want to die without water.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(श्री सभापति)

(मतदान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : नहीं साहब, 'हां' पक्ष जीता ।

श्री सभापति : 'ना' पक्ष जीता, संकल्प गिर गया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो यह निश्चय कर लिया गया है कि हमारा पानी बन्द कर दिया जावे ।

श्री सभापति : अगर सदन की अनुमति हो तो नेक्स्ट संकल्प लिया जावे ।

(विराम)

श्री कृष्णकुमार गोयल ।

(अनुपस्थित)

श्री महेन्द्रसिंह ।

चम्बल प्रोजेक्ट क्षेत्र के ग्रामों में विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य विषयक गैर सरकारी संकल्प

श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : [संकल्प इस प्रकार है:-"इस सदन की सम्मति है कि चम्बल प्रोजेक्ट एरिया के ग्रामों में विकास सम्बन्धी निर्माण कार्यों के लिये अधिक वार्षिक सहायता दी जाय"] सभापति महोदय, मैं सरकार को बधाई देता हूं पहले कि उसने बांध और केनाल आदि बना कर किसानों को राहत पहुंचाने की कोशिश की है पर साथ में सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित भी करना चाहता हूँ कि केनाल निकाल देने से, बांध बांध देने से, नहरें निकाल देने से ही किसानों का पूरा भला नहीं हो सकता, गांवों का भला नहीं हो सकता, उसका पूरा विकास नहीं हो सकता । गांवों के पूर्ण विकास के लिये और भी अनेक बातें हैं जिन पर ध्यान दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है ।

इसमें सड़क निर्माण भी एक है । सड़कों का गांवों में अभाव होने के कारण किसानों को अपने खेती का विकास करने में भी असुविधाएं पैदा होती हैं और अक्सर गांवों में बरसात के दिनों में सभी रास्ते बरसात के कारण बन्द हो जाने से आवागमन के साधन नहीं मिलते । इसलिये यह जरूरी है इन कस्बों को कम से कम जो मेन लाइन से चार-पांच मील की दूरी पर पड़ते हैं सड़क से जोड़ा जावे ताकि किसान समय पर सहूलियत से खेती सम्बन्धी सारे साधन उपलब्ध कर सके और अपना प्रोड्यूस भी आसानी से दूसरी जगह ले जाकर अच्छे भाव से बेच सके ।

दूसरा कारण किसानों के डेवलप नहीं होने का शिक्षा का अभाव है । अक्सर गांवों में शिक्षा की कमी के कारण किसान आज तक आधुनिक तरीके से खेती करने में असमर्थ रहा है और उसी परम्परागत तरीकों से खेती करता चला आ रहा है । उसकी उपज बढ़ती नहीं । इसलिये जरूरी है कि वह शिक्षा पाए ताकि आधुनिकतम वैज्ञानिक साधन अपनी खेती में अपनाकर वह अपना उत्पादन अधिक बढ़ा सके । इसके लिए जहां प्राइमरी स्कूलें हैं वहां

(श्री महेन्द्रसिंह)

मिडल स्कूलें खोली जायं, जहां प्राइमरी स्कूलें भी नहीं हैं वहां प्राइमरी स्कूलें खोली जायं व प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम दो हायर सेकन्डरी स्कूलें स्थापित की जावें ताकि किसान भी अपने बच्चों को पढ़ा कर आधुनिकतम खेती के साधनों का उपयोग करने में आज नहीं तो कल समर्थ हो सके और दूसरे भी लाभ उठा सकें।

तीसरी कमी जो किसानों के सामने है वह है लकड़ी की। वह खेती के काम आने वाली लकड़ी भी समय पर उपलब्ध नहीं कर पाता। तो इसलिये सरकार के लिये यह जरूरी है कि हर पंचायत सेन्टर पर एक प्लान्टेशन लगाया जावे व साथ में पंचायत हैड क्वार्टर पर कृषि सम्बन्धी लकड़ी का गोदाम रखा जावे ताकि लकड़ी प्राप्त करके किसान समय पर अपने खेत जोत सके।

चौथी कमी किसान की है टैक्निकल जानकारी। इसके अभाव में वह आजकल का वैज्ञानिक खाद अपनी जमीन में नहीं डाल पाता। अगर डाल भी लेता है तो उचित जानकारी के अभाव में उससे पूरा लाभ नहीं उठा पाता, बल्कि आज वक्त तो यह होता है कि उचित परिमाण की जानकारी नहीं होने से अधिक-कम गिर जाने से उसकी सारी फसल ही जल जाती है, उसका विपरीत असर हो जाता है। इसलिये जरूरी है कि इस बारे की टैक्निकल जानकारी किसान को देने के लिये ग्राम सेवक या ग्राम सेविकाओं एवं अन्य स्टाफ को, जो इन बातों की जानकारी अच्छी रखते हों वहां नियुक्त किया जावे और अधिक संख्या में नियुक्ति की जावे जो उनको समय समय पर इसकी जानकारी दे सकें। इस बात को मद्दे नजर रखते हुए मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

"चम्बल प्रोजेक्ट एरिया में ग्रामों में विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य के लिये अधिक सहूलियतें दी जावें।"

मैं समझता हूं कि यदि सदन में समस्त सदस्यों ने इसे सही रूप से देखा तो मेरा प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित कर दिया जावेगा!

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : सभापति महोदय, समय हो गया है।

श्री सभापति : दो मिनट और हैं, बोलने दीजिये।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : सभापति महोदय, यह जो प्रस्ताव सामने लाया गया है वास्तव में आज बड़े बड़े बांध बांध कर देश की गरीबी, बेकारी और भुखमरी मिटाने के लिये योजनाएं बनाई हैं और चम्बल प्रोजेक्ट एरिया में आज जिस प्रकार के साधन हैं, जिस प्रकार की समस्याएं आज किसान के सामने हैं, सरकार को उस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये!

वास्तव में आज वहां के किसानों के सामने बहुत बड़ी विकट समस्या खड़ी हो गई है। खास तौर से आज नहरें निकल जाने से आवागमन के साधन बेकार हो गये हैं जैसा हमने कई बार निवेदन किया कि नहरें लीकेज करती हैं, पानी रिसता है और इससे आवागमन के साधन निष्प्राय हो गये हैं। इससे किसान को अपनी तैयार फसल को ले जाने में

(श्री हरिप्रसाद)

भी दिक्कत हो रही है तो इसलिए हमें आवागमन के साधनों के निर्माण पर ध्यान देना होगा।

कोटा से इन्दरगढ़ तक सड़क बनाने के लिये दो बार पंचवर्षीय योजनाओं में प्रोविजन रखा गया। पर इसका कार्य अभी अभी शुरू किया है और वह भी इतनी धीमी गति से कि जिसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अगर यही रफ्तार काम करने की रही तो यह सड़क पन्द्रह–बीस साल में भी पूरी नहीं हो सकेगी।

पाटन क्षेत्र में यह स्थिति है कि कम से कम साल भर में सात महीने आवागमन बन्द रहता है और नहरें बन जाने और उससे पानी रिसना शुरू होने के बाद तो बिल्कुल ही रास्ता बन्द हो गया है। इस बारे में मेरा सुझाव है कि गांव से स्टेशन से बीच चार-पांच मील का जो टुकड़ा है उसको तात्काल ठीक बना दिया जावे ताकि हरएक अपने माल को स्टेशन ले जा सके और मंडियों में पहुंचा सके। इसके साथ ही साथ·······

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

आज चम्बल प्रोजेक्ट एरिया है....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सभापति महोदय, टाइम हो गया।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० १ बजे, १ मई, १९६२ के म० पू० ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, ३० अप्रेल, १९६२)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ५२३६

रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी।

पटवार सर्कल्स।

सीमेंट वर्क्स, लाखेरी।

जागीरी मुआवजे की राशि प्राप्त करने में महिलाओं को होने वाली असुविधा।

मलालिया-बांध-चित्तोड़।

हायर सेकेन्डरी स्कूल, सांचोर।

चरागाह की भूमि का अलॉटमेंट।

तालाबों का निर्माण।

भूतपूर्व जिला बोर्डों द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूल।

हनुमानगढ़ जंक्शन की नयी मंडी का निर्माण।

जमीन की गिरदावरी।

निलम्बन काल की मजदूरी–बीकानेर पॉवर हाउस।

हायर सेकेन्डरी स्कूल की मांग–तिजारा।

सहबाजारी।

हरिजनों को जमीन-पाटनवाटी।

मैटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।

गबन।

नेरवाड़ी बांध की योजना।

थानागाजी बांध में पानी का ठहराव।

कोटड़ी तहसील के गांवों का नया सेटलमेंट।

मालाखेड़ा बांध से निकलने वाली नहर।

दिनांक १०-४-६२ का स्थगित प्रश्न

भाखरा क्षेत्र के किसान।

दिनांक १६-४-६२ का स्थगन प्रस्ताव

बरसाती पानी में डूबी हुई भूमि और पीड़ित किसानों को दी जाने वाली सहायता।

विशेषाधिकार-प्रश्न ५२६३

श्री भैरोंसिंह व श्री मुरलीधर

व्यास ने दिनांक १४ अप्रेल, १९६२ को इस आशय के विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना दी थी कि भारत में बनी विदेशी स्प्रिट तथा शराब पर राज्य सरकार द्वारा बढ़ी हुई आबकारी ड्यूटी लगाने तथा वसूल करने के सम्बन्ध में जो तरीका अपनाया गया है इस विषय में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए वित्त मन्त्री ने अपनी गल्ती स्वीकार न करके सदन का अपमान तथा सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन किया है।

अध्यक्ष महोदय ने विशेषाधिकार प्रश्न को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देते हुए कहा कि हमारे विशेषाधिकार वही हैं जो हमारे संविधान के प्रारम्भ के समय हाउस ऑफ कॉमन्स (House of Commons) के थे तथा किसी भी नये विशेषाधिकार का निर्माण नहीं किया जा सकता। जहां तक वित्त मन्त्री द्वारा अपनी गलती को स्वीकार करने में जो तथाकथित असमर्थता प्रकट करने का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय ने बताया कि उन्हें मेज़ पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस (May's Parliamentry Practice) में ऐसा कोई दृष्टान्त नजर नहीं आया जिससे माननीय सदस्यों की इस मांग को बल मिल सके।

राजस्थान में बैटरमेन्ट लेवी की वसूली बन्द करने सम्बन्धी गैर सरकारी संकल्प २५९७

१. श्री अब्दुलजब्बार, (निम्बाहेड़ा) ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया:—

'इस सदन की सम्मति है कि राजस्थान में बैटरमेन्ट लेवी की वसूली बन्द की जाय।'

इस संकल्प पर श्री गोकुलप्रसाद शर्मा ने एक संशोधन प्रस्तुत किया। वादविवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री श्योपतसिंह

(२) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा

(३) श्री मुरलीधर व्यास

(४) श्री गिरधारीलाल व्यास

(५) महारावल श्री लक्ष्मणसिंह

(६) श्री रामकिशन।

श्री भीखाभाई, सिंचाई मन्त्री के उत्तर के पश्चात श्री गोकुलप्रसाद शर्मा ने अपना संशोधन सदन की अनुमति से वापिस ले लिया

एवं श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) द्वारा प्रस्तुत संकल्प विभाजन के फलस्वरूप ('हां' पक्ष ५४ व 'ना' पक्ष ७०) अस्वीकार किया गया।

गंग नहर क्षेत्र सम्बन्धी गैर-सरकारी संकल्प ५३६३

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया:—

"इस सदन की राय में नहरी पानी समझौते के कारण गंग नहर क्षेत्र में सिंचाई के लिये पानी की कमी होने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अतः राज्य सरकार को चाहिये कि भारत सरकार से बात कर इस कमी को पूरा करने के लिये कदम उठाये व तब तक इस क्षेत्र में सिंचाई की दरों में १।३ कमी कर दी जाय।"

इस संकल्प पर की गई बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

१. श्री केदारनाथ
२. श्री मानिकचन्द सुराणा
३. श्री जावन्दसिंह।

श्री भीखाभाई, सिंचाई मन्त्री के उत्तर के पश्चात् संकल्प सदन द्वारा अस्वीकार किया गया।

चम्बल प्रोजेक्ट क्षेत्र सम्बन्धी गैर सरकारी संकल्प ५४१०

कु० श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया:—

"इस सदन की सम्मति है कि चम्बल प्रोजेक्ट एरिया के ग्रामों में विकास सम्बन्धी निर्माण कार्यों के लिये अधिक वार्षिक सहायता दी जाय।"

इस संकल्प पर श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) बोल रहे थे कि सदन की बैठक ठीक १ बजे मंगलवार, दिनांक १ मई, १९६२ के प्रातः ८.०० बजे तक के लिये स्थगित की गई।

मंगलवार, दिनांक १ मई, १९६२ की कार्य-सूची

१. जोधपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२ (प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन)।
२. राजस्थान रिलीफ (साहाय्य) प्रतिष्ठान (विशेष प्रावधान) संशोधन, विधेयक, १९६२— गैर सरकारी विधेयक (पुरः स्थापन)।
३. चम्बल प्रोजेक्ट क्षेत्र के ग्रामों को आर्थिक सहायता देने सम्बन्धी गैर-सरकारी संकल्प।
४. सरकारी कर्मचारियों के अधिकतम एवं न्यूनतम बेतन स्तर में अनुपात सम्बन्धी गैर-सरकारी संकल्प।
५. वर्तमान अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जयपुर को भंग करने सम्बन्धी गैर सरकारी संकल्प।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न सख्या ३३३ का उत्तर देखिये)

उत्पादक आंकड़े पिछले दस वर्ष का शीशा व जस्त-आवर खाका

क्रम संख्या	वर्ष	उत्पादक कच्चा माल टन में	उत्पादक शीशा टन में	उत्पादक जस्त टन में
१.	१९५१	१६,०५९	७९२	१,८२६
२.	१९५२	२८,१७०	२,१३६	३,८४२
३.	१९५३	४३,८६३	२,७६३.५	४,३०२.५
४.	१९५४	६३,०४४	२,८४८	३,९७४.२५
५.	१९५५	६९,०४०	३,०६२.५	४,८६५
६.	१९५६	८९,३६३	३,९०९	६,८८०
७.	१९५७	१,०४,४३७	४,८५०	७,४६९
८.	१९५८	१,२४,८५४	५,२५७	७,२७४
९.	१९५९	१,५९,४०८	६,४७०	९,९७०
१०	१९६०	१,४९,९९९	६,१७६	९,२१६

उत्पादक आंकड़ा चांदी का पृथक् संलग्न है ।

उत्पादक आंकड़ा चांदी का

क्रम संख्या	वर्ष	उत्पादक औंस में
१.	१९५३–५४	१८,९५०
२.	१९५४–५५	७७,१९८
३.	१९५५–५६	७७,९१३
४.	१९५६–५७	९३,८११
५.	१०५७–५८	१,०३,६१५
६.	१९५८–५९	१,१९,०५८
७.	१९५९–६०	१,१६,२२३

मूल्य आंकड़ा पिछले दस वर्ष का शीशा, जस्त व चांदी का–जावर खान

क्रम संख्या	वर्ष	मूल्य शीशा का	मूल्य जस्त का	मूल्य चांदी का
१.	१९५०-५१	८,६१,५४५	....	....
२.	१९५१-५२	१८,८७,४१५	१०,५९,१६०	....
३.	१९५२-५३	१५,५२,०९०	२१,४४,७४२	....
४.	१९५३-५४	२०,५३,१०७	२०,११,७०२	२,८७,१८३
५.	१९५४-५५	२५,९३,८४६	१६,१४,९५४	३,२८,३३०
६.	१९५५-५६	३१,२२,३५२	२५,१५,१५८	३,५१,०३३
७.	१९५६-५७	३९,६२,८०५	५०,४०,८३४	४,३५,३१९
८.	१९५७-५८	३५,२७,०७१	३७,७८,२०४	५,०७,७३६
९.	१९५८-५९	४७,३१,०९०	२७,२३,६८७	६,०२,९३४
१०.	१९५९-६०	५७,२६,३७६	५८,८१,४६३	६,४०,६७२

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक ३० अप्रेल, १९६२)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
५२४३	अन्तिम	उनको ड्य	उनको ड्यू
५२४४	८	यह कि	यह है कि
,,	२१	उसकी परीभाषा	उसकी परिभाषा
५२५१	१६	गांव वाले	गांव वाले
५२५२	१९	राम प्रसाद लड्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
५२५४	१५	सतीश चन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
५२५७	११	जंकशन	जंक्शन
५२६१	४	दिये जाय । क्या	दिये जायं, क्या
५२६५	२५	recived	received
५२७१	४-५	पार्टीकुलर	पर्टीक्यूलर
,,	अन्तिम	मुरलीधरव्यास	श्री मुरलीधर व्यास
५२७३	२५	उद्योग	राजस्व
५२७६	४	है ओर	है और
,,	१९	हैड रेन्ट	डैड रेन्ट
५२७८	अन्तिम से ७	सकता । और	सकता और
५२७९	१८	आरसीन्द	आसीन्द
५२८०	२५	नैरवाड़ी बधां	नैरवाड़ी बन्धा
५२८२	५	नया सेन्टलमेन्ट	नया सेटलमेन्ट
५२८३	९	श्री उमरावसिह ढ़ाबरिय	श्री उमरावसिंह ढाबरिया
५२८४	४	दी है क्या	दी है
,,	६	होगी ? ताकि	होगी ताकि
५२८७	१०	६२ स्थगित	६२ का स्थगित

१	२	३	४
५२८६	अन्तिम से ५	वह क्या सरकार	वह सरकार
५२६२	१३	उसकी क्या स्थित	उसकी क्या स्थिति
५२६३	अन्त में	विशेषधिकार	विशेषाधिकार
५३०२	अन्तिम से ५	कतई तरोके	कई तरीके
५३०४	१०	ऑक्ट्र्य	ऑक्ट्रोय
,,	२५	जा य, लम	जाय, लम्प
५३०६	अन्तिम से २	(हनमानगढ़)	(हनुमानगढ़
५३३०	१७	सुझाद में प्रस्तुत	सुझाव मैं प्रस्तुत
५३३१	अन्त में	हालत कुए से	हालत जो कूए से
५३३२	अन्तिम में	खुशहाली का	खुशहाली कर
,,	१६	कमान्ड एरिया	कमान्डेड एरिया
५३३८	२	बाब जूद भी की यहाँ	बाबजूद भी यहां
५३५८	अन्तिम से ४	(संकल्प गिर गया)	संकल्प गिर गया।
,,	,, ,, ३	के सदस्य]	के सदस्य :
५३६३	१३	माथुर।	माथुर]
,,	११	perenniel	perennial
५४०४	२	परसेन्टेज १३.१५ और १८	परसेन्टेज १३,१५ और १८ तक
५४१०	७	श्री योगेन्द्रनाथ हाडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
५४१५	१	तात्काल ठीके	तत्काल ठीक
५४२४	शीर्षक	चांदी का जावर खान	चांदी का–जावर खान का